खण्ड-209, अंक-6
शुक्रवार, 30 माघ, शक संवत् 1881
(19 फरवरी, 1960 ई0)

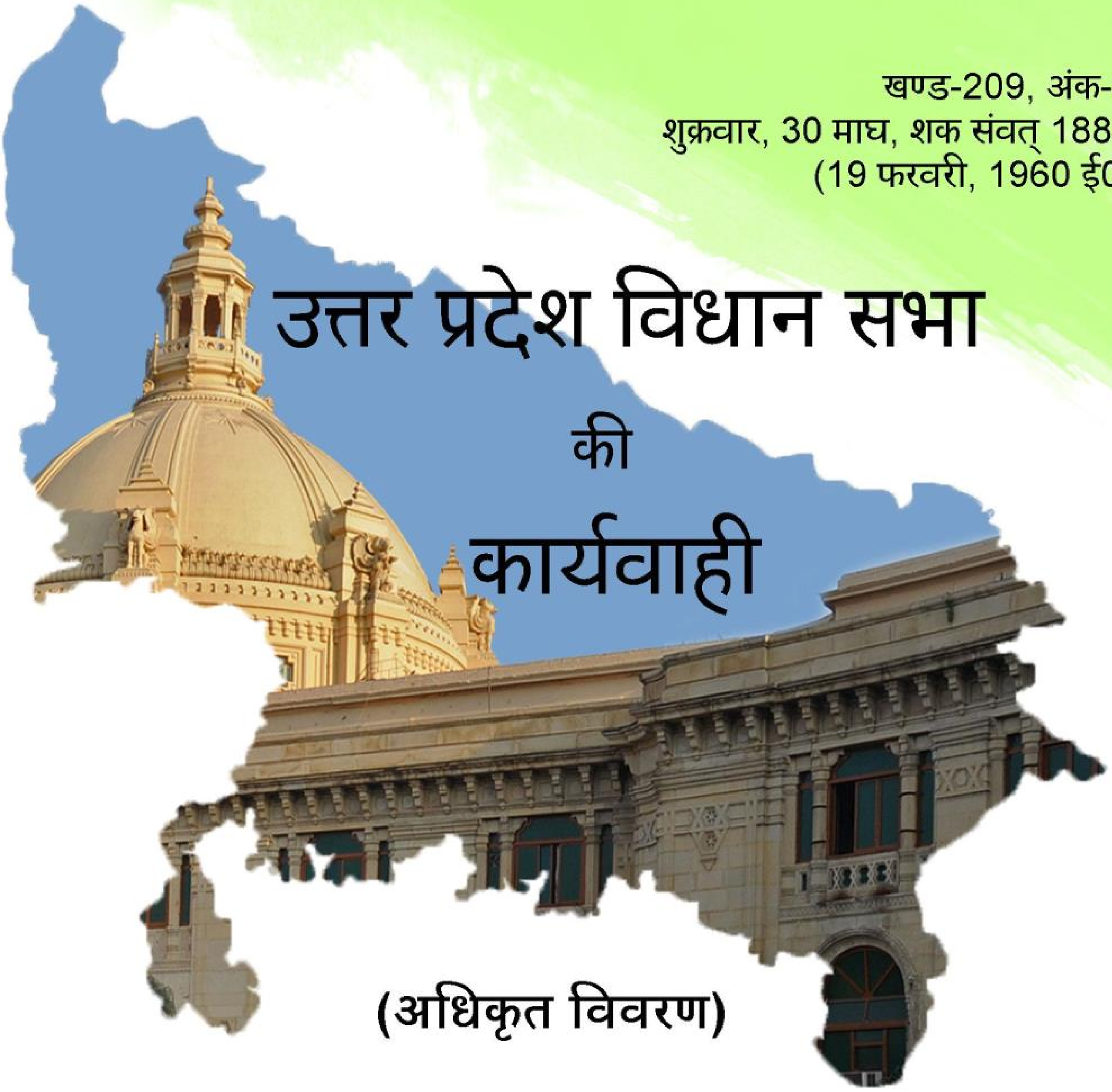

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 209 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १९ फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री

अग्रिम प्रदर्शन प्रति

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बालकराम, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभुषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री

रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार

उत्तर प्रदेश सभा

सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—सार्वजनिक निर्माण, उपमन्त्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १९ फरवरी, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पंजाबी चीनी मिल, देवरिया में पेराई

**१—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मंत्री देवरिया पंजाबी चीनी मिल, देवरिया द्वारा गत तीन वर्षों के गन्ना पेराई का विवरण अलग-अलग प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—वांछित सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	पेरे गये गन्ना की कुल मात्रा (लाख मनों में)
१९५६–५७	२७.०६
१९५७–५८	२९.८५
१९५८–५९	३२.६३

**२—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष कितना गन्ना इस मिल को दिया गया है और क्या यह आशा की जाती है कि वह उसे निर्धारित समय के अन्दर पेर सकेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वर्तमान सीजन में इस मिल को विभिन्न गन्ना यूनियनों द्वारा ३८.३० लाख मन गन्ना सप्लाई किये जाने का आफर हुआ है । आफर किये हुये गन्ने में से ३६.५६ लाख मन गन्ना पेराई के लिये उपलब्ध हो सकेगा । आशा की जाती है कि यह मिल इस गन्ने को आगामी मई के दूसरे सप्ताह तक पेर सकेगी ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस साल इस मिल में गत वर्षों के औसत के अनुसार पेराई नहीं हुई है और इस साल चूंकि वहां पर कई ब्रेक डाउन्स हो चुके हैं और इसी वजह से वहां की जो गन्ने की यूनियनें हैं उन्होंने प्रस्ताव पास किया है कि यह जितना गन्ना दिया गया है वह फैक्टरी के क्षेत्र से बाहर है, तो वह इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह सही है कि इस साल मिल की पेराई में ब्रेक डाउन से दुश्वारियां आईं, लेकिन यह तो एक नार्मल चीज है और यकायक सारा गन्ना रोकना ठीक नहीं था और इसी वजह से हमारी नजर इस पर जरूर है कि हम देखें कि यह मिल जो गन्ना पेर रही है वह जल्द खत्म हो और कोशिश है कि मई तक वह न जाय तो बेहतर है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—यह तीनों वर्षों के औसत से ८९.५४ लाख मन होता है और एक साल का औसत करीब करीब २९ लाख मन का है और उत्तर में दिया गया है कि ३८ लाख मन का औसत इन्डेंट का दिया गया है । तो इस का क्या कारण है कि ब्रेक-डाउन हुये और यूनियनें कह रही हैं कि इतना गन्ना नहीं पेरा जा सकेगा और इस के लिये क्या व्यवस्था हो रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैंने जैसा निवेदन किया कि ३८.३० लाख मन गन्ने की जो बात है और इस ३८ लाख मन के आफर में से ३६.५६ मन मिल सकेगा और बाकी का अनुमान है कि कुछ कोल्हू वगैरा पर जायगा । कहा गया है कि मई के दूसरे सप्ताह तक जाना चाहिये, लेकिन कोशिश हमारी यह है कि अप्रैल तक चले तो अच्छा है । मई में न जाय तो बेहतर है । पर अभी मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कितना गन्ना उसमें से वापस लेकर और किस दूसरे मिल को देना पड़ेगा क्योंकि इनीशियल पीरियड में जो ब्रेक डाउन वगैरह हुआ तो उसकी क्षमता का हम पक्का पक्का निश्चय नहीं कर पाये । लेकिन विचार कर रहे हैं कि इस मिल का जो अधिक गन्ना है वह दूसरे मिल को दिया जाय तो किसको दिया जाय । किसानों का अहित न हो, उन्हें पैसा कम न मिले, इन सब बातों पर विचार करना पड़ता है । ऐसा लगता है कि कुछ डाइवरजन जरूर करना पड़ेगा ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—आधे से अधिक सीजन समाप्त होने वाला हो गया और केवल १/४ गन्ना पेरा गया है । तो आप कब तक यह व्यवस्था करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—२२ तारीख को केन कमिश्नर महोदय गोरखपुर जा रहे हैं । वह सारे लोगों को बुलाकर बात करेंगे । अलग अलग फैक्टरियों की समस्या को लेकर एक सामूहिक चित्र अपने सामने रखेंगे और देखेंगे कि किस ढंग से सारे गन्ने का डिस्पोजल कर सकते हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मार्च के बाद गन्ना सूख जाने के कारण किसान का नुकसान हो जाता है । इसलिये क्या सरकार गन्ने को पहले से दूसरे मिलों को देने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मार्च के बाद गन्ना सूख कर बहुत खराब हो जाता है, एकदम ऐसा तो नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि हल्के हल्के जैसे लू चलने लगती है ड्रायेज बढ़ता जाता है । तो जैसा मैंने निवेदन किया, इसी माह की २२ तारीख को केन कमिश्नर महोदय वहां जाकर देखेंगे और फिर कोई हल निकालने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन मार्च तक पूरा गन्ना पिर जाय यह संभव नहीं प्रतीत होता ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—इस बात का विचार करते हुये कि १।४ गन्ना अभी तक फैक्ट्री पेर पाई है, क्या रिजर्व एरिया को कम करने की बात पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—गन्ना डाइवर्ट करने की जो मैंने बात कही, वह रिजर्व एरिया से ही तो डाइवर्ट होगा, लेकिन प्रश्न यह है कि कितना होना है, कैसे होना है, कितना रिजर्व एरिया कम हो या कितना एसाइंड एरिया कम हो, यह जब तक कि गन्ना आयुक्त देखकर कोई तस्वीर न बना लें, कहना संभव नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—सरकार को यह सूचना कब मिली थी कि देवरिया मिल को जितना गन्ना सप्लाई करने का निश्चय किया गया है, उसको वह नहीं पेर सकेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—न पेर सकने की बात नहीं है । पेर तो सकेगी, लेकिन जिस अवधि की बात थी उसमें नहीं पेर सकती है । अब यह कि सरकार के पास सूचना कब आयी तो सरकार के पास हमेशा सूचना आती रहती है कि कितना गन्ना कौन क्रश कर रहा है । अब समय आ गया है जब कि उसकी कार्यक्षमता वगैरह देख ली गई है । अब जाकर केन कमिश्नर उसे देखकर तय करेंगे ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—इस मिल के सात आठ मजदूर निकाल दिये गये हैं तो सरकार इस पहलू से भी विचार करेगी ताकि कैपेसिटी बढ़ सके ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि मजदूरों का इसमें कोई हाथ है । उनके सवाल से मालूम होता है कि मजदूरों ने उत्पादन को कम कर दिया । मैं इस लांछन को सही नहीं समझता हूं । वह मजदूर इतने अच्छे नेतृत्व में हैं कि अपने असंतोष का असर वह उत्पादन पर डालने वाले नहीं हैं ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है कि मिल को जो गन्ना एरिया दिया जाता है वह मिल की इच्छा के अनुकूल नहीं दिया जाता, मिल की शक्ति देख कर रिजर्वेशन नहीं होता ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं । शक्ति देख कर होता है । लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस मिल का ब्रेक डाउन हो गया और अपनी कैपेसिटी पूरी क्रश नहीं कर पाती है ।

शिक्षा दल ऐक्ट का कार्यान्वयन न होना

****३—श्री मुहम्मद सुलेमान अधमी** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि प्रदेशीय शिक्षा दल ऐक्ट जो अक्तूबर, सन् १९५८ में पास हुआ, अब तक उसका अमल दरामद क्यों नहीं हुआ और उसके रूल अब तक विधान सभा के सामने क्यों नहीं रक्खे गये ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

देवरिया नगरपालिका के निलम्बित मंत्री

****४—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया नगरपालिका के मंत्री के अलग किये जाने का प्रश्न गत तीन-चार साल से चल रहा है और सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? उस पर क्या निर्णय हुआ है ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—जी नहीं । नगरपालिका देवरिया के मंत्री को अध्यक्ष द्वारा दिनांक १० जुलाई, १९५८ को मुअत्तल किया गया था । उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को २४ सितम्बर, १९५९ को सीधे ही भेज दिया था जिसे उनको वापस करते हुये कहा गया था कि जिलाधीश के माध्यम द्वारा भेजें । अभी तक जिलाधीश से इस संबंध में कोई रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस रिपोर्ट के आने के बाद गोरखपुर के कमिश्नर ने नगरपालिका को बाध्य किया कि वह पुनः मंत्री को अपने स्थान पर कार्य करने का अवसर दें ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां । जब यह जांच की कार्यवाही पूरी हो गई तो मंत्री ने आयुक्त से यह प्रार्थना की अब जांच की कार्यवाही पूरी हो गई इसलिये हमको पदारूढ़ कर दिया जाय जिसको कमिश्नर ने उचित समझा और अध्यक्ष से कहा कि उसे पदारूढ़ कर दिया जाय । अध्यक्ष ने यह प्रार्थना जरूर की थी कि जब तक मामला शासन के विचाराधीन है तब तक मंत्री को मुअत्तल रखा जाय, लेकिन कमिश्नर इससे सहमत नहीं हुए इस लिये अध्यक्ष ने उसे पदारूढ़ कर दिया ।

खाद्यान्नों के बढ़ते मूल्यों को रोकने के लिये प्रार्थना

**५—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कतिपय जिलों में खाद्यान्नों के दाम बढ़ने शुरू हो गये हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—जी हां।

**६—श्री झारखंडेराय—क्या खाद्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इसकी रोक थाम के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—भावों की रोक थाम के लिये सरकार ने जहां कहीं आवश्यक समझा है अतिरिक्त सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने की स्वीकृत दी है, दुकानों पर दैनिक बिक्री की मात्रा बढ़ा दी है तथा पूर्वी जिलों को सभी दुकानों पर साधारण राशन के अतिरिक्त अलग से भी चना खरीदने की स्वीकृति दी है।

श्री झारखंडेराय—मंत्री जी बतायेंगे कि इस आदेश के देने के बाद कितनी दुकाने कुल खुलीं प्रदेश में और दैनिक मात्रा में अन्न की बिक्री कितनी बढ़ा दी गई तथा कितना चना देने की आज्ञा दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके बाद ५२ दुकानें और बढ़ाई गईं प्रदेश के अन्दर और दैनिक अन्न की मात्रा २५ मन से बढ़ा कर ४० मन कर दी गई कुछ पूर्वी जिलों में तथा कवाल टाउंस और मेरठ तथा बरेली में २५० रुपये से ऊपर की जो आमदनी वाले आदमी हैं उनको भी राशन दिया जाता है ताकि कीमतें न बढ़ पायें।

श्री झारखंडेराय—कितना चना देने की आज्ञा दी गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हर दूकान पर ५० परसेंट मोटा अनाज दिया जायगा जिसमें चना भी सम्मिलित है और ५० परसेंट में गेहूं और चावल होगा तथा दैनिक अन्न की मात्रा २५ मन से ४० मन कर दी गई है। इसके अतिरिक्त पूर्वी जिलों में राशन के अलावा एक बार में २ रुपये का चना खरीदने की भी व्यस्था कर दी गई है।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि इस आदेश के बाद अन्न की कीमतों में कमी हुई है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह साल का ऐसा समय होता है जिसमें स्वाभाविक तौर पर दाम बढ़ जाया करते हैं। लेकिन कोई बहुत विशेष नहीं बढ़े हैं, आठ आने से १ रुपया तक की वृद्धि हुई है। सीजन का आखरी वक्त है तथा कुछ इलाकों में वर्षा न होने की वजह से थोड़ी सी खाद्यान्नों की कीमत में वृद्धि हुई है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या खाद्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ५० परसेंट मोटा अनाज देने की जो बात कही गई है उसमें यूनिट होल्डर की मर्जी पर है कि जितना मोटा अनाज चाहें लेलें और वह उनको दे दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—५० परसेंट लेना जरूरी होता है और ५० परसेंट मोटा अनाज है। उसमें चाहे चावल लेलें या गेहूं लेलें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि फरवरी के महीने में खाद्यान्नों की कीमत क्या थी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, पिछले साल इन्ही दिनों ३० रुपये भाव था और इस साल ६ और ७ रुपये के बीच में कीमत कम है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पारसाल तो २९–३० रुपये मन कीमत थी तो इस साल २२ और २३ रुपये मन क्यों है ? क्या यह संकेत करता है कि दाम बढ़ कर आगे जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप बहस कर रहे हैं इसमें तर्क कम है। तुलना एक साल के अन्दर होती है पार साल की नहीं हो सकती।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—यह दाम बढ़ने की इत्तला किन किन जिलों से आई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मुरादाबाद, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, मुजफ्फरपुर, रामपुर, हापुड़, गाजियाबाद, सीतापुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, अकबरपुर, फैजाबाद और अयोध्या।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जो आदेश दिया है अतिरिक्त गल्ला बेचने का वह केवल उन्ही दुकानों के लिये दिया गया है जिनको इस सदन में बतलाया गया या पूरे प्रदेश के लिये वह आदेश दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—केवल पूर्वी जिलों के लिये ही दो रूपये का राशन लेने के अलावा चना २ रूपये का एक बार में लेने की इजाजत है और मात्रा भी २५ मन से बढ़ा कर ४० मन है जिसमें ५० परसेंट मोटा अनाज लेना अनिवार्य है और ५० परसेंट अपनी इच्छा के अनुसार लें सकते हैं।

तारांकित प्रश्न

गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती जिलों में मालगुजारी व तकावी की वसूली

*१—**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती जिलों की अलग अलग तहसीलों की सन् १३६७ फ० की कुल मालगुजारी किसानों पर क्या है तथा उनमें कितना अब तक वसूल किया गया और कितना बाकी है ?

राजस्व उपमंत्री श्री (महावीरप्रसाद शुक्ल)—सूचना एकत्र की जा रही है।

*२—**श्री अमरनाथ**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती जिलों की अलग अलग तहसीलों में वर्तमान वर्ष में कुल कितनी तकावी किसानों पर बकाया थी और उनमें कितनी अब तक वसूल हुई और कितनी बाकी है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सूचना एकत्र की जा रही है।

*३—**श्री अमरनाथ**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के वह कौन कौन से जिले हैं जहां सूखा और बाढ़ के कारण मालगुजारी और तकावी की वसूली वर्तमान समय में स्थगित है और जिस वक्त स्थगित की गई उस वक्त मालगुजारी और तकावी किसानों पर कितनी बाकी रह गई थी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अमरनाथ—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कार्य सूची देखने से पता चलता है १८–१२–५९ को यह प्रश्न सरकार के पास भेजा गया था। दो महीने हो गये, लेकिन सूचना एकत्र नहीं हो सकी। तो मैं फिर सरकार से जानना चाहूंगा कि यह सूचना कब तक एकत्र हो जायगी जब सदन में सरकार जवाब दे सकेगी ?

श्री अध्यक्ष—जवाब तो सरकार देगी ही। सूचना कब तक एकत्र हो जायगी इसके बारे में माननीय मंत्री बतला दें।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---चार जिलों पर कितनी मालगुजारी है, कितनी तकावी है और कितनी उसमें वसूल हुई, यह इतने डिटेल का सवाल है कि इसमें डेढ़ महीना और लगेगा।

*४---श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---[माननीय सदस्य की प्राथना पर २६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

होली के अवसर पर चलती ट्रेनों पर कीचड़ व पत्थर फेंकना

*५---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार को पता है कि फैजाबाद-सुल्तानपुर के इधर रेलवे लाईन के पास ग्रामों के लड़कों द्वारा चलती ट्रेनों पर प्रायः पत्थर आदि मारने के कारण यात्री व रेलवे कर्मचारी आहत होते रहते हैं?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---ऐसी एक घटना होने की सूचना कुछ समय पूर्व मिली थी।

*६---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार को पता है कि गत ९ नवम्बर को ४ ए० एफ० पैसेन्जर में अयोध्या जी से लौटने वाले सुल्तानपुर के श्री भगलूराम के फैजाबाद से दो मील आगे लाईन के समीप के गांव के किसी लड़के द्वारा मारे जाने वाले नुकीले तीर के आंख में घुस जाने के फलस्वरूप उनकी आंखों, कानों, नकुओं व मुंह से खून के श्रोत के कारण बड़ा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित हो गया था और डिब्बे के यात्रियों में बड़ी खलबली मच गई थी तथा उक्त मुनीम जी का शरीरांत हो गया था?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। इस सम्बन्ध में धारा ३०४ भा० द० वि० तथा धारा १२७ रेलवे ऐक्ट के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है। एक व्यक्ति गिरफ्तार भी किया गया है। जांच अभी जारी है।

*७---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह उक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में तथा विशेषकर होली के समय आम तौर से होने वाली इस प्रकार की घटनाओं को अपने प्रदेश में रोकने के लिय क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रामस्वरूप यादव---इस प्रकार की घटनाओं को इस प्रदेश में रोकने के लिये रेलवे लाईनों के निकटवर्ती गांवों में रहने वालों को सचेत कर दिया जाता है कि ऐसी कोई घटना होने पर अपराधियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी उक्त घटना के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन, प्रश्न ६ के उत्तर में दिया है कि एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री इस तरह की प्रायः होने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---चलती हुई गाड़ियों पर रास्ते में बच्चे ढेले वगैरा फेंकते हैं। अब उसमें यह ठोस कार्यवाही तो हो नहीं सकती कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक रेलवे लाईन के किनारे किनारे पुलिस की नियुक्ति की जाय। गांव वालों से कह कर उसको रोकने की कोशिश की जाय, यही हो सकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव---माननीय मंत्री जी को याद होगा कि गत वर्ष ऐसे ही एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि रेलवे लाईनों के किनारे जितने गांव हैं उनके

प्रधानों को सरकार लिखेगी कि वे इसमें सहयोग करें। तो क्या प्रधानों को लिखा गया कि इसमें सहयोग करें कि होली के अवसर पर जो कंकड़ और कीचड़ वगैरह फेंके जाते हैं वे न फेंके जायं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसका उत्तर प्रश्न संख्या ७ में दिया गया है। प्रधानों को लिखने की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो गांव रेलवे की पटरियों और स्टेशनों के नजदीक पड़ते हैं वहां के गांव वालों को यह कहा गया है कि इस चीज की रोक थाम करें और अगर ऐसी कोई घटना होगी तो फिर कार्यवाही करने में उनको भी तकलीफ हो सकती है क्योंकि ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर, लखनऊ आदि शहरों में भी होली के अवसर पर इस प्रकार की दुर्घटनायें होती हैं और कीचड़ और मैला तक फेंका जाता है उसको रोकने की कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--लोगों में सौजन्य और शील उत्पन्न करने की चेष्टा की जा रही है कि कीचड़ वगैरा नहीं फेंका जाना चाहिये।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर और फैजाबाद के बीच में जो दुर्घटना हुई है उसके सम्बन्ध में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह लड़का है या कोई वयस्क ?

श्री रामस्वरूप यादव--सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल--किस धारा के अन्तर्गत उसको गिरफ्तार किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--३०४, भारतीय दंड विधान।

श्री रामायणराय--क्या माननीय मंत्री जी रेलवे मिनिस्ट्री को यह लिखने की कृपा करेंगे कि होली के दिनों में जो गाड़ियां चलाई जायें उनकी खिड़कियां एसी बनाई जायं जिनसे पत्थर पास न कर सकें।

(हंसी)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसी खिड़कियां लगाने के बाद वह बालकों से यह कहेगी कि उन पर ढेले पत्थर फेंक कर इस बात की परीक्षा लेलें कि वे टूटती हैं या नहीं।

(हंसी--उपर्युक्त दोनों प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया गया)।

एल० आर० मैन्युअल में संशोधन की मांग

*८--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, १९५९, में न्याय (ख) विभाग की ओर से सरकार ने जिलाधीशों के पास एल० आर० मैन्युअल के चैप्टर १४ के पैरा २३७ में संशोधन करने के लिये राय मांगी है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--जी नहीं।

*९--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या किसी भी जिलाधीश ने ऐसा भी सुझाव दिया है कि जैसी सी० आई० डी० के पी० पी० को एल० आर० मैन्युअल के पैरा २३७(ई) के अनुसार सेशन कोर्ट में मुकदमा करने का अधिकार है उसी प्रकार उन पी० पी० को भी जो जिले के पुलिस विभाग में नियुक्त हैं एल० आर० मैन्युअल के पैरा २३७ (एफ) में संशोधन करके सेशन कोर्ट में मुकद्दमा करने का अधिकार दिया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी कि जिस तरह से सी० आई० डी० के पी० पी० सेशन के मुकद्दमों में अदालतों में पैरवी के लिये जाया करते हैं उसी तरह से पुलिस विभाग के पी० पी० भी सेशन के मुकद्दमों में पैरवी के लिये जाया करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिला पुलिस और रेलवे पुलिस के सीनियर पी० पीज० को तो इजाजत है कि सेशन के कुछ मुकद्दमों में चाहे तन्हा पैरवी करें चाहे वहां के डी० जी० सी० के साथ में करें।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दूसरों को इजाजत देने में क्या क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--अभी इस पर विचार नहीं किया ।

श्री चन्द्रजीत यादव--जब पी० पी० सेशन कोर्ट में मुकदमों की पैरवी करने के लिये जाते हैं तो क्या सरकार उन्हे कोई अतिरिक्त भत्ता देती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वह तो होल टाइम नौकर हैं ही। भत्ता अधिक देने की क्या जरूरत है ।

महमूदाबाद थाने के अन्तर्गत अपराध की विभिन्न घटनायें

*१०--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के अन्तर्गत थाना महमूदाबाद में १ जनवरी, सन् १९५७ से ३० सितम्बर, १९५७ ई० तक १ जनवरी, १९५८ ई० से ३० सितम्बर, १९५८ तक तथा १ जनवरी, १९५९ से ३० सितम्बर, १९५९ तक कत्ल, डकैती, चोरी, राहजनी की प्रत्येक माह कितनी घटनायें हुयीं हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५३६ पर)

गड़हन बुजुर्ग ग्राम की डकैती

*११--**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला अन्तर्गत कन्धरापुर थाने के गड़हन ग्राम में अक्तूबर या नवम्बर, १९५९ में कोई सशस्त्र डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो इसमें कितने डाकुओं से लड़ते हुए मारे गए और कितने घायल हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, आजमगढ़ जिला अन्तर्गत कन्धरापुर थाने के गड़हन बुजुर्ग ग्राम में २५-२६ अक्तूबर, १९५९ की रात्रि में एक सशस्त्र डकैती पड़ी थी । डाकुओं ने गोलियां चलाकर चार व्यक्तियों को आहत किया, जिनमें से दो व्यक्ति अस्पताल पहुंचते ही मर गये ।

*१२--**श्री मुक्तिनाथराय**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह उक्त मृतकों के आश्रितों को मासिक पेंशन स्वीकृत करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं। इस सम्बन्ध में प्रधान पुलिस निरीक्षक, उत्तर प्रदेश से शासन को कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रधान पुलिस निरीक्षक, उत्तर प्रदेश का प्रस्ताव कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

श्री रामस्वरूप यादव--साधारणतया जब तक मुकदमे का फैसला नहीं होगा तब तक वह कोई प्रस्ताव शायद सरकार को न भेजें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों की हत्या हुई वह वही लोग थ जिनके यहां डाका पड़ा था या वह लोग थे जो मदद के लिये दौड़ कर गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---जो लोग बाहर सो रहे थे, कुल चार घायल हुये थे, उसमें से दो मर गये।

श्री मुक्तिनाथराय---उक्त ग्राम में क्या कोई सुरक्षा समिति का निर्माण हुआ था और किसी व्यक्ति के पास बन्दूक का लाइसेंस था या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना की आवश्यकता होगी।

पटवा डागर इन्स्टीट्यूट में 'निरोधक वैक्सीन' बनाने की प्रार्थना

*१३---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय वैक्सीन इन्स्टीयूट पटवा डागर, जिला नैनीताल में कब से स्थापित है और उसमें १९५७-५८ तथा १९५८-५९ के दो वित्तीय वर्षों में चेचक क वक्सीन का कितना निर्माण हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह इंस्टीट्यूट सन् १९०३ से स्थापित है और १९०४ से उसमें वैक्सीन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ। सन् १९५७-५८ तथा १९५८-५९ के दो वित्तीय वर्षों में चेचक के वैक्सीन निर्माण की मात्रा निम्न प्रकार है।

१९५७-५८	१९५८-५९
४,२७,४२७ ग्राम	६,१५,७२२ १/२ ग्राम

*१४---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही उक्त इंस्टीट्यूट में निरोधक वैक्सीन के निर्माण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो "निरोधक वैक्लीन" के इस्तेमाल से किस प्रकार के रोगों का लाभ होगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस इंस्टीट्यूट में चेचक की एक दूसरे प्रकार की निरोधक वैक्सीन के जो "फ्रीज ड्राइड" होगी, निर्माण करने का प्रश्न विचाराधीन है। यह वैक्सीन भी केवल चेचक की रोक थाम के लिये ही प्रयोग में आ सकेगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चेचक की वैक्सीन के अतिरिक्त अनुरोधक वैक्सीन के निर्माण की आवश्यकता क्या किसी विशेषज्ञ के सुझाव के स्वरूप समझी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां। अनाड़ी थोड़े ही कोई बता सकता है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी सुझाव की मुख्य-मुख्य बातें सदन के सम्मुख बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी तो विचाराधीन है। जब तय हो जायगा तब रखगें और पाइलेट प्रोजेक्ट हम पहले करना चाहते हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---निरोधक वैक्सीन का निर्माण क्या शुरू हो गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी नहीं।

*१५---श्री हिम्मतसिंह---[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

संग्रह अमीनों को यात्रा भत्ता न मिलना तथा संग्रह चपरासियों की कार्य अवधि

*१६--आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बस, तांगा और बाइसिकिल से यात्रा करने वाले संग्रह अमीनों का यात्रा भत्ता देने पर वह विचार कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी नहीं।

*१७--आचार्य दीपंकर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संग्रह अमीनों के साथ कार्य करने वाले संग्रह चपरासी--जो पहले छमाही में तीन माह कार्य करते थे, अब सरकारी आदेश द्वारा केवल दो माह कार्य करने लगे हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी नहीं। फसली संग्रह चपरासियों की नियुक्ति की अवधि में एक माह की कमी केवल १३६६ फसली में यह अनुभव करने के लिये की गई कि अवधि घटाने से वसूली का काम सुचारु रूप से चल सकेगा या नहीं। चूंकि अनुभव से अवधि का घटाना अहितकर साबित हुआ, अतः नियुक्ति की अवधि फिर बढ़ा कर तीन महीने कर दी गई।

आचार्य दीपंकर--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे जो संग्रह अमीन रेलों से सफर करते हैं सरकारी काम से उनको ५ रुपये एलाउन्स मिलता है तो बसों से और अपने निजी साधनों से सफर करने वाले संग्रह अमीनों को भी यह यात्रा भत्ता न देने के क्या कारण हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--रेल से यात्रा करने वाले सभी अमीनों को भत्ता नहीं मिलता। केवल उन्हीं को मिलता है जो क्लेक्टरी के पुनर्संगठन के शासनादेश के समय ३१ दिसम्बर, १९५९ को रेल से सफर करते थे और इस बात पर विचार किया गया कि जो रोड से सफर करते हैं उनको भत्ता दिया जाय इससे तो आठ लाख रुपये के करीब अनुमानित व्यय के होने का अन्दाज हुआ जो सरकार की आर्थिक शक्ति के बाहर पड़ता था। इसलिये उसे स्वीकार नहीं किया गया।

आचार्य दीपंकर--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सोचते हुये कि रेलवे से यात्रा करने वाले संग्रह अमीनों के लिये ५ रुपये जिस प्रकार से फिक्स कर दिया गया है उसी प्रकार यदि यही ५ रुपये इनके लिये भी फिक्स कर दिया जाय तो शायद इतना व्यय नहीं पड़ेगा, इस पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिस वक्त अमीनों की तनख्वाह मुकर्रर की गई थी तो इन सब बातों को देखभाल करके तब मुकर्रर की गई थी।

आचार्य दीपंकर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पूर्वोक्त निर्णय किस मास में किया गया है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--यह आदेश हाल ही में दिया गया है"।

मैनपुरी के सरकारी अस्पताल में कम्पाउण्डरों की कमी

*१८--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी के सरकारी अस्पताल के अधिकारियों ने पिछले चार साल से हर साल सरकार के पास लिखा पढ़ी की है कि अस्पताल में कम्पाउन्डर कम हैं, बढ़ाये जायें ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां।

*१९—श्री गनेशचन्द्र काछी—यदि हां, तो उस लिखा-पढ़ी के सिलसिले में अब तक क्या कर्यवाही की गयी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जिला अस्पताल मैनपुरी में अगले वित्तीय वर्ष से दो कम्पाउन्डर्स के पदों के बढ़ाये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अगले वित्तीय वर्ष में किस तारीख तक कम्पाउन्डर पहुंच जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पहली अप्रैल से जब बजट लागू होगा तभी उसके बाद बन्दोबस्त होगा।

तिब्बती शरणार्थियों पर व्यय

*२०—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तिब्बत से आये हुए शरणार्थियों पर प्रदेश का कुल कितना खर्चा हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कोई खर्चा नहीं हुआ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब से चीन ने तिब्बत की आटोनामी का अपहरण किया है तब से अब तक कितने तिब्बती रिफ्यूजी हिन्दुस्तान में आये हैं और उनके मेंटिनेंस का खर्चा कौन करता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—शुरू में अल्मोड़ा जिले में १४५ व्यक्ति आये थे। बाद में ४४ आये। कुछ वापस चले गये। गढ़वाल में ४४ आये और थानागढ़ कैम्प में इस वक्त १२९ व्यक्ति हैं। उनके ऊपर खर्चा केन्द्रीय सरकार करती है।

श्री प्रतापसिंह—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे, उन्होंने जो सूचना दी वह अल्मोड़े की दी, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो देहरादून में दलाई लामा के साथ रिफ्यूजी आये जिनके इन्चार्ज देहरादून के ए० डी० एम० बनाये गये उस कैम्प पर उत्तर प्रदेश सरकार का कितना खर्चा हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि यह शुरू से दलाई लामा की पार्टी पर या उनके साथ जो रिफ्यूजी आये हैं उन पर भारत सरकार खर्चा कर रही है, उसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

किछा तहसील में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्प

*२१—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ में तहसील किछा, ग्राम खटिमा, आर्य नगर और नये नगर में हरिजन कल्याण विभाग की ओर से कितने हैण्ड पम्प लगाये गये और उनका कितने का एस्टीमेट था ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—दो हैण्ड पम्प लगाये गये। हर एक पम्प का इस्टीमेट ३०० रुपये था।

*२२—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त हैण्ड पम्प के बिलों का भुगतान हो गया या नहीं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—भुगतान हो गया।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो भुगतान किया गया वह कितने वर्षों के बाद किया गया ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—भुगतान तो समय पर किया गया, लेकिन जो कंट्रेक्टर था उसने पहले तो लेने से इन्कार किया, लेकिन जब उसको परिस्थिति बतलाई गई तो उसने ले लिया।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार यह बतलायेगी कि जो पम्प लगाये गये वह पानी दे रहे हैं या बन्द हो गये हैं और उनकी कितनी बोरिंग हुई ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जब पम्प लगाये गये तो वह पानी देने के लिये ही लगाये गये हैं।

*२३—**श्री हिम्मतसिंह**—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

खीरी जिले में रजिस्ट्रार कानूनगोयान को स्पेशल वेतन न मिलना

*२४—**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसीलों में काम करने वाले रजिस्ट्रार कानूनगोयान को स्पेशल वेतन कितना और कब से दिया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—१५ रुपया मासिक स्पेशल वेतन १ अप्रैल, १९४७ से दिया जा रहा है ।

*२५—**श्री भीखालाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर-खीरी जिले में काम करने वाले रजिस्ट्रार कानूनगोयान को यह स्पेशल वेतन १९५६-५७, १९५७-५८ व १९५८-५९ में दिया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्री बिन्दा प्रसाद रजिस्ट्रार कानूनगो को १-१-५६ से २८-२-५९, श्री भजनलाल रजिस्ट्रार कानूनगो को १-७-५७ से २८-२-५९ तथा श्री संकठा प्रसाद को १-४-५८ से २८-२-५९ तक का स्पेशल वेतन तत्सम्बन्धी प्राविधानों का जिले में ठीक अर्थ न समझे जाने के कारण नहीं दिया जा सका । अब उन्हें उक्त अवधियों का स्पेशल वेतन देने की व्यवस्था की जा रही है ।

गोरखपुर से आंख अस्पताल के सम्बन्ध में स्मृति-पत्र

*२६—**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि मई, १९५९ में गोरखपुर के नागरिकों ने उनके पास गोरखपुर आंख अस्पताल शाखा सीतापुर के सम्बन्ध में कोई स्मृति-पत्र भेजा था ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने कौन सी कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां । उस पर विचार किया गया किन्तु किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

*२७—**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार स्मृति-पत्र की मांगों को सूची सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मांगों की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५३७ पर)

मोहम्मदपुर बसोखा के किसानों पर मुकदमा

*२८—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के थाना हसनगंज में ग्राम मोहम्मदपुर बसोखा के किसानों पर चकबन्दी अधिकारियों की रिपोर्ट पर थाने की पुलिस ने कोई केस चलाया है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों पर और उसमें क्या औरतों पर भी केस चलाये गये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२९—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त थाने में अभियुक्तों में से किसी ने चकबन्दी कर्मचारियों के व्यवहार के प्रति थाना हसनगंज में रिपोर्ट की है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सजीवनलाल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जब सूचना एकत्र हो जायगी तो उत्तर दिया जायगा या पुनः प्रश्न करने पड़ेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—उत्तर दिया जायगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सरकार के पास उत्तर प्राप्त नहीं था और उत्तर प्राप्त करने के लिये ही प्रश्न किये गये थे तो इस एजेन्डे पर यह प्रश्न छापने का कष्ट क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष—अन्तरिम उत्तर देने का अधिकार सरकार को है ।

समाजवादी दल की ओर से जिलाधीश देवरिया को किसानों का मांग-पत्र

*३०—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में देवरिया में किसानों द्वारा १० मई, १९५९ को जिलाधीश को दिये गये मांग-पत्र के सम्बन्ध में २८-८-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १८ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने उक्त मांग-पत्र में उल्लिखित मांगों में से मांग संख्या १ (ख) और २ (ग) की पूर्ति की क्या व्यवस्था की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न में उल्लिखित मांग-पत्र में दी गई मांगों में से मांग संख्या १ (ख) ऐसी है जिससे सरकार का कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है । इस कारण इस मांग की पूर्ति का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

मांग-पत्र की मांग संख्या २ (ग) (प्रथम भाग) अस्पष्ट है । इस मांग से साफ साफ यह जाहिर नहीं होता है कि हिन्दी की प्रिंटर मशीनों की व्यवस्था करने का तात्पर्य आया सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की टाइप राइटर मशीनों की व्यवस्था से है या सरकारी मुद्रणालयों में हिन्दी के मुद्रण यंत्रों की व्यवस्था से है या इस मांग का कोई और मतलब है । इस अस्पष्टता के कारण इस मांग की पूर्ति का भी प्रश्न पैदा नहीं होता है । मांग संख्या २(ग) (दूसरा भाग) के बारे में ११ सितम्बर, १९५९ ई० के तारांकित प्रश्न संख्या ११२ के उत्तर में सदन की मेज पर आवश्यक सूचना रख दी गई थी ।

गहमर में भुखमरी से मृत बालक के सम्बन्ध में शोक प्रस्ताव

*३१—राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि मो० गहमर, जिला गाजीपुर में सितम्बर सन् १९५९ में किसी सोनार का लड़का भूख से मरा तथा उसकी मृत्यु पर ग्राम के ग्राम समाज ने कोई प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रस्ताव की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

*३२—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया ।]

कानपुर के दैनिक-पत्र 'सियासत' को सरकारी विज्ञापन न मिलना

*३३—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् ५८-५९ व ५९-६० में कानपुर तथा लखनऊ नगरों से प्रकाशित किन-किन उर्दू दैनिक पत्रों को सरकारी विज्ञापन कितना-कितना दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके संकलन में बहुत समय लगेगा और समय तथा परिश्रम की दृष्टि से फल लाभप्रद न होगा । १९५८-५९ व १९५९-६० में लखनऊ के हक तथा कौमी आवाज को विज्ञापन दिये गये । कानपुर के किसी उर्दू दैनिक को विज्ञापन नहीं दिये गये ।

*३४—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में कितने उर्दू के दैनिक-पत्र किन-किन स्थानों से प्रकाशित होते हैं तथा उनका सर्कुलेशन कितना है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सूची संलग्न है । सर्कुलेशन के लिये प्रेस रजिस्ट्रार भारत सरकार को लिखा गया है । अभी तक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५३८ पर)

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उर्दू पत्रों को विज्ञापन देने के लिये सरकार किस कसौटी पर कसती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो समाचार-पत्र अश्लील या दूषित समाचार या साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाले समाचार प्रकाशित नहीं करते हैं उनको दे देते हैं और जिनका सर्कुलेशन भी काफी होता है उनको देते हैं ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो सूची कानपुर के अखबारों की मुझे दी गई है उनमें जो पैगाम और सियासत नाम के दो अखबार हैं वह इस कसौटी पर, जो आपने बताई, उस पर क्यों नहीं उतरे और उनको विज्ञापन क्यों नहीं दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दो शर्तें और हैं; एक तो वह ६ महीने से निकलते हों और दूसरे एक हजार से ऊपर उनका सर्कुलेशन हो । सम्भव है उनका सर्कुलेशन एक हजार से ऊपर न हो ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना को सूचना मानकर इस सियासत अखबार का जो सर्कुलेशन है वह ५, ७ हजार के ऊपर है, उसको विज्ञापन देने पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सियासत अखबार का सर्कुलेशन कुछ भी हो, लेकिन उसको साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाला पत्र समझा जाता है इसलिये उसको नहीं दिया जाता ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि वे कौन से आधार हैं जिनकी बिना पर वह इसे साम्प्रदायिक अखबार बता रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनके विरुद्ध इस सम्बन्ध में कई बार कानूनी कार्यवाही की जा चुकी है ।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जितनी बार इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी है, अदालतों से वह निर्दोष छूटे हैं ? तो क्या इसलिये उसको साम्प्रदायिकता से मुक्त अखबार नहीं घोषित किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, कानूनी ढंग से निर्दोष छूटना दूसरी बात है, लेकिन साम्प्रदायिकता फैलाते या नहीं इसको तय करने के लिये तो हम अपने विवेक से काम लेते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अपने जिस विवेक से इसको साम्प्रदायिक घोषित किया है उसका वह विवेक क्या किसी न्यायालय में सही सिद्ध हो चुका है किसी मुकदमे के सिलसिले में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो बड़ी तफसील का प्रश्न है। इस के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

महात्मा गांधी कालेज, रायबरेली के प्रिन्सिपल के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*३५—**श्री भीखालाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महात्मा गांधी कालेज, रायबरेली की प्रबन्धक समिति ने प्रिन्सिपल के विरुद्ध अनियमित कार्र-वाइयां करने के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस कर्मचारियों पर कत्ल के आरोप

*३६—**श्री सजीवनलाल**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेशीय पुलिस विभाग के लोगों पर कितने कत्ल के आरोप सन् १९५७ व ५८ व नवम्बर, १९५९ तक लगाये गये और उन आरोपों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—सन् १९५७ में ८, सन् १९५८ में ४ और नवम्बर, १९५९ तक १६ कत्ल के आरोप उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों पर लगाये गये। उक्त आरोपों के सम्बन्ध में हुई कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५३९–५४० पर)

श्री सजीवनलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कर्मचारी न्यायालय द्वारा छूट गये हैं उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे केसेज में जिसमें पुलिस कर्मचारियों पर कत्ल करने का आरोप होता है, सरकार की ऐसी नीति है कि उसकी जांच बजाय पुलिस अधिकारी से कराने के पहले मैजिस्ट्रेट से करायी जाय ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना हुआ है। उसके खिलाफ जब तक उसमें संशोधन न हो तब तक कैसे कार्यवाही की जा सकती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस द्वारा हत्यायें सन् १९५९ में सन् १९५७ के मुकाबले में दुगुनी हुई हैं और १९५८ के मुकाबले में चौगुनी हुई हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—चौगुनी तो श्रीमन्, नहीं हुई। बाकी यह है कि जब हत्या का आरोप होता है तो उसकी जांच की जाती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि चौगुनी नहीं हुई और उत्तर में कहा गया है कि १९५७ में ८ व्यक्तियों की हत्या, १९५८ में ४ व्यक्तियों की और १९५९ में १६ की हुई। गणित शास्त्र जहांतक मैंने पढ़ा है ४ के चौगुने १६ होते हैं।

श्री अध्यक्ष---आपके प्रश्न में गोरखधंधा उनको मालूम हुआ, समझ में नहीं आया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---इसीलिये मैं वृद्धि का कारण पूछता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---कारण तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी चीज है। सरकार कार्यवाही कर रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सूची में जो दिया गया है कि दो सब-इंसपेक्टर और ५ कांस्टेबिलों के ऊपर जो कत्ल के अभियोग में मुकदमा चल रहा है वह थाने में एक आदमी का कत्ल हुआ उस सम्बन्ध में चल रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, तफसील नहीं है कि क्या आरोप था और किस सम्बन्ध में चल रहा है।

श्री अध्यक्ष---तो आप सूचना चाहते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

बाह तहसील में डाकुओं का आतंक

*३७---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि हाल ही में अर्थात् नवम्बर, १९५९ के लगभग आगरा जिले की बाह तहसील में मेवा, रामनाथ और लक्खू आदि डाकुओं ने आतंक फैला रखा है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---नवम्बर, १९५९ के लगभग बाह तहसील में उक्त डाकुओं के गगों ने कोई आतंक नहीं फैलाया। अतः कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं की गई।

*३८---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि आगरा जिले की बाह तहसील में सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर में इन तीन महीनों में डकैतियों और लड़कों के उठा ले जाने की कितनी घटनायें हुईं और कहां-कहां, क्या क्या घटनायें हुईं ?

श्री रामस्वरूप यादव---उक्त महीनों में बाह तहसील में कोई डकैती की या लड़कों को उठा ले जाने की घटना नहीं हुई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सूचना विभाग द्वारा पत्रों की जो कटिंग सम्बन्धित मंत्रियों के पास भेजी जाती है तो आगरे के स्थानीय दैनिक अखबारों के इन महीनों की कटिंग्स पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात पर गया है कि आगरे के समस्त दैनिक अखबारों में यह बातें छपी हैं कि यह आतंक छाया हुआ है बाह तहसील में इन महीनों में और कई लड़कों के उठाने और भगा ले जाने की घटनाएं हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो और अखबारों में छपा हो। हमारे पास तो यह रिपोर्ट है और मैं तो इस वर्ष के प्रारम्भ में बाह गया भी था। वहां की परिस्थिति पहले से बहुत ज्यादा सुधरी है और यदि कोई आतंक रहा भी हो तो काफी घट गया है।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)---क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाह और फतेहाबाद में जो दुर्घटनाएं होती हैं उनकी वहां के थानों में अब रिपोर्ट लिखना थानेदारों ने बन्द कर दिया है---वह रिपोर्ट लिखते ही नहीं हैं---इस प्रकार की शिकायत आपके पास आयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

लखनऊ के बनारसीबाग में प्रवेश के लिये प्रतिबन्ध

*३९—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित बनारसीबाग के अन्दर जाने पर क्या प्रतिबन्ध लगे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बनारसी बाग में प्रवेश करने पर टिकट लगा दिया गया है तथा उसमें निर्धारित समय के अन्दर ही कोई व्यक्ति आ जा सकता है ।

*४०—श्री त्रिलोकीसिंह (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रतिबन्ध कब से लगा है और उसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह व्यवस्था २५ नवम्बर, १९५७ ई० से की गई है । इस व्यवस्था के कारण निम्न लिखित हैं :

(१) बनारसी बाग और जू के रख-रखाव एवं उसकी उन्नति के लिये आय का प्रबन्ध,

(२) जान-बूझ कर बाग को अभद्र व्यक्तियों द्वारा उजाड़े जाना तथा जानवरों को छेड़ने की रोक थाम ।

केन्द्रीय और प्रादेशिक कर्मचारियों को समान मेडिकल सुविधायें देने की प्रार्थना

*४१—आचार्य दीपकंर—क्या सरकार प्रादेशिक कर्मचारियों को भी वे ही मेडिकल सुविधा देने की कृपा करेगी जो केन्द्रीय कर्मचारियों को हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं ।

आचार्य दीपकंर—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, प्रादेशिक सरकार के कर्मचारियों को उन्हें न देने का कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—धनाभाव ।

आचार्य दीपकंर—सरकार ने इस बात का कोई एस्टीमेट बनवाया था कि यदि प्रदेशीय कर्मचारियों को भी उसी स्तर पर सुविधाएं दी जांय जिस पर केन्द्र वालों को दी जाती हैं तो सरकार को कितना अधिक रुपया खर्च करना पड़ेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई जरूरत महसूस नहीं हुई बनाने की ।

विधायक निवासों के कर्मचारियों में हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों की कमी

*४२—श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ विधायक निवासों में कुल कितने व्यक्ति नीचे लिखे पद पर कार्य करते हैं ? उनमें से कितने क्रमशः परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के हैं :

(अ) चपरासी, (ब) केयर-टेकर, (स) क्लर्क, (द) इन्चार्ज दारुलशफा, (ह) फर्राश ?

*४३—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ विधायक निवासों में नीचे लिखे पद पर कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं : (अ) भिश्ती, (ब) मेहतर ?

श्री रामस्वरूप यादव---विधायक निवासों में चपरासी तथा अन्य पदों पर कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की तथा उनमें से परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या मेज पर रक्खी हुई तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५४१ पर)

श्री गयाप्रसाद---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन क्लर्कों, केयर-टेकरों तथा चपरासियों के स्थान पर एक भी व्यक्ति हरिजन और पिछड़ी हुई जाति का नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कोई खास कारण तो नहीं है । उचित उम्मेदवार नहीं मिले होंगे ।

श्री राजनारायण---उत्तर में कहा गया है कि ४ चपरासी, ४ केयरटेकर तथा ९ क्लर्क्स, तो क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इन पदों में से किसी एक के लिये भी किसी परिगणित अथवा पिछड़ी जाति के लोगों के प्रार्थना-पत्र आये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार की ओर से जो सूची वितरित की गयी है उसमें मेहतर २३ भरती किये गये हैं जो तेइसों परिगणित जाति के हैं तो इसका क्या कारण है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवासों में भिश्तियों और मेहतरों की संख्या पृथक-पृथक कितनी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---भिश्ती ७ हैं और मेहतर २३ हैं ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात को आवश्यक समझती है कि मेहतरों को जो आज तन्ख्वाह मिलती है अगर उसको बढ़ा दिया जाय तो उन पदों के लिये ब्राह्मण और भूमिहर लोग भी दरख्वास्त देंगे ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

फसल प्रतियोगिता के पुरस्कृत लोगों को रिवाल्वर देने की घोषणा

*४४---**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में यह घोषणा सन् १९५४ के बाद की गई है कि उत्तर प्रदेश फसल प्रतियोगिता के पुरस्कृत लोगों को रिवाल्वर का लाइसेंस दिया जायगा ? यदि हां, तो सरकार ने कितने ऐसे प्रार्थियों को रिवाल्वर का लाइसेंस उक्त घोषणा के पश्चात् प्रदेश में दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां । कृषि विभाग ने यह घोषणा की थी कि पुरस्कार विजेता को बन्दूक या रिवाल्वर का लाइसेंस यदि अन्यथा वह उपयुक्त हो तो दिया जायेगा । ऐसे कितने प्रार्थियों को लाइसेंस दिया गया यह सूचना एकत्र की जा रही है ।

*४५---**श्री रामस्वरूप वर्मा**---क्या यह सही है कि कानपुर जिले में तहसील पुखरायां की १९५७-५८ व १९५८-५९ के गेहूं की फसल प्रतियोगिता में क्रमशः तृतीय व प्रथम पुरस्कार विजेती को रिवाल्वर का लाइसेंस प्रार्थना-पत्र भेजने पर भी नहीं दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना एकत्र की जा रही है ।

*४६---**श्री रामस्वरूप वर्मा**---क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने नीति के स्पष्टीकरण हेतु दिनांक २-१२-५९ को पत्र लिखे ? यदि हां, तो स्पष्टीकरण न भेजने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। कृषि विभाग से परामर्श करने के पश्चात् स्पष्टीकरण भेजा जायेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय यह आवेदन-पत्र लाइसेन्स के लिये भेजे गये थे तब से अब तक उसकी सूचना न मिलने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव---पहले असल में डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर ने बिना गृह विभाग से परामर्श किये हुये यह घोषणा कर दी थी। बाद में यह सूचना इस विभाग को मिली। अब उस पर विचार हो रहा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---तो क्या सरकार अब उस घोषणा को रद्द करके पुनः शीघ्र ही कोई निर्णय देने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उस घोषणा को रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता है, हां, इस पर अभी विचार हो रहा है और शीघ्र ही उस पर निर्णय हो जायेगा।

कानपुर-कालपी रोड़ पर दुर्घटना

*४७---**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तारीख ९-२-५९ को कानपुर-कालपी रोड पर कानपुर से मील नं० १० व ११ के बीच एक मोटर ट्रक द्वारा टक्कर लग जाने से बैलगाड़ियों में बैठे कई आदमी व बैलगाड़ी के जानवर जख्मी हो गये तथा मर गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। ऐसी एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक आदमी व ३ बैलों की मृत्यु हो गई और ३ आदमी जख्मी हुए।

*४८---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में सरकार की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मोटर ट्रक के ड्राइवर का चालान धारा २७९/३०४-ए/३३४/४२९ ताजीरात हिन्द में किया और अदालत से उसे २५० रुपये का जुर्माना हुआ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जब एक आदमी और तीन बैल मर चुके हैं और ३ जख्मी हुये हैं, जुर्माना २५० रुपया हुआ, ऐसी हालत में मरे हुये आदमियों के परिवार के लिये कुछ सहायता दी जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार की तरफ से देने का प्रश्न नहीं उठता। जिसके ठेले से उसकी मृत्यु हो गई है उसके खिलाफ कार्यवाही वह कर सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---इस मरे हुये आदमी की पत्नी की तरफ से कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया है कि मेरे जीवन-निर्वाह के लिये प्रबंध किया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

कानपुर जिले में हरिजन सहायक उपसमिति द्वारा अनुदानों की स्वीकृति

*४९---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में पंचांग वर्ष १९५७ व १९५८ में हरिजन सहायक उपसमिति ने कुल कितने लोगों की सहायतायें स्वीकृत कीं और उनमें से अब तक कितने लोगों को सहायता प्राप्त हो चुकी है और कितनों को नहीं ? उपर्युक्त जिन लोगों को उक्त सहायतायें अब तक प्राप्त नहीं हो सकीं उसके क्या कारण हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---२२४ लोगों को अनुदान स्वीकृत किये गये जिसमें से ७९ व्यक्तियों को अनुदान प्राप्त हो गये हैं तथा १४५ को अभी प्राप्त नहीं हो पाये हैं।

स्वीकृत अनुदान प्राप्त न होने के कारण ये हैं कि कुछ अनुदान ग्रहीताओं ने आवश्यक प्रमाणित वाउचर प्रेषित नहीं किये हैं। कुछ प्रार्थना-पत्रों में त्रुटियां रह गईं जिन्हें ठीक कराया जा रहा है किन्तु अधिकांश ने तो अभी कार्य ही प्रारम्भ नहीं किया है।

टूंडला चौराहे पर पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग

*५०---**श्री रामसिंह चौहान वैद्य**---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें टूंडला, जिला आगरा के उन निवासियों की जो टूंडला चौराहे पर बसे हुये हैं कोई अर्जी टूंडला चौराहे पर पुलिस चौकी स्थापित करने हेतु प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, इस सम्बन्ध में प्रधान पुलिस निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्रतिवेदन मंगाया गया है।

*५१---**श्री रामसिंह चौहान वैद्य**---क्या गृह मंत्री को यह सूचना मिली है कि टूंडला चौराहे पर अक्सर लूट और राहजनी की दुर्घटनायें गत दो-तीन माह से अधिक बढ़ गई हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---उक्त स्थान पर पिछले ४ महीनों में डकैती, राहजनी अथवा चोरी की कोई घटना नहीं हुई।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य---यह व्यवस्था कब तक हो जायगी, कुछ अन्दाज है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस पर विचार हो रहा है। शीघ्र ही निर्णय हो जायगा।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य---दूसरे भाग में जो उत्तर दिया गया है कि टूंडले के चौराहे पर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो क्या सरकार के पास उसके आसपास कोई दुर्घटना होने की सूचना है ?

श्री रामस्वरूप यादव---हो सकता है, लेकिन जैसा प्रश्न भेजा गया था उसका उत्तर तो दे दिया गया है।

सगड़ी तहसील में ओला पड़ने से क्षति के सम्बन्ध में श्री इन्दुभूषण गुप्त का पत्र

*५२---**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---सरकार दिनांक २७ मार्च, १९५८ के प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि वह पत्र जोकि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में ओले से होने वाली क्षति के सम्बन्ध में था और जिसका उल्लेख उक्त प्रश्न में है उसका कोई उत्तर प्रेषक को दिया गया था अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रश्न संख्या ३९ में उल्लिखित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक १० मई, १९५७ का उत्तर उन्हें राजस्व सचिव के अर्धशासकीय पत्र संख्या ३२६१/१-स० दिनांक २५ मई, १९५७ के द्वारा दे दिया गया था।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*५३---**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त पत्र में जिस विषय का संकेत था उसकी जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि कराई गई, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उक्त पत्र में सगड़ी तहसील में सन् १९५७ में ओला से हुई क्षति का प्रश्न उठाया गया था। इस विषय में जांच कराई गई जिसके परिणाम स्वरूप यह ज्ञात हुआ कि ओला से क्षति हुई थी, परन्तु उसकी मात्रा रुपये में १ आने और ६ आने के बीच से अधिक कहीं नहीं थी। हानि नगण्य होने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

बाराबंकी जिले के कलेक्शन विभाग में हरिजन व पिछड़ी जाति के चपरासी

*५४—**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत तहसीलवार सन् १९५६,५७,५८,५९ में कलेक्शन विभाग में चपरासी की नौकरी के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये उनमें कितने हरिजन व पिछड़ी जाति के थे ? प्रत्येक वर्ष में कुल कितने चपरासी रखे गये और उनमें कितने हरिजन व पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—आवश्यक सूचना नत्थी 'क' में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५४२ पर)

*५५—**श्री जंगबहादुर वर्मा**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त सन् में तहसीलवार कितने सीजनल तथा कितने मुस्तकिल चपरासी कार्य कर रहे थे और उनमें कितने हरिजन तथा पिछड़ी जाति के थे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—आवश्यक सूचना नत्थी 'ख' में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५४३ पर)

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सन् ५६ के बारे में जो यह सूचना दी गयी है कि सूचना अतत्य है उसका क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—कुछ कागजात वीड आउट हो गये हैं। ऐसी सम्भावना है। मैं ठीक नहीं कह सकता ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—उन्होंने जो अपना कार्यभार नहीं सम्हाला उसका क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—वह बात तो वही बता सकते हैं।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि अधिकारियों ने उनको कोई सूचना नहीं दी और नये अपने आदमियों को रख लिया ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा करके पुनः इस बात की कोशिश करेगी कि जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया नौकरी पाने के लिये और जब उनकी नियुक्ति हो गई तो वह नौकरी पर क्यों नहीं आयेगा, तो इससे यह पता चलता है कि उनको नोटिस देकर काम पर नहीं बुलाया गया और दूसरों को रख लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो कह दिया कि उनको कोई सूचना नहीं है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इस की जांच करा लेगी ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। आपको सरकार को लिखकर भेजने में कौन-सी अड़चन होती है। आप उनको लिखकर भेजिये फिर उनसे सवाल पूछिये।

*५६—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*५७—**राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे तथा श्री दशरथ प्रसाद** (जिला गोंडा)—[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

छिबरामऊ जूनियर हाई स्कूल के नाहर सिंह विद्यार्थी के शव की परीक्षा

*५८—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या गृह मंत्री को यह विदित है कि थाना छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में जू० हाई स्कूल, छिबरामऊ के आठवें दर्जे के एक विद्यार्थी नाहर सिंह की हत्या जब कि रात में वह स्कूल में पढ़ता था नवम्बर, १९५९ में की गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस ने अब तक क्या जानकारी की है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना मिलने पर पुलिस ने श्री नाहर सिंह का शव छिबरामऊ से रनधारपुर के मार्ग में एक जलमय गढ़े से बरामद किया। शव पर जलने के चिन्ह थे अन्य किसी चोट के चिन्ह नहीं थे और शव परीक्षण में भी मृत्यु का कारण अग्नि से जलना बताया गया। अब तक की जांच से पुलिस किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंची है। विवेचना जारी है।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस हत्या के सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है और क्या पुलिस ने किसी को गिरफ्तार या हिरासत में लिया ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी तक ऐसी सूचना तो नहीं है कि किसी को हिरासत में लिया गया, लेकिन इसकी जांच जारी है।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया---क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस कस्बे में इससे पहले और भी हत्यायें हुई थीं, लेकिन पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई ?

श्री रामस्वरूप यादव---और हत्याओं के सम्बन्ध में नोटिस की आवश्यकता है।

शिक्षा संचालक के कार्यालय के लिये हेड असिस्टेंट तथा सहायक इंचार्ज का चुनाव

*५९---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निम्नलिखित राजाज्ञा प्रचलित होने से पूर्व तथा पश्चात् शिक्षा संचालक के कार्यालय के अधीक्षकों तथा सहायक अधीक्षकों का चुनाव किन-किन नियमों के आधार पर हुआ था ?

Appointment (B) Department Government Order (Office Memorandum) No. 3962/IIB—50-1955, dated December 27, 1956.

श्री कमलापति त्रिपाठी---शिक्षा संचालक के कार्यालय में अधीक्षक तथा सहायक अधीक्षक के नाम के पद नहीं हैं।

वहां हेड असिस्टेन्ट सेक्शनल इंचार्ज तथा सहायक इंचार्ज के पद हैं। पदों के लिये चुनाव २७ दिसम्बर, १९५६ से पूर्व ही, राजाज्ञा सं० ओ ३०५-दो-(बी) १९५३, दिनांक ३०-१-५३ के अन्तर्गत हो गया था। इसके बाद अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ है।

*६०---**कुंवर श्रीपाल सिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो सूची उपर्युक्त राजाज्ञा प्रचलित होने के पूर्व बनी वह राजाज्ञा प्रचलित होने के पश्चात् नियमानुसार परिवर्तित हुई अथवा नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं।

पुलिस सब-इंस्पेक्टरों को पेंशन

*६१---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला टावा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५१-५२ और १९५३ में उत्तर प्रदेश में कितने सब-इंस्पेक्टर पुलिस के रिटायर हुये और जो सन् १९५१ में रिटायर हुये उनमें कितने सब-इंस्पेक्टर्स को पूरी पेंशन दी गयी और कितनों को केवल २५ प्रतिशत ही पेंशन दी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उत्तर प्रदेश में सन् १९५१, १९५२ और १९५३ में कुल १५६ पुलिस सब-इंस्पेक्टर रिटायर हुये।

सन् १९५१ में जितने सब-इंस्पेक्टर रिटायर हुये उनमें से ३६ को पूरी पेंशन स्वीकार की गई। किसी को भी केवल २५ प्रतिशत पेंशन नहीं दी गई।

नोट:---तारांकित प्रश्न ५८ के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

*६२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त जिन सब-इंस्पेक्टरों को २५ प्रतिशत ही पेंशन दी गयी, उसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता ।

अस्थायी तहसीलदार

*६३—श्री भुवनेश भूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर देश में कितने ऐसे तहसीलदार हैं जो करीब ४ साल से तहसीलदारी के पद पर काम कर रहे हैं पर उनको मुस्तकिल करने के लिये अभी तक इन्टरव्यू में नहीं बुलाया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—८९ ।

जालौन जिले में थानेदारों के विरुद्ध लांछन, पुराने सब-इन्स्पेक्टर्स, रंगरूटों की बर्खास्तगी

*६४—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में १ जनवरी, सन् १९५९ से १५ दिसम्बर, १९५९ तक कितने थानेदारों के विरुद्ध स्थानीय अदालतों तथा हाई कोर्ट द्वारा स्ट्रिक्चर्स (Strictures) पास किये गये और उन स्ट्रिक्चर्स पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में जालौन जिले के केवल ३ थानेदारों के विरुद्ध स्ट्रिक्चर पास किये गये । तीनों के विरुद्ध रेगुलेशन्स के प्रस्तर ५०० के अन्तर्गत जांच हो रही है ।

*६५—श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में इस समय ऐसे कितने सब-इंस्पेक्टर इंचार्ज तथा अफसर दोयम हैं जिनका कार्यकाल जिला जालौन में पांच साल या उससे अधिक हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस समय जिला जालौन में ३ सब-इंस्पेक्टर इंचार्ज तथा १ अफसर दोयम ऐसे हैं जिनका कार्यकाल उपरोक्त जिले में ५ वर्ष से अधिक हो चुका है ।

*६६—श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में १ जनवरी, सन् १९५९ से १५ दिसम्बर, १९५९ तक कितने पुलिस के रंगरूटों की सेवायें पुलिस अधिकारियों द्वारा समाप्त की गयीं तथा इन सेवा समाप्तियों के पृथक्-पृथक् क्या कारण थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५४४ पर)

आनरेरी मैजिस्ट्रेटों पर व्यय

*६७—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रदेश में इस समय आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की संख्या कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—३२५ हैं ।

*६८—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों पर प्रति वर्ष कितना सरकारी व्यय होता है और किस-किस काम में व्यय होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लगभग चार लाख रुपया व्यय होता है जो आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के कोर्ट क्लर्कों तथा चपरासियों के वेतन, भत्ते तथा मानदेय, मंहगाई तथा रहन सहन व्यय के प्रतिकर भत्ते तथा आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के आकस्मिक व्यय, पर व्यय किया जाता है ।

इलाहाबाद में पैण्टून ब्रिज टूटने की दुर्घटना तथा मानसरोवर सिनेमा गोली काण्ड सम्बन्धित जांच रिपोर्ट की मांग

*६९--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार इलाहाबाद में बसन्त पंचमी के दिन पैण्टून ब्रिज के टूट जाने से हुई दुर्घटना की जांच कराने के लिये जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त दुर्घटना की जांच कराने के लिये कोई कमेटी नहीं बनाई गई थी बल्कि आयुक्त इलाहाबाद खंड द्वारा जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा।

*७०--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या वह इलाहाबाद के मानसरोवर सिनेमा गोलीकांड के सम्बन्ध में जो जांच हाई कोर्ट न्यायाधीश द्वारा कराई गई है उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इलाहाबाद मानसरोवर सिनेमा गोली कांड के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये जांच आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही आगे की आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में निश्चय किया जा सकता है।

*७१-७२--श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)--[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

आछेलाल चमार द्वारा 'भारतीय संविधान को चुनौती' नामक नोटिस छपवाना

*७३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार के पास 'भारतीय संविधान को चुनौती' शीर्षक कोई नोटिस जिला कानपुर के कस्बा झींझक से आछेलाल चमार का आया है जिसमें कि आछेलाल चमार ने यह शिकायत की है कि उन्होंने पंडित राजाराम की दुकान के लोटे से पानी पी लिया था इस पर पंडित राजाराम ने गाली-गलौज की तथा उन्हें कान पकड़कर उठाया बैठाया ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। "भारतीय संविधान को चुनौती" नामक एक नोटिस पर जो आछेलाल चमार के नाम से छपा था, जिलाधीश, कानपुर से आख्या मांगने पर पता चला है कि जो आछेलाल चमार व श्री राजाराम में आपस में झगड़ा हुआ पर श्री आछेलाल का अभियोग कि उनके साथ हरिजन होने के नाते कोई बुरा व्यवहार किया गया, साबित नहीं हुआ। अतएव इस मामले को आपसी झगड़ा समझकर खत्म कर दिया गया।

टेढ़ीघाट के निरीक्षण की रिपोर्ट

*७४--श्री अब्दुल रऊफ़ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर के कमिश्नर का दौरा ७-१-५९ को टेढ़ीघाट में हुआ था ? यदि हां, तो क्या उनके दौरे की रिपोर्ट की एक नकल सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। कमिश्नर गोरखपुर का दौरा ७-१-५९ से ११-१-५९ तक टेढ़ीघाट में हुआ था। इस सम्बन्ध में कमिश्नर ने तहसील, लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी, थाना इत्यादि का निरीक्षण किया था। उनके निरीक्षण की रिपोर्टों† की नकलें संलग्न हैं।

*७५--श्री अब्दुल रऊफ़ लारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त रिपोर्ट की पूर्ति सम्बन्धित विभागों द्वारा कहां तक की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

---

†रिपोर्टों की नकलें छापी नहीं गईं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपर्युक्त रिपोर्टों की पूर्ति हो गई है।

कानपुर तथा मेरठ में विश्वविद्यालय खोलने का निश्चय

*७६—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ और कानपुर में विश्वविद्यालयों के खोलने का निश्चय सरकार ने किया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरठ और कानपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये सरकार ने दो समितियां नियुक्त की थीं। मेरठ विश्वविद्यालय समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है जो सरकार के विचाराधीन है। इसकी एक प्रति युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के पास उसकी सम्मति के लिये भेजी गई है।

कानपुर विश्वविद्यालय समिति ने अभी हाल में अपना प्रतिवेदन दिया है जिस पर विचार किया जा रहा है।

*७७—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त विश्वविद्यालयों के खोलने में सरकार को कितना धन लगाने का अनुमान है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी इस विषय में कुछ कहना कठिन है।

*७८—**श्री राजनारायण**—[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*७९—**श्री गयाप्रसाद**—[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*८०-८१—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)—[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में कच्ची इमारतों वाले थाने

*८२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कौन-कौन पुलिस स्टेशन कच्चे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ जिले में निम्नलिखित चार पुलिस थाने कच्चे भवनों में स्थित हैं:

निजामाबाद, गम्भीरपुर, दीदारगंज, चिरैयाकोट।

*८३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या घोसी पुलिस स्टेशन, जिला आजमगढ़ की इमारत टूट-फूट रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

औरैया तहसील में कत्ल

*८४—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील औरैया, जिला इटावा में १ अगस्त, सन् १९५९ ई० से २० दिसम्बर, सन् १९५९ ई० तक कुल कितने कत्ल हुए?

श्री कमलापति त्रिपाठी—४ कत्ल की घटनाएं हुईं जिसमें ५ व्यक्ति मारे गये।

*८५—**श्री भजन लाल**—उपरोक्त कत्ल किन-किन ग्रामों में एवं कौन-सी तारीखों में हुए हैं और कत्ल हुए व्यक्तियों के नाम क्या थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५४५ पर)

*८६—श्री भजनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कत्लों से सम्बन्धित अब तक कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और कितने गिरफ्तार होने को शेष हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुल ९ व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं और १ व्यक्ति गिरफ्तार होने को शेष है।

[टेहरी-गढ़वाल के हेल्थ विजिटर को जीप न मिलना

*८७—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टेहरी-गढ़वाल की हेल्थ विजिटर (Health visitor) को निरीक्षण के लिये सरकारी जीप देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निश्चय लिया जा सकेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

गाजीपुर में डिग्री कालेज न खुल सकना

*८८—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जो २२ डिग्री कालेज खोले गये हैं वे किन-किन बातों का ध्यान देकर खोले गये हैं ? उनमें गाजीपुर का नम्बर किन कारणों से नहीं आया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

*८९—श्री यमुनासिंह—[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

हरिजन कल्याण कमेटी, हरदोई द्वारा दिये गये अनुदान

*९०—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कुछ हरिजन व्यक्तियों को हरदोई जिले में हरिजन कल्याण कमेटी द्वारा १९५६-५७ में कुआं तथा मकान बनाने के लिये अनुदान दिया गया था और वह आज तक पूरा नहीं हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

*९१—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या हरदोई में बावन ब्लाक के अन्तर्गत कुछ लोगों को हरिजन कमेटी की ओर से कुआं बनाने के लिये १९५७-५८ में अनुदान दिया गया जिसके वाउचर तसदीक हो गये थे परन्तु बाद में रिपोर्ट होने पर फर्जी साबित हुए और उनसे १९५९ में रुपया वापस खजाने में जमा कराया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

*९२-९३—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

पी० वी० कालेज को डिग्री कालेज बनाने की प्रार्थना

*९४—श्री राजनारायण—क्या सरकार तिलक कालेज, प्रतापगढ़ को डिग्री कालेज बनाने जा रही है ? यदि हां, तो पुराने तथा सुदृढ़ स्थिति का पी० वी० कालेज डिग्री कालेज क्यों नहीं बनाया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

*९५-९६—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*९७—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*९८—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

परगना बारा सम्बन्धित अनुदान, कन्या पाठशाला तथा पुस्तकालय

*९९—श्री जोखई (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद परगना बारा का हरिजन कन्या पाठशाला तथा पुस्तकालय वहां से हटा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

*१००—श्री जोखई—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद तहसील करछना, परगना बारा के हरिजनों को हरिजन कल्याण विभाग से, सन् १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में कितने प्रकार की और कितनी सहायता दी गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

*१०१—श्री जोखई—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला इलाहाबाद, परगना बारा की हरिजन कन्या पाठशाला तथा हरिजन पुस्तकालय छतहरा के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई तार संचालक हरिजन कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास आया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

मोहम्मदी तहसील में अपराधों की विभिन्न घटनाएं तथा बन्दूक के लाइसेन्सों का वितरण

*१०२—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी, तहसील मोहम्मदी के ग्रामों में जनवरी, सन् १९५८ से दिसम्बर, १९५९ तक कितनी डकैती, कत्ल तथा चोरियां हुयीं?

श्री कमलापित त्रिपाठी—२२ डकैती, २७ कत्ल तथा ३७१ चोरियां।

*१०३—श्री मन्नालाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला लखीमपुर की मोहम्मदी तहसील के निवासियों ने डकैतों से मुकाबला करने के लिये जिलाधीश के पास बन्दूक के लाइसेंस देने के प्रार्थना-पत्र दिये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनको लाइसेंस देने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुछ लाइसेन्स दिये जा चुके हैं तथा कुछ प्रार्थना-पत्र जिलाधीश के विचाराधीन हैं।

ढूगरपुर ग्राम के दो आदमियों की भगवान डाकू के गिरोह द्वारा हत्या

*१०४—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि भगवान डाकू के गैंग ने ता० २५-१२-५९ को आगरा जिले के थाना राजा खेरा के अन्तर्गत ग्राम ढूगरपुर के दो आदमियों को पकड़ कर मार डाला?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कथित घटना आगरा जिले से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि राजा खेरा, राजस्थान के भरतपुर जिले का एक पुलिस थाना है।

*१०५—श्री ऊदल—[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

खसरे में कैफियत के खाने में 'काबिज' लिखना बन्द करने की प्रार्थना

*१०६—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या खसरे में कैफियत के खाने में लेखपालों द्वारा काबिज लिखे जाने की व्यवस्था बन्द करने के बारे में सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय हो जायेगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

हसनगंज तहसील के लल्लूराम तथा प्रतापसिंह चपरासियों के विरुद्ध शिकायत

*१०७—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव से आई है कि लल्लू तथा प्रताप नाम के व्यक्ति बिला सरकारी काम किये हुए चपरासी बन कर हसनगंज तहसील से कई मास तक तनख्वाह लेते रहे हैं? यदि हां, तो किस के आदेश पर तनख्वाह दी जाती रही?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक शिकायत, जिसमें अभियोगी ने अपना पता आदि नहीं लिखा है, प्राप्त हुई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि तहसील हसनगंज के २ अस्थाई चपरासी श्री लल्लूराम तथा श्री प्रतापसिंह तहसील में सरकारी कार्य नहीं किया करते थे, बल्कि परगनाधीश के घर पर कार्य किया करते थे। इस सम्बन्ध में जिलाधीश ने जांच की थी, जिससे उक्त आरोप सही नहीं सिद्ध हुआ।

डाक्टरों के बिना अस्पताल

*१०८—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बताये कि राज्य में कितने ऐसे ऐलोपैथिक अस्पताल हैं जिनमें ३१-१२-५९ को पिछले छः महीनों से डाक्टर नहीं हैं और क्या सरकार उनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसे अस्पतालों की संख्या १५२ है जिनमें से ८ महिला चिकित्सालय हैं। इनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५४६-५४७ पर)

*१०९—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त अस्पतालों में डाक्टरों के तने समय से न रहने का क्या कारण है और निवारणार्थ क्या कदम सरकार उठाने का विचार कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसका कारण पी० एम० एस० (द्वितीय) में चिकित्सकों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है:

(१) एक और मेडिकल कालेज कानपुर में खोला गया है।

(२) आगरा मेडिकल कालेज में अब प्रति वर्ष बजाय ७५ के १०० छात्र भर्ती किये जा रहे हैं।

(३) ग्रामीण स्वास्थ्य कार्य करने के लिये पी० एम० एस० (द्वितीय) पी० एस० एम० एस० चिकित्सकों को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त हैं ७० पये माहवार का विशेष वेतन स्वीकृत किया गया है।

(४) पी० एम० एस० (द्वितीय) में रिक्त स्थानों के लिये लोक सेवा आयोग से उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम मांगे गये हैं।

(५) निवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा दिये गये हैं और पी० एम० एस० में दूसरे प्रान्त के निवासी भी लिये जाने लगे हैं।

(६) छः छात्रवृत्तियां (प्रत्येक ६० रुपये माहवार की) पांच वर्ष तक के लिये (आगरा, लखनऊ तथा कानपुर मेडिकल कालेजों के लिये) २ प्रत्येक के हिसाब से। ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों के डाक्टरी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस शर्त पर दी जाती हैं कि वे डाक्टरी पास करने के पश्चात् ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों में पांच वर्ष तक सेवा करेंगे।

(७) उपयुक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु से छूट दी गई है।

*११०--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार P.M.S, 1 व P.M.S. II के अलावा और कोई Service Cadre (जो गजटेड होगा) खोलने जा रही है तथा उपरोक्त दोनों के वेतन-क्रम में कोई परिवर्तन करने का विचार कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

पाटन कस्बे के अग्नि पीड़ितों की सहायता

*१११--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, १९५९ में उन्नाव जिले की पुरवा तहसील के पाटन कस्बे में आग लगने से कितने घर जले और माल-असबाब आदि जलने से लगभग कुल कितने रुपयों की क्षति हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उक्त अग्निकांड में ४६ घर जले थे और लगभग २,४९,५६० रुपये की अनुमानित क्षति हुई।

*११२--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसकी ओर से आग लगने से पीड़ित परिवारों को कब-कब, किन-किन को तथा कितने-कितने रुपयों को किन-किन मदों में तात्कालिक तथा तकावी के रूप में सहायता दी गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--दिनांक २८-४-५९ तथा ३-५-५९ को १३ अग्नि-पीड़ितों को ३५० रुपये अहैतुक सहायता के रूप में वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक १-८-५९ को ६ अग्निपीड़ितों को १,३५० रुपये की तकावी गृह निर्माण हेतु दी गई। उक्त सहायता का पूर्ण विवरण संलग्न तालिकाओं में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५४८ पर)

उन्नाव जिले में एच० टी० सी० के लिये चुनाव

*११३--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में शिक्षा वर्ष १९५९-६० के लिये एच० टी० सी० का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थियों के चयन करने के हेतु क्या प्रणाली अपनाई गई थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--शिक्षा संहिता की उपयुक्त धारा २१६ के अनुसार निर्वाचन समिति द्वारा चयन किया गया।

खीरी जिले की आनरेरी मैजिस्ट्रेट चुनाव समिति

*११४--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के चुनाव करने के लिये कोई कमेटी है? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं और इन सदस्यों के चुनाव की क्या प्रक्रिया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिला खीरी में आनरेरी मैजिस्ट्रेट चुनने की कमेटी में निम्नलिखित सदस्य हैं :--

(१) जिलाधीश,
(२) सेशन जज,
(३) श्री जगदीशनारायणदत्तसिंह, एम० एल० ए०,
(४) श्री सुरथबहादुरशाह, एम० एल० ए०,
(५) श्री कमाल अहमद रिजवी,
(६) श्रीराम गुप्ता,
(७) श्री रामेश्वरप्रसाद नेवटिया,
(८) राजा साजिद हुसैन,
(९) श्री सीतलाप्रसाद श्रीवास्तव ।

यह कमेटी आनरेरी मैजिस्ट्रेटों सम्बन्धी संशोधित नियमों के नियम १ (क) के अनुसार बनाई गई है । इसमें जिलाधीश तथा सेशन्स जज पदेन (ex-officio) सदस्य हैं । ६ असरकारी सदस्य हैं जिनको सरकार नामजद करती है तथा एक बार एसोसियेशन का प्रतिनिधि है ।

*११५--**श्री शिवप्रसाद नागर**--[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*११६--**श्री शिवप्रसाद नागर**--[२६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*११७--**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़)--[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

बंगला नं० २३, अशोकमार्ग, लखनऊ का किराया मंत्री को मिलना

*११८--**श्री हरिदत्त काण्डपाल** (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह सही है कि राज्य के एक मंत्री सितम्बर, सन् १९५१ से नवम्बर, १९५९ तक अपने निजी बंगले में रहे और उसका किराया ३०० रुपया माहवार के हिसाब से उन्होंने सरकार से वसूल किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मकानों की कमी होने के कारण राज्य के एक मिनिस्टर का बंगला सन् १९५१ में सरकार ने किराये पर लिया । तत्पश्चात् उस बंगले को उक्त मंत्री के रहने के लिये दे दिया गया ।

*११९--**श्री हरिदत्त काण्डपाल**--क्या यह सही है कि उक्त बंगले की Annual white washing के अतिरिक्त उसमें और भी मरम्मत तथा नये कमरे बनाने तथा सड़क बनाने का खर्चा भी सरकार ने वहन किया ? यदि हां, तो ऐसा कुल खर्चा कितना हुआ, कितना नये कमरे और सड़कों के बनाने में और कितना Annual repairs पर ? और क्या सरकार ने अतिरिक्त खर्चे की वसूली कर ली है ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त वसूली हो जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बंगला नं० २३, अशोक मार्ग, लखनऊ में नये कमरे तथा सड़क बनाने का खर्चा सरकार ने नहीं वहन किया । इस बंगले में सरकार ने निम्नलिखित कार्यों पर खर्च किया था :

			रु०
१--दो पुराने पंखों का लगाना	..	..	११६
२--लोहे का आर्चेज ५	..	..	३५०
३--सुरक्षा हेतु बिजली की व्यवस्था	..	..	३५०
४--सरकारी गाड़ी के लिए अस्थायी गैरेज की व्यवस्था	..	..	५८७

बंगले के छोड़ने पर पंखा तथा लोहे के आर्चेज निकाल लिए गए हैं। मंत्री सुरक्षा हेतु बिजली तथा सरकारी गाड़ी के लिए बने हुए गैरेज के सम्बन्ध में ऐसे fixture जो निकाले जा सकते हैं उनके निकालने या उनकी Depreciated cost की वसूली का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*१२०---१२१---श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव---[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

लालगंज थाने के अन्तर्गत आतिशबाजी का मुकदमा तथा अधिकारियों के विरुद्ध कथित पर्चे

*१२२---श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पुलिस थाना लालगंज, जिला प्रतापगढ़ में कोई आतिशजनी का मुकदमा चलाया जा रहा है और क्या मुल्जिमान जमानत पर हैं ?

श्री कमलापित त्रिपाठी---जी हां। उक्त थाने में एक मुकदमा धारा ४३६ भा० द० वि० के अन्तर्गत चल रहा है और सभी अभियुक्त जमानत पर हैं।

*१२३---श्री हरकेशबहादुर---क्या थाना लालगंज, जिला प्रतापगढ़ में ग्राम पूरे हृदय रामपुर में कई आदमियों के घर १९५९ में जलाये गये ? यदि हां, तो क्या उसमें कोई जांच हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*१२४---श्री हरकेशबहादुर---क्या थाना लालगंज, जिला प्रतापगढ़ के क्षेत्र में कुछ पर्चे अधिकारियों के खिलाफ इस किस्म के बांटे गये हैं जिनमें प्रेस या मुद्रक या प्रकाशक के नाम नहीं हैं ? क्या इस पर कोई जांच हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां। इस संबंध में जांच हो रही है।

शहादतगंज थाने के अन्तर्गत बम विस्फोट

*१२५---श्री बलदेवसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहादतगंज थाना व जिला फैजाबाद में ३-१-६० को कोई बम विस्फोट हो गया है ? यदि हां, तो उसमें कितने धन की हानि हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां। इस घटना में ३ व्यक्तियों एवं १५० रुपये की कीमत के एक घोड़े की जान गई तथा मकान के खपरैल व बांस-बल्ली के टूटने व जलने से लगभग ५० रुपये का नुकसान हुआ।

जमींदारी विनाश प्रतिकर विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*१२६---श्री देवी प्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१-१२-५९ तक जमींदारी विनाश प्रतिकर विभाग के अधीन राज्य में नायब तहसीलदार से नीचे के पद पर कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---२,५०६।

*१२७---श्री देवीप्रसाद मिश्र---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इनमें से कितने स्थाई हैं और कितने अस्थायी और जो कर्मचारी अस्थायी हैं उनके स्थायीकरण के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अस्थायी तथा स्थायी कर्मचारियों की अलग-अलग निश्चित संख्या ज्ञात नहीं है और उसे जिलाधीशों से मंगाया गया है। यह सूचना प्राप्त होने में समय लगेगा, परन्तु अनुमान है कि ८५--१४५ रुपये तथा १००--१५० रुपये के वेतन-क्रमों के पदों पर लगभग ४२८ जिलाधीशों के कार्यालयों के स्थायी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और शेष पदों पर अस्थायी कर्मचारी।

अस्थायी कर्मचारियों के स्थायीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु विभाग के हटाये गये (retrenched) कर्मचारियों को जिलाधीशों के कार्यालयों में खपाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। अस्थायी कर्मचारियों की उक्त कार्यालयों में तथा भू-राजस्व और तकावी संग्रह, चकबन्दी आदि अन्य योजनाओं में अस्थायी पदों पर नियुक्ति के लिये राजस्व परिषद् द्वारा फरवरी, १९५९ में जिलाधीशों को आदेश भी जारी कर दिये गये हैं।

*१२८---**श्री बुलाकीराम** (जिला हरदोई)---[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

हरदोई जिले के थानों में दर्ज की गई रिपोर्टें

*१२९---**श्री बुलाकीराम**---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ में जिला हरदोई के विभिन्न थानों में कितनी और किन-किन धाराओं में रिपोर्ट लिखी गयी जो तफतीश और अपराध नम्बर से रहित हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसी एक भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई।

*१३०---**श्री बुलाकीराम**---[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले में बैनामों की तरमीम सम्बन्धी मुकदमें

*१३१---**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर)---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जिले में बैनामे की तरमीम सम्बन्धी कितने मुकदमे विचाराधीन हैं ?

*१३२---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मुकदमों में कितने मुकदमे ऐसे हैं जिनमें ५ बार से अधिक तारीखें पड़ चुकी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सूचना एकत्र की जा रही है।

*१३३---१३४---**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)---[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये]।

बस्ती जिले के कुछ पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों का स्थानान्तरण न करने पर आपत्ति

*१३५---**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में कितने पुलिस सब-इन्स्पेक्टर ऐसे हैं जो ६ वर्ष या इस के ऊपर से इसी जिले में काम कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सात।

*१३६---**श्री रामलखन मिश्र**---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ६ वर्ष या अधिक से एक ही जिले में काम करने वाले उपर्युक्त सब-इन्स्पेक्टरों का स्थानान्तरण अब तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उपर्युक्त सात सब इंस्पेक्टरों में से एक को निवृतिपूर्व अवकाश प्रदान किये जाने के कारण, एक को लगातार रोग-ग्रसित एवं अवकाश पर रहने के कारण, ३ को विभागीय कार्यवाही होने के कारण तथा शेष २ को स्कूल तथा कालेज की परीक्षायें होने के कारण स्थानान्तरित नहीं किया जा सका।

*१३७-१३८--**श्री हिम्मत सिंह**--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २६ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ के गवेषणा सहायकों का वेतन

*१३९--**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय (Government Constructive Training College) लखनऊ, में क्या कोई गवेषण योजना (Research Scheme) चल रही है ? यदि हां, तो उसके अन्तर्गत कितने गवेषणा सहायक कार्य कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां एक गवेषण योजना (Research Scheme) चल रही है इसके अन्तर्गत दो गवेषण सहायक (Research Assistants) कार्य कर रहे हैं।

*१४०--**श्री गरीबदास**--उक्त व्यक्तियों में से कितने को इस वित्तीय वर्ष में अब तक वेतन नहीं दिया गया है ? और, यदि दिया गया है, तो कब दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--दोनों गवेषण सहायकों का दिसम्बर, १९५९ तक का वेतन दिया गया है। केवल जनवरी, १९६० का वेतन देना शेष हैं।

उन्नाव कोतवाली पुलिस का अमोनियम सल्फेट खाद की ट्रकें पकड़ना

*१४१--**श्री सजीवनलाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में अमोनियम सल्फेट के खाद से भरे कितने ट्रक सन् १९५८ में पुलिस उन्नाव कोतवाली ने गिरफ्तार किये थे ? वह खाद कहां से लद कर आ रही थी ? और, उस पर क्या कार्यवाही अमल में लाई गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी तीन ट्रकें पकड़ी गई थीं, जांच की गई परन्तु कानूनी जुर्म न बनने के कारण उनका चालान नहीं किया जा सका।

दाखिल खारिज के पुराने मुकदमें तथा बुलन्दशहर जिले में ए० सी० ओज० का अपने सर्किल में न रहना

*१४२--**श्री जगवीर सिंह**--क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश में कितने और कहां-कहां दाखिल-खारिज के मुकदमे एक साल से बगैर फैसला हुये पड़े हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रदेश में फतेहपुर जिले को छोड़ करजहां से सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस समय दाखिल खारिज के ३५१ मामले एक साल से बगैर फैसले के पड़े हैं। जहां-जहां उक्त मामले हैं उन का ब्योरा सूची में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ५४९ पर)

*१४३--**श्री जगवीर सिंह**--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर के कितने ए० सी० ओ० अपने सर्किल में नहीं रहते और इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस समय जिला बुलन्दशहर की सदर तथा सिकन्दराबाद तहसीलों में चकबन्दी का कार्य हो रहा है । सदर तहसील के सभी सहायक चकबन्दी अधिकारी अपनी-अपनी सर्किलों में ही रहते हैं । सिकन्दराबाद तहसील में काम लगभग समाप्त हो चुका है । केवल नये रिकार्ड तैयार करना शेष हैं जो कि चकबन्दी अधिकारी के मुख्यावास पर अधिक सुविधापूर्वक हो सकता है । अतएव तहसील सिकन्दराबाद के दस सहायक चकबन्दी अधिकारी इस समय अपनी-अपनी सर्किलों में न रह कर चकबन्दी अधिकारी के मुख्यावास पर कार्य करते हैं ।

स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों की सूची न तैयार करना

*१४४—**श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)—तारीख २६ अगस्त, १९५५ ई० को असेम्बली में स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों की सूची तैयार करने और उन्हें समुचित पेन्शन देने सम्बन्धी जो प्रस्ताव पास हुआ था क्या उसके मुताबिक सूची तैयार हुई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—शासन ने इस विषय में पूर्ण विचार करने के उपरान्त यह फैसला किया कि स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों की सूची तैयार करने की आवश्यकता नहीं है ।

*१४५—**श्री सीताराम शुक्ल**—तब से अब तक कितने स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों अथवा उनके सम्बन्धियों ने पेन्शन के लिये प्रार्थनायें कीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना अभी एकत्रित की जा रही है ।

*१४६—**श्री सीताराम शुक्ल**—उनमें से कितनी स्वीकृत हुईं तथा कितनी अस्वीकृत हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना अभी एकत्रित की जा रही है ।

परती तथा दान में प्राप्त भूमि

*१४७—**श्री इन्दुभूषण गुप्त**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस प्रदेश में कितनी भूमि १९५२ से अब तक ग्राम दान, भूदान आदि के रूप में प्राप्त हो चुकी हैं और उसमें से कितनी भूमिहीनों को वितरित की जा चुकी है और जो बाकी है वह किसके अधिकार में है और उसकी क्या व्यवस्था भविष्य में होगी तथा उसका लगान क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१४८—**श्री इन्दुभूषण गुप्त**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जिलेवार ऐसी कितनी भूमि खेती योग्य है जो ग्राम सभाओं के अधिकार में है और वह परती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कलेक्टरियों के आउटसाइडर क्लर्कों को पेड अपरेन्टिस बनाने की प्रार्थना

*१४९—**श्री देवीप्रसाद मिश्र**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि राज्य में कुल कितने कलेक्टरी के ऐसे क्लर्क हैं जो १० साल या अधिक से आउटसाइडर के रूप में कार्य कर रहे हैं ?

*१५०--क्या सरकार इनमें से कुल या कुछ के स्थायीकरण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

*१५१--क्या सरकार इन लोगों को बिना इम्तहान पेड अपरेन्टिस बनाने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

लखनऊ के चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*१५२--**श्री रामशरण यादव**--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २५-८-५९ व २३-१०-५९ को लखनऊ के चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र उनके पास आया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां । इन दोनों पत्रों को चकबन्दी आयुक्त के पास रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

कानपुर नगरपालिका के कुछ अध्यापकों का स्थायी प्रधानाध्यापक होने के लिये पत्र

*१५३--**श्री भगवतीसिंह विशारद**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप-संचालक, शिक्षा विभाग, तृतीय मंडल, इलाहाबाद के पास कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड के कुछ अध्यापकों ने सितम्बर, १९५८ को कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने अपने को प्रधानाध्यापक (confirm) किये जाने की मांग की थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नगरपालिका, कानपुर के अध्यापकों ने एक प्रार्थना-पत्र भेजा तो था परन्तु वह इस संबंध में था कि चूंकि उनका चुनाव प्रधानाध्यापक के पद पर चुनाव समिति द्वारा हो चुका है इसलिये उनको हेड मास्टर का ग्रेड तथा बकाया वेतन २९ फरवरी, १९५६ से दिलाया जाय ।

*१५४--**श्री भगवतीसिंह विशारद**--यदि हां, तो क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे अध्यापक, अध्यापक चयन समिति द्वारा कब provisionally प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किये गये थे और उन्हें अब तक कन्फर्म (confirm) न करने के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ये, अध्यापक, इस समिति द्वारा प्रधानाध्यापक के पद के लिए २९ फरवरी, १९५६ को चुने गये थे परन्तु समिति का यह चुनाव अभी तक मंडलीय उप-शिक्षा संचालक द्वारा अनुमोदित न हो सका । जब तक यह चुनाव उप-संचालक द्वारा अनुमोदित न होगा, इन लोगों को प्रधानाध्यापक के पद पर स्थायी नहीं किया जा सकेगा ।

इलाहाबाद पोस्ट आफिस के कर्मचारियों के पुलिस द्वारा पीटे जाने की जांच

*१५५--**श्री मोतीलाल अवस्थी**--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ४ नवम्बर, १९५९ को कोई शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है जिसमें यह शिकायत की गई है कि इलाहाबाद पोस्ट आफिस के कर्मचारियों को स्थानीय पुलिस ने बेहद मारा ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच करवाई गई । जांच की रिपोर्ट सरकार क विचाराधीन है ।

सेमरी जमालपुर के महादेव हरिजन का प्रार्थना-पत्र

*१५६---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या गृह मंत्री को १-९-५९ की दरख्वास्त महादेव हरिजन को प्राप्त हुई कि उन्हें सेमरी जमालपुर, थाना घोसी, जिला आजमगढ़ में भूमिहारों ने खाट पर बैठने के कारण मारा ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां। वह जिलाधीश, आजमगढ़ के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दी गई। शांति भंग का अन्देशा पाकर पुलिस ने १०७ सी० आर० पी० सी० की कार्रवाई फरीकेन के विरुद्ध की है जो अदालत में विचाराधीन है।

बलरामपुर तहसील में लेखपालों पर मुकदमे तथा गलत इन्दराज के मामले

*१५७---श्री दशरथ प्रसाद---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में तहसील बलरामपुर के कितने लेखपालों के विरुद्ध १ जनवरी, १९५९ से अदालती कार्यवाही हो रही है ?

*१५८---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है वे मुअत्तल हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१५९---श्री दशरथ प्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा, तहसील बलरामपुर में कितने गलत इन्दराजों की रिपोर्ट गत वर्ष लेखपालों ने दे दी है तथा कितने शेष हैं ? रिपोर्ट देने की क्या कोई अन्तिम तिथि भी निश्चित की गई है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---५४,१९१ रिपोर्ट दी है। अब कोई रिपोर्ट शेष नहीं है। रिपोर्ट देने की कोई अन्तिम तिथि निश्चित नहीं है। लेखपाल परताल की समाप्ति पर ऐसी रिपोर्टें देते हैं।

सदर तहसील में चकबन्दी कार्य पर व्यय तथा पडरौना तहसील में चकबन्दी का विरोध

*१६०---श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया की सदर तहसील में चकबन्दी का काम कितने दिनों तक जारी रहा और उसमें कितना काम तथा खर्च हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१६१---श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि चकबन्दी कार्य, तहसील देवरिया से हटाकर तहसील पडरौना में करने का क्या क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जनता की मांग पर।

*१६२---श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि अब तक शासन को कितने विरोध-पत्र इस आशय के प्राप्त हुये हैं कि चकबन्दी का कार्य पडरौना तहसील में न किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस आशय का कोई विरोध-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में फर्स्ट सिविल अपीलों के मुकदमे

*१६३--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में फर्स्ट सिविल अपीलों के कितने मुकदमें इस वक्त न्यायालय में विचाराधीन इसलिये पड़े हैं कि अभी उनकी पेपर बुक नहीं छपी ?

*१६४--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन उपरोक्त मुकदमों की पेपर बुक नहीं छपी उनकी अपील किस किस सन् में दायर की गई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना एकत्रित की जा रही है।

ददरी मेले में कम्युनिस्ट नेताओं का पीटा जाना

*१६५--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार को विदित है कि बलिया-ददरी मेले में कतिपय दलों के लोगों ने मिलकर कम्युनिस्ट कैम्प पर हमला कर के सामान लूट लिया और कम्युनिस्ट नेता सर्वश्री बैजनाथ शर्मा (जन्मान्ध), सिद्धनाथ तिवारी तथा श्रीमती चम्पाकली देवी (हरिजन महिला) को लाठियों से मारकर बुरी तरह घायल किया जिसकी रिपोर्ट स्थानीय अधिकारियों को कर दी गई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कथित घटना का विवरण इस प्रकार है कि ददरी मेले में १६-११-५९ को जब कांग्रेस शिविर में एक सर्वदलीय सभा हो रही थी जिसमें कांग्रेस, प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट तथा जनसंघ के नेताओं के भाषण चीन द्वारा भारत की भूमि पर आक्रमण के विरोध में हो रहे थे, कम्युनिस्ट कैम्प की ओर से जो सामने था लाउड स्पीकर का प्रयोग जोरों पर हुआ तथा अन्य विघ्नात्मक कार्यवाहियां की गईं। कांग्रेस शिविर के कुछ लोगों के मना करने पर वाद-विवाद शुरू हुआ जिसने कम्युनिस्ट शिविर से देश के नेताओं के प्रति आपत्ति-जनक शब्दों का प्रयोग किये जाने पर उग्ररूप धारण किया और जनता तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के बीच एक संघर्ष हुआ। इसमें आपस में लाठी-घूसा का प्रयोग किया गया। कम्यु-निस्ट के कुछ नेताओं को जैसे सर्वश्री बैजनाथ शर्मा, सिद्धनाथ तिवारी आदि को चोटें आईं। इस घटना की रिपोर्ट कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री द्वारा ११ बजे दिन को लिखाई गई।

*१६६--श्री झारखंडे राय--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस विषय में वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मामले की विवेचना जारी है।

गोरखपुर कलेक्टरी कचेहरी तथा तहसील कार्यालयों में निम्न श्रेणी में अस्थायी कर्मचारी

*१६७--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरख-पुर में कलेक्टरी कचेहरी तथा तहसील कार्यालयों में कुल कितने अर्दली, चपरासी तथा जमादार, चौकीदार हैं इनमें कितने पिछड़ी जाति तथा परिगणित जाति के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--गोरखपुर जिले के कलेक्टरी कचेहरी तथा तहसील के कार्यालयों में कुल ३८ अर्दली, चपरासी तथा ५ जमादार हैं। चौकीदार कोई नहीं है। इनमें से ८ पिछड़ी जातियों के हैं और ६ परिगणित जातियों के हैं।

*१६८--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त कर्मचारियों में कितने मुस्तकिल हैं और कितने ऐसे हैं जो ८ साल से काम कर रहे हैं परन्तु अब तक कन्फर्म नहीं हुये तथा कितने ऐसे हैं जो ५ साल से काम कर रहे हैं और अभी तक कन्फर्म नहीं हुये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इन ४३ कर्मचारियों में ३५ स्थायी हैं और ८ अस्थायी हैं। ८ अस्थायी कर्मचारियों में, १ आठ साल से अधिक तथा ५ पांच साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं परन्तु अभी तक स्थायी नहीं हुये हैं।

बूढ़ापार व सादुल्लानगर परगनों में सूखा पीड़ितों को सहायता

*१६९--श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के परगना बूढ़ापार व सादुल्लानगर में सन् १३६७ फसली की खरीफ की फसल में सूखे के कारण हानि होने के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रश्नकर्ता द्वारा सरकार को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और वहां की जनता को कौन-कौन सुविधायें दी गईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। इस सम्बन्ध में दो पत्र प्राप्त हुए थे। वे दोनों पत्र जिलाधीश को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिये गये थे। जिलाधीश ने आवश्यक जांच व निरीक्षण करवाये और क्षति-ग्रस्त ग्रामों में क्षति की मात्रा की पड़ताल कराई। दोनों परगनों की जनता को जो सुविधायें दी गई हैं वे इस प्रकार हैं :--

(अ) सभी ग्रामों में सहायता के रूप में ३० नवम्बर, १९५९ ई० तक मालगुजारी व तकावी के मतालबों की वसूली रोक दी गई थी।

(ब) परगना बूढ़ापार के ६ ग्रामों और परगना सादुल्लानगर के १३ ग्रामों के लिये जिनमें क्षति की मात्रा रुपये में ५० नये पैसे या उससे अधिक थी मालगुजारी में क्रमशः २,४०३ रु० ७९ नये पैसे और ४,८३३ रु० १२ नये पैसे की छूट के प्रस्ताव तैयार कर दिये गये हैं। इन सभी १९ ग्रामों में तथा इनके अतिरिक्त परगना बूढ़ापार के १६ ग्रामों और परगना सादुल्लानगर के २८ ग्रामों में जिनमें क्षति की मात्रा रुपये में ४० नये पैसे से लेकर ५० नये पैसे तक थी बकाया मालगुजारी के क्रमशः पूरे व आधे की वसूली स्थगित करने के आदेश जारी हो चुके हैं।

(स) परगना बूढ़ापार के ग्राम बमनजोत और परगना सादुल्लानगर के ग्राम सादुल्लानगर और ग्राम हथियागढ़ में सस्ते गल्ले की एक-एक दूकान खोल दी गई है।

आजमगढ़ जिले में हरिजन व पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

*१७०--श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५८-५९ और १९५९-६० के लिये कितना धन छात्रवृत्ति वितरित करने के हेतु आजमगढ़ जिले में सरकार की ओर से दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी-- सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१७१--श्री विश्रामराय--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस रकम का वितरण कितने हरिजन और पिछड़ी जाति के छात्रों में हुआ और कितने प्रार्थना-पत्र १९५८-५९ और १९५९-६० में प्राप्त हुये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी-- सूचना एकत्रित की जा रही है।

भरथना तहसील से मिसिलों का गायब होना

*१७२--श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्तर्गत भर्थना तहसील कार्यालय के मुकदमों की कई हजार मिसिलें कई वर्ष से गायब रहीं ? और, क्या यह सही है कि उनमें से बहुत सी मिसिलें तहसील के बरामदे में एक दिन पड़ी पाई गईं और करीब एक मन के मिसिलों का बंडल किसी ने मौजूदा तहसीलदार के नाम रेलवे पार्सल द्वारा भेजा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इटावा जिले के भरथना तहसील के तहसीलदार की कचहरी से लगभग सात हजार मिसिलें, आवेदन-पत्र तथा तहसील के कागज लापता पाये गये। उनमें से एक हजार से भी अधिक तहसील कार्यालय के बरामदे में पड़ी पाई गईं तथा लगभग छः हजार से भी अधिक तहसीलदार, भरथना के पास रेलवे पार्सल द्वारा प्राप्त हुईं।

*१७३--**श्री मिहरबान सिंह**--सरकार कृपया बतायेगी कि इस तरह गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के साथ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मामले की पूरी छान-बीन की जा रही है और भूतपूर्व न्याय मुहर्रिर को मुअत्तल कर दिया गया है।

टेहरी-गढ़वाल में चिनियाली सौड़ स्कूल का उच्चीकरण न होना तथा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता न बढ़ना

*१७४--**श्री सूरतचन्द रमोला**-- क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टेहरी-गढ़वाल के राजकीय जूनियर हाई स्कूल, चिनियाली सौड़ के अपग्रेड (upgrad) किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन एक अर्से से चला आ रहा है ? और, वह कब तक कार्यान्वित हो जावेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इसके उच्चीकरण की कोई योजना नहीं है।

*१७५--**श्री सूरतचन्द रमोला**--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि टेहरी-गढ़वाल के शिक्षा विभाग के मर्ज्ड स्टेट इम्प्लाइज को सौ रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो पांच रुपये पिछले साल के बजट में व ढाई रुपया इस चालू वर्ष के बजट में वृद्धि हुई है क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी-- सूचना एकत्रित की जा रही है।

हरिजन सहायक विभाग, जिला हरदोई से प्राप्त अनुदान का व्यय

*१७६--**श्री मोहन लाल वर्मा**--क्या सरकार जिला हरदोई के हरिजन स्कूल, हरिजन छात्रावास, हरिजन पुस्तकालय तथा Harjan Social Workers तहसीलवार अलग-अलग बताने की कृपा करेगी जिन्हें हरिजन सहायक विभाग से अनुदान मिलता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी तहसीलवार संख्या निम्न प्रकार है :--

तहसील का नाम	संस्था का नाम			
	स्कूल	छात्रावास	पुस्तकालय	सोशल वर्कर्स
१--शाहाबाद	८	..	..	१
२--हरदोई	७	२	२	१
३--बिलग्राम	२	१	..	१
४--संडीला	..	..	..	..

*१७७--**श्री मोहन लाल वर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिजन छात्रावास के खर्च का आडिट किया जाता है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी-- जी हां। आय-व्ययक के लेखे की जांच [शिक्षा विभाग, नियोजन विभाग तथा हरिजन सहायक विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की जाती है।

कानपुर जिले के कुछ मान्यता प्राप्त स्कूलों को सहायता न मिलना

*१७८--श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले में ऐसे कौन-कौन हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं जिनको मान्यता मिली है लेकिन प्रार्थना करने पर भी सरकारी आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकी है ? सहायता न दे सकने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी-- सूचना एकत्रित की जा रही है।

हरिजन आश्रम, बालगंज, लखनऊ

*१७९--श्री मन्नालाल-- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो हरिजन आश्रम, बालगंज, लखनऊ में चल रहा है उसमें कितनी अध्यापिकायें और कितने अधिकारीगण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--४ अध्यापक, कोई अध्यापिका नहीं हैं। इसके अतिरिक्त एक लेडी सुपरिन्टेन्डेन्ट, एक बाबू, एक स्टोर कीपर, एक पार्ट टाइम डाक्टर और एक पार्ट टाइम साइकालोजिस्ट हैं।

*१८०--श्री मन्नालाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो अध्यापिका और अधिकारीगण उपर्युक्त आश्रम में हैं उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--एक अध्यापक हरिजन है।

*१८१--श्री मन्नालाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त विद्यालय में कितने बालक विद्याध्ययन करते हैं और जो बालक विद्याध्ययन करते हैं उसमें कितने जरायम पेशा के बालक हैं तथा कितने हरिजन बालक हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--५९ जरायम पेशा हैं। उनमें ३९ अनुसूचित जाति की सूची में भी सम्मिलित हैं।

गोंडा तहसील में बैल खरीदने के लिये तकावी

*१८२--श्री बलदेव सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील गोंडा के कितने काश्तकारों ने सन् १९५९ में बैल खरीदने के लिये तकावी की दरख्वास्त दी ? उनमें से कितने को तकावी मिली है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सन् १९५९ में तहसील गोंडा, जिला गोंडा में कुल १४३ काश्तकारों ने बैल खरीदने के लिये तकावी की दरख्वास्तें दीं और इन सभी को तकावी मिली।

आजमगढ़ जिले की ग्राम-सुरक्षा समितियां तथा पुलिस कोड में संशोधन करने की जानकारी

*१८३--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में सरकार द्वारा कितनी ग्रामीण-सुरक्षा-समितियों का निर्माण किया गया है और कहां-कहां पर ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आजमगढ़ जिले में २,४३० ग्राम-सुरक्षा समितियों की स्थापना की जा चुकी है। उनकी तालिका बड़ी लम्बी है और कार्यालय में देखी जा सकती है।

*१८४--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त समितियों के रक्षार्थ कौन-कौन से हथियार सरकार द्वारा दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१०१ भालों के फलक, २५१ भाले लाठियों में लगे हुए और ६०० लाठियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त जिलाधीश ने १० बन्दूकों के लाइसेन्स प्रदान किये हैं।

*१८५—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस कोड में संशोधन करने के निमित्त सरकार ने किसी कमेटी का निर्माण किया है? यदि हां, तो इसके अध्यक्ष और सदस्य कौन-कौन लोग हैं और कमेटी अपना कार्य कब से आरम्भ करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार ने ऐसी किसी कमेटी का निर्माण नहीं किया है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्तियां

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अब तक मंत्रियों द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर हम लोगों के पास भेजे जा रहे हैं वह आपके बार-बार आदेश करने पर भी मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर होकर नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात यह कि मेरे प्रश्न तीन चार दिनों से लगातार आ रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रश्नों की संख्या ८० के लगभग होती है इसलिये मेरे प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न करने का मौका ही नहीं आता है। इसलिये इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये मैं कोई व्यवस्था नहीं दे सकता। मैं इस आदरणीय सदन के सदस्यों से इतना ही कह सकता हूं कि माननीय सदस्यों को किसी प्रश्न में खुद पहले से चाहे दिलचस्पी न रही हो लेकिन जब पूरक प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं तो सबको दिलचस्पी हो जाती है और वह चाहते हैं हम भी एक पूरक प्रश्न पूछ लें। इस तरह से एक ही प्रश्न में १०-५ मिनट लग जाते हैं। इसलिये अगर माननीय सदस्य अपने को जब्त करें और पूरक प्रश्न कम करें यानी जिसका प्रश्न हो वही पूरक प्रश्न करे तो समय बचेगा। हां, अगर कोई महत्वपूर्ण विषय हो तो उस पर और भी माननीय सदस्य पूरक प्रश्न कर सकते हैं। इतना खयाल यदि सब रखें तो सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन होता यह है कि अगर मजाक करनी होती है तो उसके लिये भी पूरक प्रश्न कर देते हैं या माननीय सदस्य बहुत डिटेल में जाकर प्रश्न करने लगते हैं और वह समझते हैं कि यह परीक्षा का अच्छा वक्त है इसी समय मंत्री जी की परीक्षा ले लो। तो इन चीजों को रोकने की जरूरत है।

***श्री प्रताप सिंह** (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान प्रश्नों के सम्बन्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रक्रिया नियमावली के पेज १३ पर जहां कि तारांकित और अल्पसूचित प्रश्नों का वर्णन किया गया है उसमें एक में तीन दिन की नोटिस देनी होती है और एक में २० दिन की नोटिस देनी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर प्रश्नों को आप स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद २ या ३ दिन के भीतर उत्तर मिलना चाहिये। लेकिन इस ढाई साल के अर्से में मैंने देखा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं और किसी पर चार्ज नहीं लगाता और स्पष्टवादी होने के नाते कह सकता हूं कि दो एक डिप्टी मिनिस्टरों को छोड़कर कोई मंत्रीगण तैयार होकर नहीं आते। श्रीमन्, अभी हाल में लोक सभा के स्पीकर ने इस सम्बन्ध में रूलिंग भी दी है कि मंत्रियों का केवल यह कह देना कि "नोटिस चाहिये" काफी नहीं है, उनको तैयार होकर आना चाहिये। विधान सभा के सदस्यों का केवल एक दिन का भत्ता ही ४,३१० रुपया होता है और एक असेम्बली क्वैश्चन पर १०० रुपये का खर्चा आता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं इस सम्बन्ध में आपकी रूलिंग चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—बात यह बिल्कुल सही है कि मंत्रियों को तैयार होकर आना चाहिये लेकिन जिस समय कोई मंत्री तैयार होकर न आया हो उसी समय अगर आप प्रश्न कर दें तो उसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

ऊपर मेरी जो राय होगी वह जाहिर कर सकता हूं लेकिन इस तरह से जो आप प्रश्नों के बाद यह कह रहे हैं एक आम तरीके पर तो इस पर मैं कोई फैसला नहीं दूंगा। कोई मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर न दे सके और तैयार होकर न आया हो तो उसी समय आप कह सकते हैं और तब मैं देखूंगा कि उसका नोटिस मांगना उचित था या नहीं। और यह स्वाभाविक है कि जैसे कोई स्टार्ड क्वेश्चन करता है उसमें मंत्री जी को यह अन्दाज लगा लेना चाहिये कि कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनके लिये तैयार होकर आना चाहिये लेकिन उत्तर न मिलने पर आपको उसी वक्त टोकना चाहिये। इसके साथ-साथ सदस्यों का पूरक प्रश्न भी ऐसा प्रश्न हो सकता है जो असंगत हो या सदस्य नया सवाल कर दें तो उसके लिये सूचना मंत्री जी अवश्य ही मांगेंगे।

श्री प्रताप सिंह---आज ही ५ दिसम्बर का सवाल है और अभी तक उसकी सूचना एकत्रित की जा रही है। मंत्री जी विभाग को कर्रा रखें तो सब ठीक हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---अगर एक बार प्रश्न मुल्तवी हो गया और उसके बाद भी सूचना नहीं आई तो मंत्री जी सदन में यही कहेंगे कि सूचना एकत्रित की जा रही है जिससे सदन को मालूम हो जाय कि उसमें बहुत समय लग रहा है।

श्री भजनलाल---बिना मंत्रीजी के हस्ताक्षर के उत्तर का क्या महत्व रह जाता है ?

श्री अध्यक्ष---आप इसे मेरे कमरे में भेज दें। मैं एक बार फैसला दे चुका हूं कि मंत्रीजी के दस्तखत होकर उत्तर मेरे पास आना चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---आप मंत्री जी के उत्तर देने के ढंग से स्वतः सन्तुष्ट हैं ?

श्री अध्यक्ष---आप पहले ध्यान तो आकर्षित करें।

डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री अवधेशकुमार सिन्हा, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी दिनांक १८ फरवरी, १९६० को हरगांव गन्ना मिल के गेट पर अनुचित बाधा डालने के अपराध में की गयी। यह सूचना मैजिस्ट्रेट ने दी है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---किस धारा में गिरफ्तारी हुई है ?

श्री अध्यक्ष---तार में यह लिखा है :

"Sri Avadhesh Sinha, M. L. A., arrested at Hargaon Sugar Mill gate on complaint of wrongful restraint. Intimation in proper form follows."

रान्गफुल रेस्ट्रेन्ट की धारा होगी।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा तथा पांच अन्य सोशलिस्ट कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, नियमावली के मुताबिक हमने कामरोको प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष---मेरे पास कोई नहीं है। (जरा ठहर कर) हां, है। मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत ही उसे समझा था। यह कामरोको प्रस्ताव है---"कल तारीख १८-२-६० को डाक्टर अवधेश सिनहा, एम० एल० ए० ५ अन्य सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं के साथ चीनी मिल, हरगांव, सीतापुर में गिरफ्तार किये गये," इत्यादि। अभी बजट की आम बहस चल रही है और उसमें ये सब बातें आ सकती हैं। बहुत से लोग उस पर बोल सकते हैं। इसलिये अलग से मैं समय नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—लेकिन हमारा भाषण तो हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—आपके साथी बोल सकते हैं। अभी आज और कल दो दिन और यह बहस है।

प्रदेश के ईख प्रधान क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों में व्याप्त विषम परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री गेंदासिंह जी का नियम ५२ के अन्तर्गत यह है—"प्रदेश के ईख-प्रधान जिलों जैसे गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत तथा नैनीताल में गन्ना के क्षेत्रफल तथा अनुमान अवास्तविक होने, पुर्जियों के बंटवारे में पक्षपात, क्षेत्रों को सुरक्षित करने में केन यूनियनों तथा गन्ना उत्पादकों के हितों की परवाह किये बिना मिलों के स्वार्थ को ध्यान में रखने, सुरक्षित तथा अभ्यर्पित क्षेत्रों में बढ़ी मिलों के अतिरिक्त किसी प्रकार गन्ने को बेचने से गन्ना उत्पादकों को सरकारी आदेशों द्वारा रोक रखने तथा साथ ही उनकी बिक्री की कोई व्यवस्था न करने के कारण उक्त जिलों के लाखों गन्ना उत्पादकों में व्यापक असन्तोष तथा बेचैनी फैली हुई है। गन्ना क्रय-विक्रय अधिनियम के अनुसार इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है। अतः माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान इस लोक महत्व तथा अविलम्बनीय प्रश्न की ओर आकृष्ट कर सदन को स्पष्ट करने के लिये मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अनुसार इस प्रश्न को उठाने की अनुज्ञा चाहता हूं।"

इस विषय पर अगर माननीय मुख्य मंत्री जी कोई बयान आज या फिर देना चाहें तो दे सकते हैं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—कल निवेदन कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

श्री टीकाराम पुजारी द्वारा अपने प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा निवेदन है। ऐसा न हो कि मेरा कुत्ते वाला हाल हो जाय कि निकाल दिया जाऊं। कुत्ते वाला हाल, कुत्ते वाला। सच्ची बात बुरी लगती है।

श्री अध्यक्ष—आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है।

श्री टीकाराम पुजारी—मेरे कई प्रश्न किसानों के हित के हैं जो नहीं आये हैं। पालीवाल जी के गांव के बारे में मजाक के प्रश्न आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया। वे अन्त में आते हैं, इसलिये क्या करें ?

स्थायी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष—मेरे पास मुख्य सचेतकजी ने यह प्रार्थना भेजी है कि स्थायी समितियों के नाम-निर्देशन-पत्रों की तिथि २० फरवरी से १ मार्च कर दी जाय। उन्होंने विरोधी दल के उपनेता से बातचीत कर ली है और मुझसे भी बात हुई है। २० तारीख तक आपस में बातचीत करके तय करना उन्हें सम्भव नहीं मालूम होता है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---ये समितियां ३ साल पुरानी चली आ रही हैं। बार-बार यहां नामांकन की तिथि रखी जाती है और टाल दी जाती है। आज ९ वर्ष हो गये हमको यहां काम करते और सामान्य प्रशासन की स्टैंडिंग कमेटी में मैं हूं। उसकी एक भी बैठक हमने अटेंड नहीं की। कारण यह है कि सन् ५२ में हमारा मतभेद हुआ कि नैनीताल में बैठक न हो और चूंकि सभी बैठकें नैनीताल में होती हैं इसलिये हम नहीं जाते हैं। जहां तक सरकारी समितियों का सम्बन्ध है, सोशलिस्ट पार्टी का निर्णय है ही इससे हम उनमें नहीं जाते हैं। ३ वर्षों से अनावश्यक हमारा नाम उसमें पड़ा है।

श्री अध्यक्ष---मेरे पास विष्ट जी की सूचना यह है कि उन्होंने विरोधी दल के उपनेता से स्थायी समितियों के सम्बन्ध में बात की और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्थायी समितियों के नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि २० फरवरी से बढ़ाकर १ मार्च कर दी जाय।

श्री राजनारायण---ये तिथियां अभी तक कितनी बार बढ़ाई हैं ?

श्री अध्यक्ष---आप बैठें।

श्री राजनारायण---१ मार्च को सोशलिस्ट पार्टी का सारे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है जिला केन्द्र पर, और इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी को पत्र भी लिखा है। अखबारों में आ चुका है। यह जान-बूझ कर १ मार्च रखी जा रही है ताकि हम भाग न ले सकें। पहले कर दी जाय या आप २० फरवरी ही रखें।

श्री अध्यक्ष---पहले तो आप दे ही सकते हैं, आप ३० को दे दीजियेगा। अगर आप पहली मार्च को नहीं चाहते हैं तो ३,४ को कर दिया जाय ?

श्री राजनारायण---बात यह है कि किस कमेटी में उनके दो सदस्य रहेंगे, किस कमेटी में एक रहेगा, यह भी तो उनको तय करना है।

श्री अध्यक्ष---वह चीज उसमें बाधक नहीं होगी। कृपा करके आप बैठें। यह सिर्फ नाम-निर्देशन-पत्रों की अन्तिम तिथि के बारे में कहा है और किसी अन्य कार्य की तिथि के बारे में नहीं कहा है।

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)---उसी के अनुसार आप और तिथियों को निश्चित कर दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष---सवाल यह है कि आपने एक तिथि के बारे में एतराज किया है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---सब तिथियां फिर उसी के अनुसार बढ़ जायेंगी।

श्री अध्यक्ष---क्यों बढ़ेंगी ? मैं तो उस पर भी ऐडजस्ट कर सकता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---विदड्राल के मुताबिक ही स्क्रूटनी होगी।

श्री अध्यक्ष---स्क्रूटनी तो होगी लेकिन आपस में बातचीत करने के लिये आप यह चाहते हैं, तो विदड्राल का जो डेट है उससे इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं रख सकते।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं रख सकते लेकिन कुछ फर्क तो रहेगा ही जिससे कि सब प्रोग्राम का उसी के मुताबिक ऐडजस्टमेंट किया जा सके।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप बैठें, आपके कहने के अनुसार १ मार्च तक बढ़ा दिया जायगा और नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा दूसरे रोज हो जायगी। इसके बाद फिर ६ रोज बाद यानी ८ तारीख के अन्दर आप नाम वापसी करा लें और निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो ११

रोज बाद यानी १९ मार्च को १२ बजे से ५ बजे तक कर दिया जाय। इसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं है न? अब मैं सूचना देता हूं कि सब तारीखें पूर्ववत् रहीं, सिर्फ नाम-निर्देशन-पत्रों की अन्तिम तिथि यह रही।

श्री राजनारायण—आपने जो तारीख निश्चित की है, उसको स्वतः अपने विवेक से परिवर्तन कर सकते हैं न?

श्री अध्यक्ष—बाकी वही तारीखें हैं जो पहले थीं। उसे मैंने एनाउंस कर दिया है और उनसे मैंने कमिट करा लिया है।

श्री राजनारायण—मैं तो चाहता हूं कि वह आपके विवेक पर रहता।

श्री अध्यक्ष—आप कुछ और परिवर्तन चाहते हैं क्या?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि जितना भी अर्लियर हो सके, हो जाय।

श्री अध्यक्ष—१९ मार्च तक सब हो जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—श्रीमन्, १९ मार्च के सम्बन्ध में मुझे थोड़ा-सा आपकी सेवा में निवेदन करना है। उस दिन मेरे लिये तथा सदन के मेरे साथी सदस्यों के लिये यहां होना असम्भव होगा क्योंकि १९ और २० मार्च को स्वतंत्र पार्टी का सम्मेलन पटना में होने जा रहा है। इसलिये यदि माननीय मुख्य मंत्री जी और आप कृपा करके १९ मार्च के बजाय उसे २२ मार्च कर दें तो हम लोग भी यहां हो सकेंगे और उस चुनाव में भाग ले सकेंगे और नहीं तो हमारे लिये चुनाव में भाग लेना असम्भव हो जायगा। होली के पहले हो जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर सदस्य और माननीय मुख्य मंत्री जी मानें तो।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—मुझे मान्य है।

श्री अध्यक्ष—तो १९ मार्च के बजाय २२ मार्च, मंगल का दिन मैं चुनाव के लिये निश्चित करता हूं। इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।

नैनीताल में समितियों की बैठकें करने के सम्बन्ध में उठायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में श्री राजनारायण का स्पष्टीकरण

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आपके द्वारा मैं समाजवादी दल के नेता श्री राजनारायण जी से पूछना चाहता हूं कि क्या नैनीताल उत्तर प्रदेश में नहीं है या सोशलिस्ट पार्टी के लोग इसलिये वहां नहीं जाते कि वह बोर्डर पर पड़ता है? मैं समझता हूं कि ऐसी बात कह कर जो उन्होंने सरकार के प्रति गलतफहमी पैदा की है उसे दूर करना चाहिये और आज की स्थिति में तो नैनीताल में ही चूंकि वह बोर्डर पर पड़ता है सारी मीटिंग्स होनी चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रताप सिंह का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने सदन के अन्दर जो गलतफहमी है उसके स्पष्टीकरण का मौका मुझे इस प्रश्न को उठा कर दिया। यही नहीं बल्कि नैनीताल से भी कुछ लोगों ने हमको पत्र लिखा और जब मैं नैनीताल गया था तो वहां भी कुछ व्यापारियों ने हमसे कहा कि साहब, जब यहां कुछ सरकारी कर्मचारी आते हैं तो हम लोगों का सौदा बिक जाता है, तो आप यहां बैठक न करने की बात क्यों कहते हैं? तो हमने वहां उनको जो उत्तर दिया था वही उत्तर यहां पर भी दे देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बहुत लम्बा उत्तर नहीं दे सकते।

श्री राजनारायण---यह देखा जाय कि प्रिविलेज कमेटी की बैठक क्या इसके पूर्व कभी भी नैनीताल में हुई थी ? मगर अब ८ दिन तक प्रिविलेज कमेटी की बैठक नैनीताल में हुई। कमेटियों में बैठकर लोग कहते हैं कि "नैनीताल भी घुमा देते"। ऐसे मामलों में नैनीताल में बैठक होने से क्या प्रताप सिंह जी समझते हैं कि जनता के धन का दुरुपयोग नहीं होता ? दूसरे तरीके से नैनीताल को विकसित करने के लिये चाहे जितना रुपया माननीय प्रताप सिंह मांगें, वह ठीक है। बनारस का रुपया काटकर दिया जाय। हम मानने को तैयार हैं कि बनारस के नगर भवन का २० लाख रुपया काटकर नैनीताल को दे दिया जाय। अनुचित ढंग से बनारस के घाटों के नाम में जो धन का दुरुपयोग हो रहा है वह उन को दे दिया जाय, लेकिन इस तरह से जो नैनीताल में बैठकें होती हैं उस से तो जनता के धन का दुरुपयोग होता है और सेक्रेटेरियट के लोगों को भी दिक्कत होती है।

श्री अध्यक्ष---बस अब ज्यादा कहने की मैं इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण---नैनीताल की तरक्की हो इसके लिये हम तैयार हैं लेकिन इस तरह से वहां बैठकें करके निश्चित रूप से जनता के धन का दुरुपयोग होता है और सरकारी कार्य की एफिशियेंसी भी खत्म होती है। इसलिये मेरा मत है कि स्टैंडिंग कमेटियों की और दूसरी कमेटियों की मीटिंग नैनीताल में न की जाया करें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी ने यह नैनीताल के विषय में नियम अपने लिये ही बनाया है या अपनी पार्टी के दूसरे लोगों के लिये भी ?

श्री प्रताप सिंह---श्रीमन्, मैं यह . . . . .

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, आप बैठें। इस तरह से तो बहस का उल्टा रास्ता पैदा हो जाता है।

१९६०-६१ क आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद जारी होगा। कल श्री चन्द्रसिंह रावत बोल रहे थे वह अपना भाषण जारी रखेंगे और ११ मिनट उन के अभी शेष हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह कह रहा था कि इस बजट पर जो कुछ अब तक डिबेट हुआ है वह बहुत ही सुपरफिशियल सा रहा है। यह नहीं बताया गया है कि इस बजट में जो खर्च की मदें हैं और जो कार्य सम्पादन उन से होने के लिए हैं वह ऐसे हैं जो प्रजातांत्रिक नहीं हैं। अगर बजट का सम्पादन प्रजातांत्रिक ढंग से न किया गया होता और जिन कामों के सम्पादन के लिये बजट में धन रखा गया है उनके लिये पया उस ढंग से न मांगा गया होता तो मैं कह सकता था कि यह गवर्नमेन्ट की डेमोक्रेटिक पालिसी के खिलाफ हुआ है। मुझे खेद है कि लोगों ने यहां इस बजट का साइन्टिफिक अनेलेसिस नहीं किया और जो कमियां या खामियां इसमें हैं उनके कारणों को नहीं बताया और न उनको तलाश करने का ही कोई प्रयास उन्होंने किया। मैं उन कमियों और खामियों को यहां बताना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

हमने अपने यहां डेमोक्रेटिक सेट अप आफ गवर्नमेन्ट को कबूल किया है इसलिये वह एक ऐसी चीज है कि जो बहुत देर में पनपती है और बहुत समय बाद उसके परिणाम दिखाई देते हैं। डेमोक्रेसी में जनरल डेलीवरेंस आफ गुड्स में समय लगता है इस बारे में कोई गलतफहमी हमारे दिमाग में नहीं रहनी चाहिये। अगर कोई जल्दी से परिणाम देखना चाहता है तो इस देश

*१८ फरवरी, १९६० की कार्यवाही से।

में डिक्टेटरशिप आना चाहिये थी। उस के द्वारा जो काम ५ साल में हो सकता है वह ५० साल में भी जनतंत्र के द्वारा नहीं हो सकता। लेकिन जिन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कबूल किया है उन्हें उस के डिले वाले इन्हेरेन्ट डिफेक्ट को भोगना ही पड़ेगा। देश को हम डिक्टेटरशिप द्वारा या कैपिटिलिज्म द्वारा तेजी से ले जा सकते हैं, लेकिन यदि आप डेमोक्रेसी से इस तरह की आशा करते हैं तो आप की वह आशा दुराशा मात्र ही सिद्ध होगी।

दूसरा कारण ब्रिटिश रूल की लीगेसी है जिसके कारण आज हमारा देश तबाह है। हमने देखने की कोशिश नहीं की उन रूल्स और रेग्युलेशंस को जो ब्रिटिश हुकूमत को मजबूत करने के लिये बनाये गये थे। जिनके ऊपर अमल करने से उनके हित इस देश में सम्पादित होते थे। उन रूल्स और रेग्युलेशंस से हम चाहते हैं कि प्रजातांत्रिक हितों का सम्पादन हो। यह हो नहीं सकता। जब तक आप उन पुराने रूल्स और रेग्युलेशन्स को तब्दील नहीं करते तब तक सरकारी अधिकारियों को दोष देना बेकार है। वह तो रूल्स और रेगुलेशन्स के मुताबिक काम करेंगे। जब आपने डेमोक्रेटिक सेट अप को कबूल किया तो आपको चाहिये था कि रूल्स और रेगुलेशंस को रिवाइज करते और जो नई स्पिरिट—स्पिरिट आफ दि एज—है उसको बढ़ाने का प्रयत्न करते। उन पुराने रूल्स और रेग्युलेशंस से हम सफलतापूर्वक काम कर सकेंगे, इसमें मुझे संदेह है। इसलिये जो सरकारी अधिकारियों के ऊपर दोष मढ़ा जाता है उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है। वही पुराना तरीका है। पटवारी से, कानूनगो से, तहसीलदार से रिपोर्ट आयगी तब कहीं वह ऊपर आती है और वही होता है जो नीचे से लिखा जाता है।

ब्रिटिश कोर्ट आफ जस्टिस हमारे देश में रखा गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इस पर आवाज उठाई गई थी कि ब्रिटिश कोर्ट आफ जस्टिस हिन्दुस्तान को बरबाद कर रहा है। यहां दूसरी तरह की अदालतों की जरूरत थी जो हमारे देश के हितों को देख सकतीं। उस पुराने कानून से काम लेकर हम चाहते हैं कि पुराने जमाने के लोगों की आदतों को हम एक दिन में रोक दें। आप भले ही बड़े-बड़े आदर्श उपस्थित कीजिये, लेकिन आपके आदर्श और आपके व्यवहार में बिलकुल विरोध है। कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इस सदन में भी गांधी जी के आदर्शों का ढोल पीटते हैं, लेकिन हमारे कारनामे काले होते हैं।

तीसरी बात, हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वह कैसे पनप सकती है? क्या वह कांस्टीट्यूशन की किताबों में पनप सकती है? क्या कानून के अन्दर पनप सकती है? वह तभी आगे बढ़ सकती है जब अपने विचारों को, अपने आचार को और अपने कंडक्ट को ठीक करें। हमारे आदर्श और व्यवहार जब तक एक साथ नहीं चलते तब तक डेमोक्रेसी आगे बढ़ नहीं सकती। डेमोक्रेसी तो विचारों और कंडक्ट में ही पनपती है वरना वह डेड डेमोक्रेसी है। जो कांस्टीट्यूशन हमारे कामों को इंसपायर नहीं करता मैं कहता हूं कि वह कांस्टीट्यूशन डेड कांस्टीट्यूशन है। डेमोक्रेसी को तो हमारे कंडक्ट और करेक्टर में रहना चाहिये। हमारा व्यवहार तो अभी वही पुराना है। अभी समय लगेगा। डेमोक्रेसी में बहुत समय लगता है। हम इतनी जल्दी इस देश को पनपा देंगे यह तो स्वप्न की बात है। इसलिये, श्रीमन्, ...

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—एक सूचना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कांस्टीट्यूशन डेड है.....

श्री अध्यक्ष—उनको बोलने दीजिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत—श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी पनपे तो आप अपने करेक्टर को, अपने कंडक्ट को और अपने विचारों को दुरुस्त रखिये। इसी लिये मैंने कहा कि आपने इसका साइंटिफिक एनालिसिस नहीं किया है। आपने डेमोक्रेसी संविधान में रखी है लेकिन जो कानून आपने बनाये उन्होंने आपके जीवन को प्रभावित नहीं किया। यह डेमोक्रेसी के डिफेक्ट्स हैं। इसलिये जो कमियां और खामियां हैं या बतायी गई हैं वे डेमोक्रेसी के कारण हैं उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता वह अपना पूरा समय लेगी।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

बहुत सी शिकायतें की गईं। एक बात और है कि जब हमने कांग्रेस के झंडे के नीचे कसमें खायी थीं कि जब तक जनता को जाग्रत नहीं बना देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि शिकायत हर काम के मुताल्लिक आ रही है इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे देश में जागृति हो गई है, लोग अपने हकूक समझते हैं और वे अपने अधिकारों को चाहते हैं। लेकिन हमारे नेताओं और सदस्यगण ने जनता में जाकर यह नहीं बताया कि राइट्स के साथ-साथ उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। जो आश्वासन दिये गये हैं उनको पूरा करने के लिये क्या अकेले सरकार ही सब काम कर सकती है? पंडित जवाहर लाल नेहरू या डाक्टर सम्पूर्णानन्द ही अकेले देश को नहीं उठा सकते जब तक कि ३६ करोड़ आदमी मिल कर काम नहीं करते। उनके ७२ करोड़ हाथ मिल कर किसी काम में नहीं लगते, ३६ करोड़ दिमाग नहीं लगते तब तक सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती।

श्री अध्यक्ष--क्या हाथों के साथ-साथ दिमाग भी दुगने हो गये।

श्री चन्द्रसिंह रावत--सरकार उन दावों को पूरा अकेले नहीं कर सकती। मुझे खेद है कि हमारी सरकार ने जनता के अन्दर काम करने की कोई दिलचस्पी पैदा नहीं की। लाखों, करोड़ों जनता आज बेकार है।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ कहने के पहले मैं माननीय बहुगुणा जी को कल के प्रभावशाली वक्तृता के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एक गलत चीज को सही सिद्ध करने का प्रयत्न किया और किसी हद तक उसमें सफल भी हुये।

सबसे पहले उन्होंने यह कहा कि राजकीय बजट है न कि किसी बनिये का बहीखाता। मगर मैं कहना चाहता हूं यह बात उन्होंने बिल्कुल उल्टी कही। वाकई में यह राजकीय बजट नहीं है बल्कि किसी सूदखोर रस्तोगी का बहीखाता है। शुरू से आखिर तक कोई मद ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें सिवा लेनदेन के दूसरी बात कही गई हो। लेकिन उन्होंने उसको बजट सिद्ध कर दिया।

एक चीज और माननीय बहुगुणा जी ने कही कि कर्ज मिलने से ही यह मालूम पड़ता है कि हमारी साख बनी हुई है और हमारी गवर्नमेन्ट की कितनी बड़ी इज्जत है कि लोग हमें कर्जा दे दिया करते हैं। हमारे ऊपर विश्वास है इसलिये कर्जा मिल जाता है। यह सुनने में बड़ा अच्छा मालूम पड़ता है। अगर हमारी सरकार की साख बनी न होती तो कर्जा कहां से मिलता! लेकिन देखा जाय कि कर्जा मिला कहां से तब मालूम पड़ता है कि साख किधर की है और किधर फैल रही है। उन्हीं के बजट के आंकड़ों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक हमारी सरकार को १,७१,९८,९५,००० रुपये कर्जा मिला दिल्ली से और दिल्ली को कर्जा कहां से मिला है, इसको सभी जानते हैं---इंग्लैन्ड है, अमेरिका है, जर्मनी है और न जाने कितने छोटे-छोटे मुल्क हैं जो कर्जा दे रहे हैं। और यह जानकर दे रहे हैं कि यह वापस होने वाला नहीं है। यह दान है, उस कर्ज में से यह रकम इनको मिली है। इनकी साख पर जो कर्जा मिला है वह प्रदेश का है ४३,४८,९८,००० रुपये। कर्जा बाहर से जो मिला है दान वाला उस कर्ज में ज्यादा मिल गया तो माननीय बहुगुणा जी ने कह दिया कि हमारी साख कायम है।

साख के बारे में एक जरा-सी बात और निवेदन करना चाहता हूं। विषयान्तर नहीं है। एक रोज मैं सबेरे टहलने जा रहा था और एक जगह दो आदमी झगड़ा कर रहे थे। एक रुपया दे रहा था दूसरा लेने से इन्कार कर रहा था। एक ने कहा कि इनको दिखला लो कि हम सही कह रहे हैं और ३० रुपये सही दे रहे हैं। मैंने देखा कि तीन नोट थे दस-दस रुपये के मैंने कहा वास्तव में ३० रुपये तो हैं। उसने कहा कि आपको मालूम नहीं है कि अभी कल हमारे डाक्टर साहब आये थे अपने जमींदारी के बांड भुनाने। १०० रुपये लिखे थे और ५० रुपये में

भुने। गवर्नमेन्ट के जितने कागज हैं सब आधे हो गये हैं। इसने ३० रुपये कर्जा लिया और १५ दे रहा हैं और कह रहा है कि ३० हो गये। यह साख है आपकी। यही नहीं १०० रुपये के बांड के सरकार खुद ६० रुपये लगा रही है। इस आधार पर उनको कर्जा मिलता है।

माननीय बहुगुणा जी ने एक चीज और कह डाली। उन्होंने कहा कि हमारा कल्याणकारी राज्य है और बड़ी जबरदस्त भाषा व जबरदस्त पोज में उन्होंने इस बात को कहा जिससे साबित हो गया कि सचमुच में कल्याणकारी राज्य है। इसे देख कर मस्तिष्क में यह बात उठी कि वास्तव में यह कल्याणकारी राज्य है भी या नहीं। इसके लिये बजट को देखने की जरूरत पड़ी। उसमें देखा कि समाज कल्याण पर ५०,०४,००० रुपया रखा गया है और पुलिस पर ९,८६,००,००० रुपया रखा गया लेकिन नाम समाज कल्याणकारी राज्य का है पुलिस राज्य का नहीं है।

मैंने जो कहा यह सूदखोर रस्तोगी का बहीखाता है, ऐसा मैंने क्यों कहा इसके बारे में भी जरा निवेदन कर देना चाहता हूं श्रीमन्, देखिये चाहे वह कोई भी राज्य हो जिसमें न्याय बेचा जाता हो उसको राज्य कहने के लिये कम से कम मैं तो तैयार नहीं हूं और कोई माननीय सदस्य तैयार हों तो हों क्योंकि एक राज्य का सब से प्रथम कार्य न्याय करने का होता है और उसके बाद दूसरे सारे कार्य आते हैं। मगर इस सरकार ने न्याय को भी परचूनी की दुकान का एक मसाला बना दिया है। जिस हिसाब से आपको अपना न्याय लेना हो उसी हिसाब से कोर्ट फीस दाखिल कीजिये, स्टैम्प लगाइये, वकीलों का पेट भरिये।

अब जरा यह देखिये कि इस सरकार को कोर्ट फीस स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन से आय है ३,१५,८६,७७० रुपये और खर्च है १,४८,५२,००० रुपये। यानी १,६७,३४,७७० रुपये की बचत है। तो न्याय में भी यह सरकार बचत कर रही है। यह सरकार कोर्टफीस आदि का पैसा इसलिये नहीं लेती है कि उसे जजों की तनख्वाह देना है या जो और कर्मचारी वहां काम करते हैं उनकी तनख्वाह वगैरह देना है बल्कि वह इसलिये फीस लेती है कि बचत करना जरूरी है और कहते हैं कि हमारा कल्याणकारी राज्य है। मैं क्या कहूं माननीय बहुगुणा जी उदीयमान नेता हैं और उम्मीद है कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर अनपार्लियामेंटरी न हो तो मैं यही कहूंगा कि एक नौजवान नेता एक बुड्ढी पार्टी से बांध दिया गया है, उस पार्टी से जो कि मरने जा रही है। तो अगर माननीय बहुगुणा जी को आगे तरक्की करनी है तो जल्दी इस बुढ़िया पार्टी को छोड़े नहीं तो जान निकल जायगी।

अब जरा कृषि की तरफ ध्यान दीजिये जो हमारे यहां का प्रमुख पेशा है और जिसके आधार पर ही अपने देश और प्रदेश की सारी चीजें चलती हैं। बड़े जोर के साथ वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि ६६७ बीज के फार्म्स खोले गये बड़ी खुशी की बात है। मगर उन्होंने यह नहीं बतलाया कि इसमें उत्पादन कितना हुआ। अगर उन्होंने यह बतलाया होता कि ६६७ फार्मों में कितने एकड़ जमीन ली गयी और कितनी उपज हुई तो बात कुछ समझ में आती। लेकिन जब यह आंकड़े उन्होंने दिये ही नहीं तो उसके बारे में कुछ कहना ही बेकार है।

दूसरी बात मंत्री जी ने उसी शीर्षक में बागवानी के बारे में कही कि बड़े बाग लगाये गये, फलदार पेड़ लगाये गये। माना कि बड़े-बड़े पेड़ लगाये गये मगर असलियत क्या है? बागों के ऊपर सर्किल रेट का दुगना लगान लगा दिया गया है और ७ साल का इकट्ठा वसूल किया जा रहा है। नतीजा यह है कि जिसके पास बागात थे वे उनको काट-काट कर खेत बना रहे हैं क्योंकि खेतों की मालगुजारी बागों की मालगुजारी से कम है और मंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत बाग लग रहे हैं।

इसके अलावा मंत्री जी ने उसी में कहा कि ३० हजार मन आलू का बीज बांटा गया। मगर यह कितने खेतों पर बांटा गया यह जरा देखने की चीज है। श्रीमन्, ४ करोड़ ८० लाख एकड़ खेती की जमीन अपने सूबे में है जिसमें ३० हजार मन बीज जोकि कुल ४ हजार एकड़ की खेती के लिये ही पर्याप्त हो सकता है, बांटा गया है। इसके मानी यह होते हैं कि दो सौ एकड़ से भी कम फी जिला पड़ता है जबकि एक गांव का रकबा औसतन पांच–छः सौ एकड़ होता है। यहां दो सौ एकड़ के लिये एक जिले में आलू का बीज बंटता है। यह है कल्याणकारी राज्य!

[कुंवर श्रीपालसिंह]

सामुदायिक विकास के ऊपर अब मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कहा गया कि हरी खाद का बीज बांटा गया और जहां बांटा गया वहां सिंचाई में पचास प्रतिशत छूट की घोषणा की गयी। छूट मिली या नहीं इस पर प्रकाश नहीं डाला गया।

४ लाख ५० हजार रुपया कुआं बनाने के लिये और पहाड़ी जिलों में नहरें बनाने के लिये सरकार ने दिया। पूर्वी जिलों में १५ जिले हैं अब आज कुल का आधा पहाड़ी जिलों के लिये निकाल दिया जाय तो २ लाख २५ हजार १५ जिलों में बांटा गया। अगर एक जिले में औसतन २ हजार ५० गांव रख लिये जायं तो ३० हजार ७ सौ ५० गांव हुये यानी ७ रुपये फी गांव कुओं के लिये बांट दिया गया है। और कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य है।

सहकारिता विभाग के सम्बन्ध में एक बड़ी मार्के की बात कही गयी है। उपज बढ़ाने के लिये जहां जरिये गिनाये गये हैं वहां यह भी कहा गया है कि गल्ला खरीदने का प्रबंध किया गया है। कहा गया कि इससे उपज बढ़ जायगी। जब गल्ला बाजार में १५ रुपये में बिकता है तो सरकार दस रुपये में खरीदती है और कहती है कि उपज बढ़ जायगी। इसको वही सोच सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सोच सकता।

श्रीमन्, एक चीज और। मंत्री जी ने कहा कि २४ लाख मन बीज बांटा गया उन्नत प्रकार का, उसी प्रकार का जिस प्रकार का बलिया बार्ली एक मर्तबा बंटा था। जिसमें पौधे तो बहुत अच्छे हुये लेकिन बाल एक भी नहीं लगी। २४ लाख मन बीज बांटा गया, यानी ४७५ मन लगभग फी जिला पड़ेगा, १०० मन फी तहसील। अगर एक तहसील में औसतन ६०० गांव रखे जायं तो ६ मन फी गांव यानी दो एकड़ की बोवाई हुई। इससे कल्याणकारी राज्य हो गया?

कर्जा लिये चले जा रहे हैं। इस कदर कर्जा बढ़ाया है कि एक-एक इंच जमीन बिक चुकी है, यहां तक कि इस देश और प्रदेश के रहने वालों के शरीर तक बिक चुके हैं। इतना कर्जा ले लिया है कि जब यह कुर्सी छोड़ेंगे तो जो सरकार आयेगी उसकी नाक में दम हो जायगा कर्ज देते देते। श्रीमन्, शिक्षा के बारे में भी बड़ी ढोल पीटी गयी है कि इतने स्कूल खोले गये, इतने मास्टर रखे गये।

उसका नतीजा प्रत्यक्ष है हमारे विश्वविद्यालय के लड़के सिनेमा के टिकट के लिये झगड़ा करते हैं, दंगा और फसाद करते हैं। इससे यह मालूम होता है कि हमारे शिक्षार्थियों का स्तर कितना गिर गया है। यह हुआ है केवल इस कल्याणकारी राज्य की कृपा से!

*खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बजट पर साधारण वाद-विवाद होता है तो सरकार इसके लिये उत्सुक रहती है कि विरोधी दल से जो आलोचनाएं, समालोचनाएं इत्यादि हों उनसे लाभ उठाये। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विरोधी दल अपने इस कार्य को, जब से मुझे इस सदन में आने का अवसर मिला सन् ३६ से, तब से बराबर देखता आ रहा हूं और वह अपने इस कार्य को निभाता है। मगर एक शब्द सन् ५२ से आलोचना समालोचना के साथ एक नया शब्द 'कोसना' भी आ गया है और हमारे साथी उसका काफी प्रयोग कर रहे हैं। सन् ५२ से ६० तक हमें कोसना अधिक मिला। लेकिन अब की बार नारायण दत्त जी ने हमें उन पुरानी बातों का स्मरण दिला दिया जब कि विरोधी दल अध्ययन करने के पश्चात् बजट पर कुछ कहा करते थे और मुझे आशा है कि भविष्य में मुझे ऐसी ही आलोचनाएं और समालोचनाएं सुनने को मिलेंगी। इसके लिये मैं उनको बधाई तो देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। मगर उन्होंने जो अपने इस अध्ययन के पश्चात् भी कुछ भूलें की हैं तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनसे उनको अवगत करा दें कि क्या-क्या भूलें उन्होंने की हैं। जो हमारी कमियां हैं उनको भी हमने समझने की कोशिश की।

सबसे पहली बात उन्होंने यह कही कि असन्तुलित बजट है। तो इसमें उन्होंने कोई नयी बात क्या कही? प्रथम पेज पर प्रथम अनुच्छेद में हमारे वित्त मंत्री ने स्वतः ही कह दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि कुछ अवस्थाओं में असन्तुलन होने की सम्भावना होती ही है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। तो असन्तुलित किस परिस्थिति में है उसको भी आप समझने की चेष्टा करें और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भाई चन्द्रसिंह जी रावत ने बहुत सी बातों की ओर इशारा कर भी दिया है। आपने कहा और सभी ने बल्कि पालीवाल जी ने भी और नवलकिशोर जी ने भी कहा कि हम बराबर अपना घाटे का बजट दिखाते रहे हैं और सरप्लस इसलिये कर देते थे कि जितना पैसा उसके लिये मिलता था उसे खर्चा ही नहीं करते थे। अब अगर आप ५८–५९ की फिगर्स देखें तो मालूम होगा कि खर्च के लिये ११२.७७ करोड़ रखा गया था जबकि कुल खर्च किया गया ११६.१४ करोड़। चार करोड़ उससे ज्यादा खर्च किया। तो आप यह कैसे कह रहे थे कि जो धनराशि मंजूर होती है खर्च के लिये उससे भी हम कम खर्च करते हैं जबकि आपके सामने यह फिगर्स मौजूद हैं? इसी तरह सन् ५९–६० में भी अगर आप देखें, अनुमानित है, उसमें भी १२१.४७ करोड़ व्यय के लिये रखा गया था और खर्च हुआ १२२.५० करोड़। इसमें भी लगभग डेढ़ करोड़ के ज्यादा खर्च हुआ। पूंजी व्यय में भी आप देखें ५९–६० में २५ करोड़ १४ लाख कैपिटल खर्च रखा गया था। खर्च हुआ ३२.४२ करोड़। इसमें भी बढ़ा हुआ है। तो यह लांछन ....(व्यवधान).....वैसे तो अगर पिछली बातें कहने लगूं मैं तो बहुत कुछ कह सकता हूं। तो देखें, माननीय सदस्य जरा शान्तिपूर्वक सुनने की कृपा करें....

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—मैंने कहा कि जरा ५७–५८ का भी देख लीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैं कह रहा हूं। आप जरा शान्ति से सुनिये। मैं कहता हूं कि किसी देश का बजट सब मानते हैं कि दर्पण होता है उसकी आर्थिक स्थिति का। सवाल यह होता है कि बजट अगर जर्मनी का या अमेरिका का बहुत अरब डालर्स का होता है तो हम समझते हैं कि वहां की स्टैंडर्ड आफ लिविंग, नेशनल इनकम ज्यादा है। इसी सदन में सन् ३६ में १२ करोड़ का बजट हमने पेश किया था और आज के दिन वह करीब १ अरब ३२ करोड़ तक पहुंचा है। तो इसमें कोई बढ़ोत्तरी मालूम होती है कि नहीं? तो बीच की बात भी कह दी, जिस हिसाब से मैं यह कह रहा हूं, उसमें किसी चीज को लेकर अपवाद की बात साबित नहीं होती है। इसलिये मैं कह रहा हूं कि निरंतर ३, ४ वर्षों के बजट में यह बात दिखाई नहीं देती है।

अभी श्रीपाल सिंह जी साख के सम्बन्ध में कहकर यहां से चले गये। वह हमारी साख की बाबत मजाक उड़ा रहे थे जिसके बारे में माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने भी कहा था कि आनेवाली पीढ़ी, जो इस गवर्नमेंट को सम्भालेगी, उसके ऊपर कितना बोझ होगा। मैं समझता हूं यह बहाना भी अच्छा है। जनता से कह दिया जायगा कि गवर्नमेंट ने चूंकि कर्जा ज्यादा ले लिया है इसलिये हम नहीं आ रहे हैं। खैर, जो कुछ भी हो। मगर एक बात पर आप ध्यान दें कि हमारी साख कोई खराब नहीं है और कर्जा भी ज्यादा नहीं है। आप यह देखें कि इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का लोन २४४.६४ करोड़ है और बंगाल गवर्नमेंट का २४३.७५ करोड़ है और यू० पी० का इस समय २२० करोड़ है जो कि बम्बई के लगभग बराबर है। तो यह लोन कोई ज्यादा नहीं है लेकिन आप इसको ज्यादा समझते हैं। १३२ करोड़ के करीब हमारा लोन एण्ड एडवांसेज के रूप में स्वशासन संस्थाओं के ऊपर है। इस पर नारायणदत्त जी तिवारी यह कह रहे थे कि जितना कैपिटल में लोन लेते हैं उतना खर्च नहीं करते हैं और वह रुपया अनप्रोडेक्टिव पड़ा रह जाता है। यह सही है कि कोई लोन किसी विशेष काम के लिये या उसके नाम पर नहीं लिया जाता है। लोन लेने के बाद जितना भीकाम होता है उस पर वह खर्च किया जाता है। इसका मैंने हिसाब लगवाया तो उससे यह पता चलता है कि खर्च करने में लोन वाले रुपये को निकाल कर २३६ करोड़ आता है। दूसरे कामों पर हमारा कैपिटल एक्सपेन्डीचर ३६८ करोड़ रुपये होगा और २८४ लोन का होता है। आपने यह सवाल किया था कि साहब लोन लेकर क्या करते हैं? मकान बनवाते हैं और मजा करते हैं और वह अनप्रोडेक्टिव पड़ा रह जाता है। तो वह कहां से आया? वह तो कैपिटल एक्सपेंडीचर हमारा ३६८ करोड़ रुपये का होगा।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

जहां तक असेट का सवाल है इसको भी समझने की बात है। हमारी साख किस तरह से खराब है यह मेरी समझ में नहीं आया। हम जो लोन लेते हैं वह ओवर सब्सक्राइब्ड बराबर हो जाते हैं। इसी तरह से नारायणदत्त जी तिवारी ने डाल्टन का कुछ उद्धरण यहां पर पढ़कर सुनाया। एक बात मैं आपको बतलाऊं कि पुस्तकों को पढ़कर किसी भी देश की फाइनेन्शियल पालिसी को ठीक रूप में नहीं देखा जा सकता। दुनिया में देशों की पालिसी वहां के बजट के सम्बन्ध में वहां की आर्थिक स्थिति के अनुसार होती हैं। नारायणदत्त जी तिवारी इशारा कर रहे थे जर्मनी का अनुकरण करने का लेकिन वे देश काफी एडवान्स हो गये हैं और वे इस तरह का अनुभव कर सकते हैं। अगर उनके यहां घाटा भी हो तो वह उसको पूरा कर लेते हैं लेकिन मैं तो असली दौलत उसको समझता हूं जो कि हमारी प्रोडेक्टिव चीज है यानी जो हमारा प्रोडेक्शन होता है, उत्पादन होता है वही असली देश की दौलत मानी जाती है। जिन देशों की माली हालत अच्छी है वे कैपिटल एकाउन्ट से अपना खर्चा चलाते हैं। इस विषय में भी बहुत से मतमतान्तर हैं। कोई कहता है कि लोन लेकर रकम बढ़ाने में फायदा है। इससे इन्फ्लेशन नहीं होता है और कोई इस विषय में कहता है कि इन्फ्लेशन होता है। इसलिये इस विषय के ऊपर बहुत से मत हैं। जिन पुस्तकों की बात यहां पर कही गई है उनके आधार पर हम अपने भारतवर्ष में नहीं चल सकते हैं। हम अपनी पद्धति पर चलते हैं और वही हमारे लिये सही रास्ता है। अब रही यह बात कि हमारी पालिसी जो हमने अपनाई है वह अपने उद्देश्यों में कहां तक सफल हुई तो उसके लिये पहला सवाल यह है कि उसका अन्तिम निर्णय तब होगा जब कि हमारे यहां यह हमारी योजनायें समाप्त हो जायंगी। अभी तो हम बीच में हैं और उसके लिये अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इक्वीटेबिल डिस्ट्रिब्यूशन की बात कही। कहा कि यह नहीं हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि रूरल एरिया में ज्यादा खर्च होना चाहिये क्योंकि उनसे ज्यादा आमदनी होती है। यह सही बात है। मैंने इस बजट के थोड़े से आइटम्स लिये जैसे, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एनीमल हजबेंड्री, सोशल वेलफेयर, हरिजन वेलफेयर, कम्युनिटी प्रोजेक्ट आदि। मैंने शिक्षा को छोड़ दिया, ऐडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ दिया, पुलिस को छोड़ दिया, क्योंकि यह शहर और देहात दोनों के लिये है। वाटर स्कीम को भी छोड़ दिया। जो चीजें प्योरली देहात में हैं उनको लिया तो वे कुल ५० करोड़ ४९ लाख की निकलीं। एजूकेशन को भी, जो अधिकतर देहात में ही है, अगर जोड़ लिया जाय तो मेरा खयाल है कि हमारे बजट का ८० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च हो रहा है। यह मैं बजट के फीगर्स से ही बता रहा हूं। मैं यह नहीं कहता कि और काम करने की जरूरत नहीं है। शहरों के समकक्ष देहातों को लाना है, इसे मैं मानता हूं और इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये, मगर यह बात नहीं है कि उस दिशा में हम नहीं जा रहे हैं। इसके लिए कोआपरेटिव के अलावा इक्वीटेबिल डिस्ट्रिब्यूशन करने का और तरीका क्या है? क्या जो अमीर हैं उनको लूट लें या उनकी संपत्ति जब्त करके दूसरों को बांट दें? इसका तरीका यही है कि कोआपरेटिव्ज कायम हों। जीवन के जितने काम हैं वे सब कोआपरेटिव्ज द्वारा संपन्न हों और इसके लिये हमने निश्चय किया है कि सर्विस कोआपरेटिव्ज बना डालें।

दूसरी बात बेरोजगारी की है। हमने यह देखा कि आज कल अरबन एरिया में अनइम्प्लायड तीन प्रतिशत पड़ते हैं और गांव में १ प्रतिशत। तो इसलिये देहाती क्षेत्र में इसमें हम तरक्की पर हैं। टोटली अनइम्प्लायड केवल एक आदमी रहता है।

कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स की तरफ हमारे नारायणदत्त जी ने इशारा किया कि कानपुर में यह बहुत बढ़ गया। १९४९ को बेसिस पर मुनकिन है कि बढ़ा हो, लेकिन मैंने इस वक्त को बेसिस पर देखा बहुत सी जगहों का मंगा कर, बाहर की बहुत सी जगहों का मसलन अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, जमशेदपुर, लुधियाना, मद्रास, नागपुर, शोलापुर और त्रिवुनी आदि का, तो कहीं पर वह १३८ है और कहीं १३० है और कहीं १३५ है। सब से

कम हमारे यहां कानपुर का है ९९। लुधियाना का ९९.२ है और बाकी सब १३६ के ओरे धोरे हैं।

उसके बाद तिवारी जी ने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग से न तो ट्रेडर को फायदा है और न कन्ज्यूमर को और न किसी और को ही। एक साहब और यह भी कह रहे थे कि वह तो चलेगी ही नहीं। मैं आप से बताता हूं कि कोई साहब कुछ कहें। दुनिया में, मगर स्टेट ट्रेडिंग जरूरी हो जाती है जब हम इक्वीटेबिल डिस्ट्रिब्यूशन की बात करते हैं। और जो सरकार या समाज इस बात के लिये प्रयत्न शील है कि हमारे देश में कोई गरीब गरीब न रहे, और अमीर और ज्यादा अमीर न हो तो एक मात्र तरीका को आपरेटिव का है और जब कोआपरेटिव्ज बनेंगी तो स्टेट ट्रेडिंग का अल्टीमेट पैटर्न वही है कि सर्विस कोआपरेटिव्ज गांव के प्रोड्यूस को कलेक्ट करें और मार्केटिंग सोसाइटीज के चैनल्स से रीजनेबिल और ईक्वीटेबिल रेट्स पर डिस्ट्रिब्यूशन करें और वह डिस्ट्रीब्यूशन कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव्ज करें। इस प्रकार मिडिल मैन टोटली एलीमिनेट हो जाता है। तो अगर पाटिल साहब या केन्द्रीय सरकार यह कह दे, या कोई भी गवर्नमेंट कह दे कि कल को कोई मोनोपोली नहीं होगी, फ्री ट्रेडिंग होगी, तो मैं कहता हूं कि जब कोआपरेटिव्ज हम बनायेंगे, काश्तकार अपने इंटेरेस्ट को समझेगा तो वह पालिसी खुद बखुद इनइफेक्टिव हो जायगी। काश्तकार मिडिल-मैन को क्यों देगा? अपनी कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव्ज और मार्केटिंग सोसाइटीज के थ्रू वह माल चलायेंगे रीजनेबिल रेट्स पर और उपभोक्ता भी कौन है? वही काश्तकार है। २ महीने के लिये वह प्रोड्यूसर और सेलर रहता है और बाकी १० महीने के लिये वही कन्ज्यूमर है। तो यह काश्तकार के इंटरेस्ट में है कि वह कोआपरेटिव्ज के थ्रू रीजनेबिल रेट्स पर बेचे और खरीदते वक्त रीजनेबिल रेट्स पर खरीद भी ले। यह उनके हित में है और यही उसका एक तरीका है।

दूसरी बात और भी है जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि इस वक्त हर एक चीज को करने के लिये एकदम से कोआपरेटिव सोसाइटीज नहीं बन गयीं जिससे कि हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें—स्टेट ट्रेडिंग को। तो बीच में ही यह कह डालना कि हमने स्टेट ट्रेडिंग को त्याग दिया—भाई राजनारायण एक प्रश्न करना चाहते थे कि पिछले साल के मूल्यों और इस साल के मूल्यों में अन्तर क्यों हुआ। तो यह अंतरिम जिला परिषद् दिखाई तो खराब देती है, यह लोकल सेल्फ संस्था ुरानी जैसे बनी हुई है वैसे ही स्टेट ट्रेडिंग का अल्टीमेट पैटर्न आज सामने नहीं है। यह अन्तरिम व्यवस्था चल रही है। यह उसका कारनामा था कि अन्न पिछले साल की अपेक्षा सस्ता रहा। जब कभी किसानों के पास गल्ला रह जाय या सरकार के पास गल्ला आ जाय तो उससे कोई अन्तर नहीं होता, मगर जब कभी होर्डिंग होगी दूकानदारों के पास तो मूल्यों में अवश्यमेव उसके ऐसी घटोत्तरी और बढ़ौत्तरी होगी जिससे कि बहुत कम और बहुत ऊपर उसकी जोल्टिंग होती रहे। जब किसानों और सरकार के पास होर्डिंग होती है तो बिलकुल अन्न का मूल्य स्थिर रहता है और यही वजह है कि गत वर्ष के अन्तर्गत होर्डिंग नहीं हो पायी। तो जब अल्टीमेट पैटर्न में किसानों के पास गल्ला रहेगा तो उससे कोई अन्तर नहीं पड़ा। अब बीच में हम यह नहीं कहते कि यह स्टेट ट्रेडिंग है। जैसे कि हमारे कम्युनिस्ट भाई कहते हैं कि जबकि सब स्टेट विदर अवे हो जायंगी, अभी तो यू० एस० एस० आर० है, अभी तो सोशलिज्म पर ही कायम है, जब कम्युनिज्म पर आयेंगे तब कम्युनिस्ट बनेंगे। तो जैसे कि कब्ल अज वक्त उन्होंने नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया, वैसे ही आज हम स्टेट ट्रेडिंग कहेंगे तो यह बिफोर टाइम होगा, प्रिमेच्योर होगा। हमारी तो आज बफर स्टाक को बनाने की नीति है और इसी से प्राइस कंट्रोल करने की ....

श्री प्रतापसिंह—प्राइवेट ट्रेडिंग है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं है। अभी तो बफर स्टाक की नीति है और स्टेट ट्रेडिंग तो तब होगी जैसा कि अन्ततोगत्वा पैटर्न मैंने आपको बताया।

एक सवाल श्री चन्द्रजीत यादव जी ने यह पूछा था कि कितना समय लगेगा स्टेट ट्रेडिंग करने में? तो उसका उत्तर यही है कि जितना समय उनको अपने इस सोसलिस्टिक

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

पैटर्न आफ सोसाइटी को कम्युनिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी में तब्दील करने में लगेगा उतना ही समय इसमें लगेगा। इस तरह से आलोचना करने से ही काम नहीं चलेगा। हर हिस्से में जितनी जल्दी आपकी सर्विस कोआपरेटिव्ज तथा मार्केटिंग सोसाइटियां बनेंगी उतनी ही जल्दी स्ट्रेट ट्रेडिंग भी चालू हो जायेगी। इसके लिये मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सरकारी समितियां तैयार हो जायं। यही मेरा मतलब कहने का है। जब तक हर एक के दिल में कोआपरेटिव बेसिस पर चलाने की बात नहीं आ जाती तब तक यह नहीं हो सकता। इसको आधे से ज्यादा आदमी मानते हैं, वे इसके सिद्धान्त को अच्छा बताते हैं। कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ भी बोलते हैं और इसमें कुछ खराबी बताते हैं। लेकिन वे खराबी केवल उसके इन्तजाम आदि में बताते हैं, उसके सिद्धांत को वे भी मानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सब को इस बात की कोशिश करनी चाहिये और कोआपरेटिव सोसाइटियां बनानी चाहिये।

वित्त मंत्री के बजट भाषण में हमारे नारायणदत्त तिवारी जी ने कुछ कहा, कभी उसको अन्बैलेन्स्ड कहा, फिर बाद में कुछ और कहा। लेकिन मैं यह जानता हूं कि वे दिल में यह समझते जरूर हैं कि हमने काम बहुत अच्छे किये हैं, पर बाहर से उनको कुछ न कुछ तो कहना ही था। इस रिपोर्ट को आप देखें और बहुत बारीकी से सोचें कि जब इस नियोजन की पृष्ठ भूमि में और उसकी चहारदीवारी में बजट तैयार किया जाता है तो निश्चित बात है कि उसमें हमें बहुत सी मौलिक चीजों के सम्बन्ध में नियोजन नेशनल डेवलपमेन्ट कौन्सिल की राय के बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। पहले तो यह था कि एक प्लान बनी ऊपर से और हम पर थोप दी गयी। अब थर्ड प्लान में उनकी जो योजना है, वह यह है कि नीचे से सारी योजना बने और उनका दायरा मुकर्रर हो जाय कि जिला लेविल पर क्या होगा, ग्राम लेविल पर क्या होगा, प्रान्तीय लेविल पर क्या होगा इत्यादि? इस तरह से फिर उसमें कुछ कहने का मौका नहीं रहेगा। तो जितनी भी योजनायें हैं उनमें कोई नयी चीज कैसे लाई जा सकती है।

दूसरी बात यह है कि बीच में मैं बोलना नहीं चाहता था, राजनारायण जी ने और लारी जी ने अपने भाषण में कुछ मकानों के बारे में जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि रेन्ट कन्ट्रोल विभाग में तमाम धांधली है। इस बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि एक मकान का किस्सा था। पहले तो अपने भाषण के दौरान में लारी जी ने दियासलाई के कारखाने का जिक्र किया। मालूम हुआ कि दियासलाई का कारखाना है। दियासलाई का कोई कारखाना मेरे सामने नहीं था मगर सत्याश्रम है। वहां का एक मामला सरकार के सामने है। हंसराज नाम के एक व्यक्ति उस मकान में रहते हैं जो उसके इल्लीगल पजेशन में हैं, बगैर एलाटमेन्ट के उसमें घुस गये हैं। उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही हुई। तो उनको हटा देने के लिये कमिश्नर के यहां से भी, सरकार के यहां से भी फैसला हुआ। हमारे पास अपील आयी। हम सबने यही कहा कि वह ट्रेसपासर हैं इसलिये हमारे साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये वह मकान ब्रह्मचारी जी के सत्याश्रम को एलाट कर दिया गया। मगर चूंकि वह इल्लीगल पजेशन में बैठा था इसलिये उसने अपील की थी और वह अपील खारिज हो गई। अब इस बीच में करीब २, ३ हजार आदमी सारे मोहल्ले वाले उठे और मुझसे भी मिले। मैंने उनसे कहा कि हमारा इससे सम्बन्ध नहीं है, जिलाधिकारियों से इसका सम्बन्ध है क्योंकि एलाटमेन्ट वे ही करते हैं। जब सारे मुहल्ले-वाले इकट्ठा हो गये तो यह एलाटमेन्ट का सवाल न रह कर ला ऐंड आर्डर का सवाल हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज के पास यह बात चली गयी। अब यह उनकी मर्जी है कि वह जैसी स्थिति देखें करें, ब्रह्मचारी के नाम एलाट करें या न करें इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। हमने अपनी जानकारी के लिये पूछा है। उनकी रिपोर्ट आती होगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैं पूरी बात कह तो लूं। मेरी बात सुन तो लें। डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज चाहें तो एलाटमेंट आर्डर को कैंसिल कर सकते हैं या उसको कन्फर्म कर सकते

हैं। उसमें ऐसी कोई बात आती नहीं है। ला ऐंड आर्डर को देखते हुए वह सब काम होगा। तो मैंने स्पष्टीकरण कर दिया कि गवर्नमेंट का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है, वह ला ऐण्ड आर्डर की पोजीशन का सवाल है।

श्री राजनारायण—मुझे श्रीमन्, यहां स्पष्टीकरण का मौका दें।

श्री अध्यक्ष—कोई बहस का समय नहीं है। आपने अपनी स्पीच दे दी। आपका उससे सम्बन्ध भी नहीं है।

श्री राजनारायण—मेरा सम्बन्ध बिलकुल है। मैंने पूरी जानकारी करके कहा है। श्री रामनारायण त्रिपाठी जी का खत आया है।

श्री अध्यक्ष—आपने एक व्यक्तिगत मामला खड़ा किया है उससे आपका कोई सम्बन्ध नहीं है। आप अपना भाषण दे चुके हैं। अब आप फिर स्पष्टीकरण दें तो उनको भी स्पष्टीकरण देने का मौका देना होगा।

श्री राजनारायण—जी हां, वह तो होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—तो बस यही होता रहेगा और कोई अन्य काम नहीं हो सकेगा। जी नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—उस बात को सामने आना तो चाहिये जो उन्होंने गलत तरीके से रखा है.....

श्री अध्यक्ष—अगर आप इसको रखना ही चाहते हैं तो आप अपनी पार्टी के किसी दूसरे आदमी को बोलने का मौका दिला दें और वह कह देगा। आपकी पार्टी में बहुत से काबिल आदमी हैं।

श्री राजनारायण—जी नहीं, किसी का समझा हुआ नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो आप अपनी पार्टी में ऐसे आदमियों को क्यों रखते हैं?

श्री राजनारायण—जी नहीं, हमारी पार्टी में झूठ बोलने वाले आदमी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—तो फिर उनको समझा दीजिये वे समझ जायेंगे, लेकिन इस तरह तो दो दो दफा आपको बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जहां तक बजट का सवाल है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि डिमोक्रेटिक सेटअप में जिस तरह का बजट पेश किया जा सकता है इससे बेहतरीन मुमकिन नहीं हो सकता।

दूसरी बात यह है कि यह कहा गया है कि यह पुलिस बजट है या टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस पर खर्च ज्यादा है, यह सब बातें कही गयीं। आन्तरिक सुरक्षा की मांग की जाती है। अभी उस रोज इस प्रदेश की सुरक्षा के लिये मांग की तो यह मानी हुई बात है कि जब आप यह चाहेंगे कि यहां पुलिस वैसा ही बर्ताव करे जैसा इंगलैण्ड की पुलिस करती है तो जब उनके लिये तनख्वाह भी ज्यादा होगी, सुभीता भी ज्यादा होगा तो साथ-साथ खर्चा भी ज्यादा होगा: अगर हजार आदमी के पीछे एक कांस्टेबुल बढ़ाना होगा तो खर्च भी बढ़ेगा। तनख्वाह के सम्बन्ध में तो हमारे मित्र सवाल करेंगे कि सेंन्टर और यहां के कर्मचारियों में कोई फर्क नहीं होना चाहिये और दूसरी तरफ कहेंगे कि खर्चा बढ़ रहा है। परसाल जो ढाई या पांच रुपये बढ़े तो उसमें खर्चा भी बढ़ा। तो यह दोनों बातें कैसे सम्भव हो सकती हैं? दूसरी तरफ हमारे मित्र कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य हो। कल्याणकारी राज्य में सेवा वृत्ति वाले लोग भी बढ़ेंगे और उससे खर्चा भी बढ़ेगा। फिर हमारे मित्र कहने लगते हैं कि सन् ३६ में इतने आदमी थे और आज इतने आदमी हो गये हैं। तो यह कन्ट्राडिक्टरी चीजें नहीं होनी चाहिये। उनको स्वयं ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये कुछ समय मिलना चाहिये. . . . .

श्री अध्यक्ष--उस सम्बन्ध में आपको मौका नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, उस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मंत्री जी ने कहा कि राजनारायण ने भी खाद्य के सम्बन्ध में एक सवाल पूछते हुये ऐसी बात कही थी। मेरा प्रश्न यह था कि खाद्य के सम्बन्ध में जो सात रुपये का डिफरेन्स है तो इनकी दुकानें पारसाल भी थीं . . . .

श्री अध्यक्ष--आप ने जो कहा था उसका उन्होंने उत्तर दे दिया। अब आप चाहें तो अपने किसी आदमी से उनकी बात को कंट्राडिक्ट करा सकते हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था से सहमत नहीं हूं। हमें पर्सनल एक्प्लेनेशन का मौका तो होना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष--आपने अपने स्टेटमेंट में फैक्ट्स देकर उनको एक्यूज किया। मन्त्री जी ने फैक्ट्स अपने बता कर ही उस को कन्ट्राडिक्ट कर दिया। अब इसमें पर्सनल बात क्या है जिसका आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन देंगे। आपने सिर्फ फैक्ट्स बताये हैं, आपकी कोई पर्सनल चीज नहीं है।

श्री राजनारायण--मेरे पास जिलाधीश का पत्र है. . .

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, आपने जो फैक्ट्स दिये, उनको उन्होंने कन्ट्राडिक्ट किया है।

श्री राजनारायण--मैंने कहा था कि जिलाधीश का पत्र मेरे पास मौजूद है . . .

श्री अध्यक्ष-- उसका उन्होंने जवाब ही नहीं दिया।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, नागपुर कांग्रेस के ६ महीने बीतने के बाद मुझे एक बात का सन्देह होने लगा था।

(इस समय १ बज कर २४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति के इस साल के संसद-भाषण के बाद उसकी पुष्टि भी हो गई है और मौजूदा वित्त मंत्री जी के भाषण और बजट पेश करने के बाद मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया। सन्देह इस बात का होने लगा था कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी ने नागपुर अधिवेशन में कुछ प्रगतिशील फैसले किये थे उनको वह एक के बाद एक छोड़ती जा रही है और अब वह नीति नहीं दिखाई पड़ती है जो कि नागपुर में घोषणा के समय दिखाई पड़ती थी। अब मैं इसको स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि मौजूदा शासक पार्टी ने और उसके अधीन चलने वाली सभी प्रदेशीय सरकारों ने और स्वयं केन्द्रीय सरकार ने भी कांग्रेस के भीतर और उसके बाहर भी देश की घोरतम प्रतिक्रियावादी शक्तियों के संघटित दबाव के सामने पूरी तरह से घुटना टेक दिया है और इसका प्रमाण इस बजट भाषण में भी हमको हर कदम पर दिखाई पड़ता है। किस माने में यह बात दिखायी पड़ती है? आज स्टेट ट्रेडिंग की चर्चा भी छोड़ी जा चुकी है और खाद्य मंत्री के भाषण के बाद तो उसमें कोई सन्देह रह ही नहीं गया है कि जो कुछ वे कर रहे हैं वह स्टेट ट्रेडिंग नहीं है बल्कि केवल बफर स्टाक का बनाना है जब कि कल यही खाद्य मंत्री यहां दावे के साथ कहते थे और पूरी सरकार कहती थी कि यह स्टेट ट्रेडिंग को लागू कर चुकी है और करती जा रही है। अब उसकी चर्चा तक नहीं की जा रही है। हर तरह से पूंजीपतियों को तरजीह दी जाती है और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है और पब्लिक सेक्टर से उदासीनता। सहकारी खेती की चर्चा सीमित हो गयी है और उसकी जगह पर भी अब सर्विस

कोआपरेटिव्स से ही संतोष किया जाता है। रातों-रात हजारों सहकारी सोसाइटीज सर्विस कोआपरेटिव्स के रूप में बदल दी गयीं।

नागपुर के मैन्डेट के अनुसार हदबंदी कानून १९५९ के अन्त तक बन जाने चाहिये थे। परन्तु आज वह खटाई में पड़ा है। किसी भी सूबे में सिवाय केरल के हदबंदी कानून अब तक पास नहीं हुआ। जोतों की ऊंची हदों की बात तो अलग है।

इस तरह हम देखते हैं कि मौजूदा शासक पार्टी और उसकी सरकार ने जिस बात का एलान किया था उसको वह छोड़ चुकी है और वह ऐसी प्रतिगामी ताकतों से हार मान चुकी है जो जनता का अहित करती है। इस तरह हम देखते हैं कि सरकार का राजनीतिक और आर्थिक संतुलन तथा झुकाव दक्षिणपन्थियों की ओर हो गया है और ये शक्तियां कांग्रेस के भीतर और बाहर बलवती हुई हैं। ऐसी पृष्ठ भूमि में जब हम मौजूदा वित्त मंत्री के पूरे बजट भाषण को देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि क्यों उन्होंने समाजवादी लक्ष्य को छोड़ दिया है। जिस समाजवादी समाज की स्थापना की बात सरकार करती है और उसका दावा करती है, उस समाजवाद के बारे में एक शब्द भी वित्त मंत्री ने अपने भाषण में नहीं कहा है। अच्छा ही हुआ कि यह ढोंग समाप्त हो गया। यह बहुत अच्छी बात है और इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। जो चीज जैसी थी वह सामने आ गयी, जो रंग था वह साफ हो गया, नकली कलई उतर गयी, बनावटी नकाब उलट गया। जिस बजट के पढ़े जाते समय सरकारी बेंचों ने एक बार भी खुशी न जाहिर की हो, वह बजट कितना जीवन रहित और जनहित-रहित है, यह इसका एक प्रबल प्रमाण है। बजट अच्छा होने पर कांग्रेसी विधायक अवश्य प्रसन्न होते क्योंकि जनता की वास्तविक भावनाओं का कुछ न कुछ स्पंदन और उनकी प्रतिध्वनि उनके विचारों में अब भी होती है लेकिन बजट भाषण को सुनते समय उनमें एक बार भी खुशी की लहर नहीं दिखाई पड़ी।

सरकारी आंकड़ों से जो तस्वीर राज्य तथा उसकी जनता की हमें मिली है, वह वस्तुस्थिति से उल्टे है। मैं कई वर्षों से देखता आ रहा हूं कि पहले तो बजट घाटे का पेश किया जाता है परन्तु बाद में बचत का बजट हो जाता है। बचत में यह भी स्पष्ट होना चाहिये कि कितनी बचत सही माने में बचत हुई और कितना रुपया व्यय न होने के कारण से बच गया। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये, वर्ना केवल बचत की बात कहने से एक भ्रम फैलता है। सरकार के अन्दर भी भ्रम फैलता है और हम सब के अन्दर भी भ्रम फैलता है, इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से इस बात का स्पष्टीकरण किया जायगा कि जो बचत आखिर में दिखलायी जाती है, उसमें कितनी बचत ऐक्चुअल है और कितनी बचत ऐसी है जो व्यय न करने से रह गयी। इस तरह की प्रवृत्ति पूरे शासन के प्रत्येक विभाग में दिखलायी पड़ती है। यह बड़ी हानिकारक है। उसको जितनी जल्दी समाप्त किया जाय उतना ही अच्छा है। निर्माण, विकास और सार्वजनिक हित के कार्यों में जो रुपये की बचत होती है वह नहीं होनी चाहिये। सन् १९५८–५९ के ही हिसाब की ओर आप देखें। सामुदायिक विकास, शिक्षा में १३५ करोड़; सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, पशुपालन, सहकारिता और उद्योग में १९४ करोड़; और नागरिक निर्माण में १०६ करोड़ अर्थात् कुल मिलाकर ४३५ करोड़ रुपये की बचत हुई है। इसी तरह से हमें हर साल ऐसी बचत देखने को मिलती है। विकास कार्यों में बचत, जनता के हितों के काम में बचत का जो तरीका है उसकी निन्दा होनी चाहिये। सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कि हम खाद्य समस्या में आत्म निर्भर हो जायंगे। १९५५–५६ के बजट भाषण में माननीय हाफ़िज़ मोहम्मद इब्राहीम ने कहा था और बड़े दावे के साथ कहा था कि "खाद्य के मामले में हम अपना बोझ खुद सम्भालने के योग्य हो जायं"। यह हमारा लक्ष्य था और आगे उन्होंने बड़े जोर से कहा था कि "देश खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर या सेल्फ सफीशियेन्ट हो चुका है। यह सफलता एक महान सफलता है।" इस सम्बन्ध में उन्होंने आगे यह भी दावा किया था "जब यह कहा गया है कि खाद्य का मसला हल हो गया है, तो इसका मतलब यह था कि उत्तर प्रदेश के रहने वालों के लिये उत्तर प्रदेश में गल्ले की पैदावार काफी हो गई और उत्तर प्रदेश इस योग्य भी हो गया है कि देश में कहीं भी जरूरत हो तो किसी हद तक

[श्री शान्तानंदराय]

मदद भी कर सकता है।" आगे उन्होंने एक जगह और इस बात का दावा किया है कि ". . और सब से ज्यादा यह कि खाद्य का मसला सफलता से हल हो चुका है।" उसके बाद के बीते हुये वर्ष पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि उन का वह दावा झूठा था और सरकार को इस विषय में अपनी असफलता सफाई से माननी चाहिए, यह छिपाने योग्य बात नहीं है, लेकिन इस सरकार ने अपनी गलतियों को मानना तो सीखा ही नहीं।

इसी तरह से सरकार की कृषि नीति भी पूर्णरूप से असफल रही है। ४५ लाख एकड़ भूमि में अधिक खेती हुई, आंकड़े पेश हैं मैं उनके ब्यौरे में अधिक नहीं जाऊंगा। २० करोड़ मन उन्नत बीज बांटा गया, ९ करोड़ मन से ज्यादा खाद बांटी गई, हरी खाद का प्रयोग भी शुरू हुआ, कृषि उपकरण १४ करोड़ से अधिक बांटे गये, २६२ हजार एकड़ जमीन में सिंचाई भी अधिक हुई। रबी व खरीफ अभियान भी हुये, धान बोने की जापानी और चीनी पद्धतियां भी अपनाई गईं लेकिन फिर भी प्रति एकड़ पैदावार घट गई। देहाती क्षेत्रों की जो आय सन् १९५४-५५ में प्रति व्यक्ति २१०.१ रुपया थी वह सन् १९५८-५९ में घटकर १९९.५ रह गयी। यह प्रगति हुई है। अनेक फसलों की पैदावार भी घटी है। पैदावारें सन् १९५६-५७ के मुकाबले में सन् १९५८-५९ में इस प्रकार घटी हैं। गेहूं की पैदावार ३,११५ हजार टन से ३,०३६ हजार टन रह गई, जौकि पैदावार १,५९६ हजार टन से १,३९५ हजार टन रह गई, मक्का की पैदावार ९८६ हजार टन से ६११ हजार टन रह गई, अरहर की पैदावार १,०५५ हजार टन से ६५० हजार टन रह गई, मूंग की जितनी थी उतनी ही रही, मूंगफली १७६ हजार टन से १४३ हजार टन रह गई और गन्ने की पैदावार ३४,९७३ हजार टन से घटकर ३०,७६५ हजार टन रह गई। सन् ४९ में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि २ साल बाद सन् ५१ तक देश खाद्य समस्या में आत्मनिर्भर हो जायगा लेकिन उनका वह स्वप्न स्वप्न ही रह गया। कभी १५ लाख टन अनाज की होती थी अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में और अब कांग्रेस के राज्य में कभी हो जाती है ६० लाख टन तक की। अनाज मंगाने में हर साल सवा सौ करोड़ रुपया अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, बर्मा और विलायत को जाता है। इसका कारण क्या है? क्यों खाद्य समस्या हल नहीं हुई? क्यों दूसरी आयोजना के पहले दो सालों में विदेशों से लगभग २७८ करोड़ का अनाज मंगाना पड़ा, जिस पर ५७ करोड़ रुपये केवल भाड़े के रूप में खर्च हुये। गत वर्ष लगभग १०६ करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्न मंगाये गये। कुल २७ लाख ८४ हजार टन खाद्यान्न का आयात हुआ। सब से बड़ा कारण है कि हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का जो स्वप्न था कि जमीन जोतने वालों के मजबूत हाथों में दी जाय—लैंड टु दि टिलर, वह आज भी स्वप्न ही है। फिर खाद्य समस्या का समाधान भी स्वप्न ही रह जायगा। बड़े भू-स्वामियों रूपी माटी के (देउरों) से जमीन छीन कर किसान रूपी धरती के भगवानों के हाथ में देनी होगी। भूमि समस्या के हल के बाद ही बेकारी की समस्या भी कुछ हद तक हल हो सकती है। देहातों में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं उनका भी कुछ हद तक समाधान हो सकता है। खाद्य समस्या का तो समाधान होगा ही रचनात्मक सुझावों के न देने के बारे में बड़ी शिकायत की जाती है। मेरा सुझाव है कि कृषि, सिंचाई और बिजली इन तीनों विभागों को एक कर दिया जाय और इनका संचालन एक मंत्री के हाथ में होना चाहिये और एक सुपर-चीफ भी हो।

आखिरकार क्रान्तिकारी भूमि-सुधार क्यों नहीं किया जा सका? जब संत विनोबा भावे को १८ अप्रैल, १९५१ को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि सब से बड़ी समस्या हिन्दुस्तान में भूमि समस्या है तो उसे हल करने के लिये वह अपने रास्ते पर चले। लेकिन आज देश जानता है कि उनका वह आन्दोलन अपने मुख्य लक्ष्य में असफल हो चुका है। असफलता को एक प्रकार से मानते हुए कांग्रेस पार्टी ने नागपुर में हदबंदी और भू-वितरण के रास्ते को माना जब कि भारतन कुमारप्पा कमेटी की अपनी रिपोर्ट को भी कांग्रेस ने १० वर्ष दबा कर रखा हुआ था और उस पर अमल करने की जरूरत नहीं समझी थी। भूदान आन्दोलन के असफल हो जाने पर और परिस्थितियों को देखते हुए नागपुर में कांग्रेस पार्टी ने उसे स्वीकार किया। उसे स्वीकार करना पड़ा। लेकिन उसका जो अमल हो रहा है वह सब जानते हैं।

१९५९ के आखिर तक हर प्रदेशीय सरकार को उसे अमल में लाना चाहिये था। लेकिन केरल के अतिरिक्त देश के किसी राज्य में उस पर अमल नहीं किया गया और इस राज्य में जो उस विधेयक की हालत है मद्धिम गति है वह हम सभी जानते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक हमारे खाद्य मंत्री सेंटर में और सूबे में हटते जाते हैं असफलताओं का टीका लगा सदा कर, तब तक खाद्य-समस्या के समाधान में सफलता नहीं होगी जब तक हमारे हिन्दुस्तान की भूमि समस्या को क्रान्तिकारी तरीके से हल नहीं किया जाता।

मैं एक बात और कह दूं। जो कुछ हमारे मुल्क में खाद्यान्न पैदा होता है उसमें से चूहे भी खा जाते हैं। देश में २४० करोड़ चूहे बताये जाते हैं और वह ७२ करोड़ मन अनाज खा जाते हैं। कितना नुकसान करते हैं, खाने के अलावा, उसका आंकड़ा नहीं मिल सका है चूहे मारने की रफ्तार तेज होनी चाहिये। चूहों का एक जोड़ा वर्ष भर में करीब २५० चूहों का परिवार बन जाता है। इन सब चीजों को देखते हुये मैं कहूंगा कि प्रथम योजना के लक्ष्य असफल हुए और हमारी खाद्य समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ।

उद्योग नीति के बारे में सेकेण्ड प्लान में कहा गया था कि यह हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि देश और प्रदेश में उद्योगों को बढ़ाया जाय। उसमें भी पब्लिक सेक्टर पर विशेष जोर था। बजट भाषण में हाफिज जी ने १९५६–५७ में इस बात को स्वीकार किया कि हमारा लक्ष्य यही है। लेकिन कितनी प्रगति हुई है? पब्लिक सेक्टर में उम्मीद थी कि अल्यूमिनियम प्लांट चुर्क में, सिन्थेटिक रबर प्लांट बरेली में, लोकोमोटिव कम्पोनेन्ट वाराणसी में और सीमेन्ट फैक्टरी देहरादून में खोली जायेगी। लेकिन क्या प्रगति हुई? जीरो परसेन्ट हुई। प्राइवेट सेक्टर में सोडा ऐश, वाराणसी में, रेयां फिलामेन्ट कानपुर में, बिजली के ट्रांसफारमर और स्विच गीयर नैनी, में, टार्चेज और बिजली के ड्राइसेल लखनऊ में और शुगर फैक्ट्री कीछा में, इन फैक्ट्रियों की बात थी। लेकिन कुल ४० परसेन्ट यानी पहली और दूसरी पूरी हुई। कोआपरेशन के क्षेत्र में चार शुगर फैक्टरी खुलनी थीं। उसमें से केवल एक खुली। इस तरह कुल मिलाकर प्राइवेट तथा पब्लिक सेक्टर के बड़े उद्योगों के क्षेत्र में चार साल में केवल २२ फीसदी सफलता प्राप्त हुई है। यह हमारी असफलता की एक निशानी है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वह अनेक क्षेत्र में घटे हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, चीनी की पैदावार घटी, सूती वस्त्र, लोहा सीमेंट, वनस्पति आयल, दियासलाई, जूट, सब की पैदावार घटी है। हां, एक चीज की पैदावार बढ़ी है, जिसको राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने त्याग करने के लिये कहा था और वह है मदिरालय और मद्यशालाओं की। इसमें वृद्धि हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सब क्यों? आखिरकार पूंजीपतियों ने—मुनाफा, कालेधन और संचय के शैतानों ने देश को धोखा दिया। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि केन्द्र के पुराने वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचारी, जो स्वयं उनके शिकार हुए उन्होंने ६ अगस्त, १९५८ को मदुराई में कहा:

"Private industry has failed me.....private enterprise did not play its part voluntarily..... Capitalism was of no use for a poverty-stricken over-populated country like India....."

और इसलिये आचार्य विनोबा भावे ने उसके समाधान हेतु कहा था जून, १९५९ में:

".....our objective is that not only land but factories should also be owned in common."

हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने समाजवाद नामक किताब भी लिखी है। लेकिन अगर उनके अन्दर थोड़ा सा भी समाजवाद के विचार अवशेष हों तो प्रदेश की चीनी मिलों और सूती मिलों का अब राष्ट्रीकरण हो जाना चाहिये।

दोनों योजनाओं के लक्ष्यों की असफलता के कारण हमारे देश की बेकारी भी खूब बढ़ रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की योजना उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, जिसके स्वयं ढेबर भाई अध्यक्ष थे, कि बेकारों और अर्ध बेकारों की संख्या इस समय ३ करोड़ है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में डेढ़ करोड़ और ऐसे लोग हो जायेंगे जिन्हें काम की जरूरत

[श्री झारखंडे राय]

होगी। यह है आजादी के बाद के १२ वर्षों की तस्वीर। १९५९-६० में केन्द्रीय सरकार ने खंडसारी पर ऐक्साइज ड्यूटी लगायी है उससे देहाती क्षेत्रों में करीब-करीब १५ लाख आदमी बेकार हुए हैं। फैक्टरी एम्प्लायमेंट में इस बीच में कमी हुई है। करीब ६,००० आदमी जो पहले काम करते थे वह काम से महरूम हुये हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में कम से से कम ७५ लाख आदमी बेकारी की श्रेणी में शेष रहेंगे, उन्हें काम मिलना चाहिये।

उत्तर प्रदेश में बेकारी के आंकड़े बताये जा चुके हैं लेकिन १९५५ से १९५८ तक बेकारों की संख्या निरन्तर बढ़ी है और यह भी एमप्लायमेंट ऐक्सचेंजेज की फ़ीगर्स हैं। लेकिन हम और आप जानते हैं कि जितने बेकार हैं वे सब ही उनमें रजिस्टर्ड नहीं होते। पिछले कुछ दिनों से विदेशों से जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लौटे हुये ५७८ वैज्ञानिक, इंजीनियर्स तथा अन्य विशेषज्ञ थे उनमें से २५६ यानी ४४ परसेंट बेकार हैं। मिर्जापुर टैक्नीकल डिवीजन के ४०० ट्रेन्ड वर्कर्स आज बेकार घूम रहे हैं और नेहरू जी कहते हैं हमें ट्रेन्ड आदमियों की जरूरत है।

बेकारी का क्या आलम पढ़े-लिखे लोगों में है इसका केवल दर्दनाक उदाहरण मैं देता हूं। गाजीपुर से एक स्टाकमैन लेना था, वहां से ५ आदमियों का नाम लखनऊ सिफारिश के लिये आना था। उसके लिये २०० आदियों ने दरख्वास्त दी जिसमें आधे से अधिक बी० ए०, इंटर और मैट्रिक थे जब कि उस पद के लिये आठवां दर्जा की योग्यता मांगी गई थी। यह है शिक्षित जनता की बेकारी की समस्या की भयानकता। सम्पन्न सूबे बंगाल में ७५,००० स्त्रियों ने बेकारी में नाम दर्ज कराया है, जिन में ९० प्रतिशत शिक्षित हैं। इसके बारे में बजट में एक लफ़्ज कहा ही नहीं गया। एक सवाल उठता है क्या पूंजीवादी व्यवस्था में बेकारी की समस्या हल हो सकती है। इसका एक नमूना मैं पेश करना चाहता हूं। पूंजीवादी शिविर में बेकारी तेजी से फैल रही है। लंदन के प्रसिद्ध दैनिक "टाइम्स" ने इन आंकड़ों को प्रकाशित किया है। अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि बेकारी की संख्या इससे भी अधिक है, क्योंकि अनेक बेकारों की संख्या इसमें शामिल नहीं है। आस्ट्रेलिया में ५२,६२९ से ७४,७६५, बेलजियम में १,४८,७२८ से १,९५,१४४, ब्रिटेन में ३,८०,१००, से ४,२४,०००, कनाडा में ३०३,०००, से ५,२०,०००, डेनमार्क में ९३,१४२ से १,१३,०४६, फ्रांस में १,०४,३०१ से १,१०,१४८, हालैन्ड में ३७,००० से १,२५,०००, स्वीडन में ४१,००० से ५६,०००; स्विटजरलैंड में ९,०४१ से ९,०९१ तथा पूंजीवादी महन्त अमेरीका में २९,००,००० से ४७,२४,००० बढ़कर हुये हैं। यह पश्चिमी शिविर में बेकारों की एक वर्ष की बढ़ती संख्या है। अब प्रश्न यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था में बेकारी की समस्या हल हो सकती है? पूंजीवादी व्यवस्था में इंसान काम की तलाश में भटकता फिरता है और समाजवादी संसार में काम इंसान की तलाश करता है। जब यह सरकार पूंजीवादी व्यवस्था को सुरक्षित करते हुए और उसे संरक्षण एवं प्रोत्साहन देते हुए चल रही है तो उसमें बेकारी की समस्या कभी हल नहीं हो सकती।

विकास योजनाओं के बारे में बहुत न कह कर मैं एक बात आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं। किसी कम्युनिस्ट का कहना नहीं है। देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० डी० आर० गाडगिल ने योजना कमीशन के अर्थशास्त्रियों की मीटिंग के लिये तैयार किये अपने निबंध में साफ-साफ कहा है कि "पिछले कुछ वर्षों में गरीब और गरीब हो गये हैं और धनी और धनी। शहराती और देहाती आबादी, छोटे कस्बों और बड़े शहरों, पिछड़े इलाकों और विकसित क्षेत्रों तथा देहाती इलाकों में नकदी फसलों के उत्पादकों और खाद्यान्नों के उत्पादकों के बीच का अन्तर निरन्तर बढ़ता गया है।" सरकारी नीति का सार बताते हुए अन्त में देश के इस प्रोफेसर ने लिखा है।

"वर्तमान योजना बद्ध अर्थव्यवस्था सीधे-सीधे मुक्त अर्थ व्यवस्था है, जिसमें सरकार द्वारा खर्च करने तथा निजी क्षेत्र को कुछ मदद देने का प्रोग्राम शामिल है पिछले दस वर्षों में सरकारी नीतियों तथा कानूनों ने देश के केवल औद्योगिक और व्यापारिक वर्ग की मदद की है।"

यह विकास योजनाओं का फल है और इसीलिये हमारे देश की फीकस आमदनी घटी है। राष्ट्रीय आय में बढ़ती होने के बजाय कमी हुई है। इसके आंकड़े यहां पेश किये जा चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। भारत ही ऐसा देश संसार में है जिसकी राष्ट्रीय औसत आय बजाय बढ़ने के ५७–५८ में घटी है।

पशुधन के विकास की चर्चा की गयी है। विकास का क्या नतीजा हुआ है? गौवें हमारे लिये कितने महत्व की हैं यह हम सब जानते हैं और इसीलिये हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा उनको माता के रूप में मानता है। भारतवर्ष में १५० सेर दूध प्रति गाय प्रति वर्ष, डेनमार्क में १,९३५ सेर दूध प्रति वर्ष प्रति गाय, स्वीटजरलैंड में १,९०० सेर दूध प्रति वर्ष प्रति गाय, और नीदरलैंड में १,८६५ सेर प्रति वर्ष देती है। यह हमारे १२ वर्ष के परिश्रम का परिणाम है। यही वजह है कि अमीर-अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है।

सरकार का चरित्र और स्पष्ट हो जाता है निस्संदेह रूप से, जब अमीर और गरीब के साथ भेदभाव पूर्ण नीति बरती जाती है। उसमें भी विषमता। उद्योगपतियों से नरमी का बर्ताव और गरीबों के साथ सख्ती का बर्ताव और उस पर एक मंत्री महोदय दो दिन पहले यहां कहने का साहस करते हैं कि वह इस बात की जरूरत नहीं समझते हैं कि कानपुर के उद्योगपतियों के प्रति कोई सख्ती बरतें। कानपुर के जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं उनके ऊपर बिजली का जो बकाया है, जिसकी चर्चा यहां हो चुकी है, वह है ५,००,०६,८०४ रुपये। ७ करोड़ रुपया चीनी के मिल मालिकों पर बकाया है जिसमें से ३ करोड़ १० लाख रुपया तो सरकार का है। मैं अगर गलत कह रहा होऊं तो कोई साहब उठ कर ठीक कर दें कि किसी भी पूंजीपति को हमारे प्रदेश के अन्दर हथकड़ी लगायी गयी, रस्सी में बांधा गया, चौकीदार का साफा लपेटा गया या जेल में बन्द किया गया? मगर ५ रुपये और १० रुपये के लिये वह सख्ती– कि जिसका देहातों में नजारा देखने वाले एक बार दहल जाते हैं। इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले, सभी ने इसका अनुभव किया होगा। इन पूंजीपतियों के साथ सरकार की यह दोस्ती रियायत और पक्षपात यही बतलाती है कि इस सरकार की नीति और चरित्र पूंजीवादी है, इसकी नीतियां उसकी हितचिन्तक हैं और जनता के समुन्नत विकास का जो इसका रास्ता है वह पूंजीवादी रास्ता है, उससे हमारे देश का विकास एक सीमा के बाद कतई नहीं हो सकता।

यही हालत हम और क्षेत्रों में भी देखते हैं कि आय में, तनख्वाहों में विषमता है। एक चौकीदार को ५ रुपये मिले और हमारे सूबे के राज्यपाल महोदय को ५ हजार रुपये मिलें। एक दफ्तर के बाबू को ४० रु० मिले और चीफ सेक्रेटरी को ३ हजार मिले। शहरी और ग्रामीण आमदनी का भी इस तरह अन्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि सरकार की यह नीति भी, इस माने में सफल रही कि गरीबों के साथ सख्ती और अमीरों के साथ नरमी का बर्ताव उसका बढ़ता जा रहा है।

पिछले साल प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के टीचरों के महंगाई भत्ते में ढाई रुपये की वृद्धि हुई थी। यानी एक औंस आटे की बढ़ती हुई थी। इस साल उसकी भी जरूरत नहीं समझी गयी कि उसमें कोई वृद्धि की जाय।

हरिजन भाइयों के पास जमीन नहीं, मकान नहीं, मकान बनाने के लिये जमीन नहीं, रोजी नहीं, रोटी नहीं और पीने को पानी तक नहीं। धिक्कार है इस सरकार की नीति को जो १२ वर्ष की हुकूमत के अन्दर भी इस प्रदेश के हरिजनों को पीने को पानी तक न दे सकी। हां, कुछ एम० एल० ए० बन जाते हैं, कुछ को नौकरियां मिल जाती हैं, कुछ को सहूलियत शिक्षा की है मगर इससे विराट समस्या का समाधान कुछ बनता नहीं है। मेरी शिकायत उधर बैठने वाले माननीय हरिजन विधायकों से भी है कि उनके अन्दर भी बुर्जुवा मनोवृत्ति पैदा हो रही है। वे अपने समाज के उस हिस्से के साथ उतना गहरा सम्बन्ध नहीं रखते जितना रखना चाहिये।

[श्री झारखंडेराय]

अन्त में मैं भ्रष्टाचार की बात लेता हूं। भ्रष्टाचार ऊपर ज्यादा है, यह नोट किया जाय, नीचे कम है। आप आज्ञा दें तो मैं एक रिपोर्ट आपको सुनाऊं। एक लेजिस्लेचर के चेयरमैन ने अपने बच्चों के लिये ४०-५० लाख रुपया छोड़ा है, एक मुख्य मंत्री ने अपने पुत्रों को ९० लाख रुपया दिया और एक दूसरे मुख्य मंत्री ने अपने मंत्रित्व काल में, जो पहले इतने गरीब थे कि डिक्री के १८ रुपये भी अदा नहीं कर सकते थे, आज उनके घर वालों के पास १ करोड़ की सम्पत्ति है। ऐसी अवस्था में राजेन्द्र बाबू ने जब कहा और देशमुख जी की मांग है कि एक हाई पावर कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिये जो ऊंचे लोगों की जांच करे उस पर प्रधान मंत्री पं० नेहरू जी द्वारा उस सुझाव तथा मांग को ठुकरा देना उचित नहीं था। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री के विचार में ऊपर करप्शन खतम हो गया है, अथवा कम हो गया है। यह करप्शन ऊपर है, संख्या में कम है लेकिन मात्रा में ज्यादा है। अतः मैं जोरदार मांग करता हूं कि एक हाई पावर ट्रिब्यूनल हमारे प्रदेश में नियुक्त किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी कमेटियों की गति बड़ी बुरी है। एकोनामी कमेटी बनती है, मूल्यांकन कमेटी बनती है, उनसे क्या असर पड़ता है सरकार के ऊपर? कितनी सीख उससे ली गयी? कोई रिपोर्ट उसकी सामने नहीं पेश होती है। कमेटियां बनती हैं, उन पर खर्चा होता है और जितना खर्चा होता है उतना भी लाभ नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष---मैं यह चाहता हूं कि अगर आप लोग इससे सहमत हों तो चूंकि आज वाद-विवाद का चौथा दिन है, इसलिये माननीय सदस्यों के लिये साधारण तौर पर दस मिनट का समय रख दिया जाय। इससे कुछ और लोग बोल सकेंगे। लेकिन पार्टी के पदाधिकारियों के लिये जैसे मंत्री, सचेतक और उपनेता वगैरह हैं उनको यथापूर्व १५ मिनट ही रहेंगे।

कई सदस्य---दस मिनट में कुछ नहीं बोल पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---तो जैसी आप लोगों की इच्छा। १५ मिनट ही रहे।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक निवेदन करना चाहती हूं। मेरा निवेदन यह है कि आज चौथा दिन है। बहुत से भाई १५ मिनट बोल चुके हैं और बाकी के लिये दस मिनट रखा जा रहा है, यह अन्याय है।

श्री उपाध्यक्ष---यह रहेगा ही नहीं। अन्याय आप को कहां दिखायी पड़ रहा है?

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आज चौथे दिन मुझे इस बहस में भाग लेने का मौका मिला।

आज चार दिन से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर काफी बहस सुन रहा हूं। मैंने दोनों तरफ की बातें सुनीं। मैं साधारण तौर पर इसलिये खड़ा हुआ हूं कि सबसे पहले मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करूं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि किसी नयी नीति का सम्पादन इस बजट में नहीं है। कल श्री भूपकिशोर जी जो कि एकांगी दृष्टि से बात कर रहे थे उन्होंने यह कहा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपना पुराना राग अलापा है। तो मैं निश्चित तौर से यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार की नीति वास्तव में निश्चित है काफी अर्से से और जो नीति बना ली गयी है उसके तह में धीरे धीरे करके ज्योंज्यों साधन मिलेंगे पूरा करने की कोशिश होगी। इस पंच वर्षीय योजना के करीब चार साल बीत चुके। एक साल का बजट सामने पेश हो रहा है। निश्चय ही इसमें पुरानी नीतियों को दोहराया जायगा, कोई भी सदस्य चाहे इस तरफ का हो, चाहे उस तरफ का हो, जब भी इस सरकार द्वारा कोई बजट आता है तो उस के मानी यही हैं कि वह बजट समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिये लाया गया है। उसमें उसे किसी तरह की शंका करने की गुंजायश नहीं है।

मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब माननीय नारायणदत्त जी जैसे व्यक्ति यह कह रहे थे कि इस बजट में गांव की जनता के हितों का कोई समावेश नहीं है। अगर कोई रिएक्शनरी होता तो मैं यह समझता कि वह आलोचना की दृष्टि से बिना सोचे समझे बात कह रहा है, लेकिन नारायण दत्त जी जैसे आदमी से इस बात को सुन कर मुझे अफसोस हुआ। प्रताप सिंह जी को यह मालूम होना चाहिये कि प्रदेश की ५२ प्रतिशत जनता के लिये विकास खंड चल रहे हैं और धीरे धीरे यह जाहिर है कि ज्यों ज्यों योजनाओं के लिये पैसा मिलेगा सारे देहात की जनता को उन योजनाओं से कवर किया जायगा। (व्यवधान) ५२ हो गया है ४७ से बढ़कर के। आप स्टडी करें। इसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जब आप स्टडी करने की कोशिश नहीं करते आप ५२ को घटाकर ४७ कर दें चाहे और पीछे ले जायं, इसमें हमारा या और किसी का कोई दोष नहीं है।

मैं आपके सामने यह कह रहा था कि हमारे एक बुजुर्ग नेता माननीय झारखंडे राय ने बड़े जोश और खरोश के साथ बैठते बैठते एक बड़ा सख्त रिमार्क हम हरिजन सदस्यों पर किया। उन्होंने कहा कि जो हरिजन सदस्य यहां चुनकर आये हैं उनका सम्बन्ध ही उस हरिजन जनता से छूट गया है जिसके कि वह प्रतिनिधि यहां पर हैं। मुझे अफसोस होता है उनकी इस बात को सुनकर। मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं उनके प्रयास में नहीं देखा कि वह लखनऊ की गन्दी बस्तियों में जाते हों, वह उन भूखे और प्यासे नारकीय जीवन बिताने वाले हरिजनों की बस्तियों में जाते हों जिनमें कि उनको सांस लेने में भी कठिनाई हो सकती है। मैंने कहीं नहीं देखा कि माननीय झारखंडे राय की नीतियां इस प्रकार की होती हैं, जनता के सामने कि वह जाकर के हरिजनों के गन्दे मकानों में सेवा करते हों। मगर नहीं, यहां पर आकर के विधान सभा के भीतर वह आलोचना करेंगे। आलोचना करने से कुछ नहीं तो अखबारों में उनका नाम ही निकल जायगा और यह मालूम हो जायगा रूस और चीन तक कि विधान सभा लखनऊ के भीतर कोई माननीय सदस्य हरिजनों के बड़े शुभचिन्तक हैं। ऐसा लगता है कि उनको हमारी समस्याओं का हमसे ज्यादा ज्ञान है। मैं उनसे कहता हूं कि जो जिस समस्या का भुक्तभोगी होता है वही उसके सुलझाने के लिये भी रातों दिन लालायित रहता है। हम हरिजन सदस्य यह डींग नहीं मारते कि हम किसी बड़े घराने से आये हैं या किसी बड़े तबके से आये हैं। हम उन्हीं गरीबों के वोटों से चुनकर और उन्हीं के हितों की रक्षा करने के लिये यहां आये हैं। हम उसी गरीब तबके की उन्हीं झोपड़ियों से इस विधान सभा के अन्दर आये हैं। मैं समझता हूं कि यह उनकी ज्यादती है अगर वह यह रिमार्क करते हैं कि हम यहां डल हो जाते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिये कि यहीं इसी विधान सभा के अन्दर बार बार हम लोगों की ओर से तमाम प्रस्ताव उन हरिजनों के लिये लाये जाते हैं और जो सही प्रस्ताव होते हैं उनकी तहत में उस हरिजन समुदाय की सेवा होती है। क्या उन्हें नहीं मालूम कि हमीं विधायकों के द्वारा यह मांग की गई कि नौकरियों में हमारा स्थान सुरक्षित होने पर भी उसका पालन नहीं होता और हमारी मांग को वाजिब समझकर हरिजन कमीशन की नियुक्ति की गई है और वह कमीशन हमीं विधान सभा के सदस्यों द्वारा गठित है जो इस बात की कोशिश करेगा कि उनको उचित हक मिले। इसके साथ ही साथ इसी विधान सभा के अन्दर और माननीय झारखंडे राय के सामने पेश करके करोड़ों रुपये का बजट केवल हरिजनों की उस संख्या को पानी पिलाने के लिये उनको मुफ्त शिक्षा देने के लिये, उद्योगधन्धों में सहायता देने के लिये तथा और प्रोत्साहन देने के लिये पास किया जाता है और मैं तो यहां तक कहता हूं कि दूसरे प्रदेशों में जो हरिजन मिनिस्ट्री है वह अलग नहीं है। वह लेबर मिनिस्ट्री के अन्दर है। लेकिन हमारे प्रदेश में हम देखते हैं कि हरिजन मिनिस्ट्री का अलग एक पोर्टफोलियो है और उस पोर्टफोलियों के द्वारा हरिजनों की सेवा होती है। अब यह बात दूसरी है कि सदियों की गरीबी, सदियों का कोढ़ हैंडफुल रुपये से एक या दो दिनों में साफ न हो लेकिन यह बात सत्य है कि इस सरकार की, कांग्रेस गवर्नमेंट का और हम सब लोगों की यह भावना और दृष्टि सदैव है कि जहां गरीबी है, जहां भुखमरी है, विशेषकर के उन मेहतरों की बस्तियों में, उन गरीबों के मकानों में जिनके पास कि रहने का ठीक से कोई स्थान नहीं है जिनके पास रहने के साधन नहीं हैं उन्हें महत्व दिया जाय और उधर

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

इस सरकार की ज्यादा सेवायें जायं। हमारे उधर के भाई इस बात को कान खोलकर सुन लें कि इस विधान सभा के अन्दर इस तरह के रिमार्क को मैं एक लान्छन समझता हूं। वह यह समझते हैं कि हम सोते हैं और वही काम करते हैं तो यह उनका समझना गलत है। वह समझते हैं कि यहां पर उन्होंने स्पीच दे दी और उन्होंने बड़ी भारी सेवा कर दी। हम भी उनके तरीकों को सही मानते, केवल विधान सभा में खड़े होकर आपके अनुशासन के अन्दर लैक्चर देकर चले जायं तो मैं यह समझता हूं कि इस विधान सभा के अन्दर सब से ज्यादा संख्या में इधर के लोगों के चुनने की नौबत नहीं आती। मैं झारखंडेराय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस तरह हरिजनों को मिस अन्डरस्टेंडिंग में डालकर उनको गुमराह नहीं कर सकते। मैं इतनी बात उनको चेतावनी के लिये कह देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ साथी जब गरीबों की बात कहते हैं तो वे सीमा के बाहर चले जाते हैं। माननीय राजनारायण जी काफी बोलने वाले नेता हैं। परसों उन्होंने अपनी स्पीच में यह कहा कि यह सरकार इसलिये समाजवादी नहीं है क्योंकि इसने अलाभकर जोतों पर कोई टैक्स माफ नहीं किया। मैं समझता हूं राजनारायण जी की यह बात उनके हिसाब से सही हो सकती है, लेकिन मैं उस गरीब तबके को रिप्रेजेन्ट करता हूं और मेरी समझ में यह बात कभी नहीं आई कि अलाभकर जोत के माने क्या हैं? मैं आज तक अलाभकर जोत के माने नहीं समझा हूं और न आज तक उन्होंने समझाने की कोशिश की। मेरा निवेदन है कि अलाभकर जोत उनके हिसाब से ३ बीघा हो सकती है। मैं समझता हूं कोई बड़ा परिवार अगर १० बीघा जोत रखता है तो वह अलाभकर कही जा सकती है। उससे कम में किसी तरह से उनका गुजारा नहीं हो सकता है। तो मैं इतना कहूंगा कि इस सरकार की नीति अलाभकर जोत के टैक्स को माफ करने की नहीं बल्कि उन करोड़ों हरिजनों और गरीबों को रोजगार देने की व्यवस्था करने की है। आपको मालूम होना चाहिये कि इसीलिये एक अधिकतम जोत सीमा विधेयक सीलिंग निर्धारित करने के लिये लाया जा रहा है। मैं समझता हूं वह जल्दी ही आने वाला है। वह प्रवर समिति में हम लोगों के विचाराधीन है। उसमें इस तरह की व्यवस्था है। कई लाख एकड़ जमीन इस तरीके से उस बिल के जरिये से निकलगी जो इस प्रदेश के अन्दर गरीब और भूमिहीन लोगों को दी जायगी और उन लोगों को दी जायगी जो अल्पकृषि वाले काश्तकार हैं जिनको अलाभकर जोतवाले किसान आप कहते हैं। उनके लिये यह कोशिश की जा रही है। तो यह एक कान्सट्रक्टिव काम करने का तरीका है और मुल्क को तरक्की देने का तरीका है। लेकिन इस तरह से एक नारा देकर किसी बात को हवा में उड़ा देने से कोई काम चलने वाला नहीं है। अब समाज की रचना का वक्त है। इस प्रदेश या देश में विरोध की मैन्टेलिटी पैदा करने का समय नहीं है। अब समय इस बात का है, चाहे वह विरोधी दल के हों या इधर के बैठने वाले हों, देश के अन्दर इस प्रकार की नीति चले जिससे गरीबों का ज्यादा से ज्यादा भला हो। मैं समझता हूं कि एक निश्चित व्यवस्था का समय आने दिया जाय। अगर इस प्रकार मिलकर एक नीति के आधार पर यहां की व्यवस्था हो तो आप देखेंगे कि समाज को फूलने फलने का मौका मिलेगा। इसी कारण यह सरकार बड़े लोगों की आमदनी को नीचे की तरफ ला रही है और छोटे लोगों की तरफ उसका रुख किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रदेश के भीतर पूंजी पतियों को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है जितना कि गरीबों के लिये उन्नति की बात सोची जाती है। यदि यहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोलने की बात है तो उसका कारण केवल यह है कि इस प्रदेश के गरीबों का भला करना चाहते हैं। उससे इस प्रदेश की दौलत बढ़ेगी और इस देश की आमदनी बढ़ेगी और हम इस देश और संसार के भीतर इस बात को कह सकेंगे कि हमने अपने प्रदेश का विकास किया और अपनी आमदनी को बढ़ाया। मैं कहता हूं यह कथा नहीं है, कहानी नहीं है। यह सत्य है। यह बातें की जा रही है।

कुछ लोगों ने शिकायत की कि लाइसेंस दिया गया लेकिन पांच साल हो गये काम नहीं चला है। किसी भी इंडस्ट्री के लिये कई फैक्टर हुआ करते हैं। कहीं से मशीनरी को जुटाने की बात होती है और कहीं से रुपया जुटाने की जरूरत होती है तो कोई खेल नहीं है कि आज बजट स्पीच दी और कल इंडस्ट्री वजूद में आ गयी। एक प्लान बनेगा, उसमें कुछ देर लगेगी और उसके बाद काम होगा तभी देश का भला हो सकेगा। अगर दलीलों से ही काम चल जाय तो मैं कल से ही सब से ज्यादा आलोचना करने का काम शुरू कर दूं और इस देश का भला होने पर अपने को सौभाग्यशाली मानूं और सब से बड़ा सेवक अपने को समझूं। श्रीमन्, अब मैं एक मिनट में यह कहना चाहता हूं कि हमें और आप को जनता की सेवा करने का काम सौंपा गया। हम और आप जनता के सामने इस के लिये जिम्मेदार हैं और उन की सेवा करने के लिये यहां आये हैं। तो केवल लांछन लगाने और आक्षेप करने से काम नहीं चलने वाला है और इसलिये हमें और आपको मिलकर देश को बनाना चाहिये। फिर समय नहीं आयेगा और हम लोग फिर संसार में जन्म लेने वाले नहीं हैं। यह हिस्ट्री बतलायेगी कि श्री रामनारायण त्रिपाठी की उपाध्यक्षता में बैठ कर हमने एक महान् काम किया था। बहुत सी बातें कहनी थीं, श्रीमन्, लेकिन आप ने लाल बत्ती दिखा दी। अंत में मैं माननीय झारखंडे राय जी से क्षमा चाहूंगा, अगर वे समझते हों कि सही बात कहने में मैंने उनके साथ अपने भाषण में कोई ज्यादती कर दी हो।

***श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ३ दिन से इस बजट पर जो वाद-विवाद हो रहा है उसे मैं बड़े गौर से सुन रहा हूं। श्रीमन्, मैं उन लोगों को, जिन्होंने विरोधी पक्ष की ओर से इस बजट की सही तरीके पर आलोचना की है, धन्यवाद देता हूं और इसके साथ ही उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सरकारी कुर्सी पर बैठ कर ठीक तरीके पर इस बजट की आलोचना की।

श्रीमन्, जहांतक बजट का सवाल है इसमें दो बातें विशेष रूप से कही गयी हैं। एक तो बजट में कोई नये करों का न लगना और दूसरे विकास कार्यों की प्रशंसा। श्रीमन्, जहां तक करों का सवाल है, प्रदेश की जनता करों से पूरे तौर से लद चुकी है। मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कौन सी वस्तु ऐसी है कि जिस पर सरकार का कर नहीं लगा है? श्रीमन्, खाद्य आदि वस्तुओं की तो बात क्या, यहां तो मुर्दों पर भी टैक्स लिया जाता है। और सब से बड़ा टैक्स तो यहां एक्सपेंडीचर टैक्स है। जहांतक मुझे पता है, इस प्रदेश के बाहर कहीं भी इस प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया है। तो श्रीमन्, टैक्स जरूर लगना चाहिये लेकिन उसका उपयोग सही तरीके पर होना चाहिये। वह उपयोग कैसे होता है इसको माननीय सदस्य देख सकते हैं। मैं तो समझता हूं कि उसका उपयोग हमारे मंत्रियों के यहां हुआ होगा। उनके परिवारों में हुआ होगा या बिड़ला टाटा के यहां हुआ होगा। श्रीमन्, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस बजट के सम्बन्ध में दो बातें हैं। एक तो पुलिस के बजट पर बढ़ोत्तरी दी गयी है। मैं पूछता हूं कि पुलिस की बढ़ोत्तरी का सवाल इस समय आया क्यों? उसका कारण यह बताया गया कि भारत की सरहद पर पुलिस के इन्तजाम की आवश्यकता है। जब ६ वर्ष से चीन के लोगों ने ४,००० मील इस प्रदेश की भूमि पर कब्जा कर लिया था उस समय यहां की पुलिस क्या कर रही थी? उसके ऊपर कहां तक अब विश्वास किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि यह किस लिये रखी गयी है। यह रखी गयी है सरकारी बेंच पर बैठे हुए लोगों का चुनाव जीतने के लिये। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान जस्टिस एम० एल० चतुर्वेदी और जस्टिस डी० एन० राय द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की फर्स्ट अपील १९५८— श्री मोतीलाल बनाम श्री मंगला प्रसाद आदि—में १६ मई, १९५८ को किये गये निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि—

"It is quite possible that one of the many Sub-Inspectors in six police stations in the Constituency was led away into assisting an important member

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्याणचन्द मोहिले]

of the Congress Party on account of his sympathies for the Congress Party. But whatever the reason, his conduct was highly improper. He deliberately transgressed the rules of his service."

तो श्रीमन्, यहां के हाई कोर्ट के जजों ने भी यहां की पुलिस के सम्बन्ध में अपना फैसला दिया है। इसके सम्बन्ध में मैंने भी कई दफा पूछ-ताछ की इसी सदन में, परन्तु सरकार की ओर से यह उत्तर दिया गया कि इसके लिये आदेश भेज दिये गये हैं। तो इस प्रकार की बढ़ोत्तरी करके सरकार अपने १९६२ के चुनाव के लिये तैयारी करना चाहती है। तो मैं तो यह कहूंगा कि जहांतक चीन और पाकिस्तान की सीमा का सम्बन्ध है उसका प्रबन्ध इस सरकार या इस पुलिस के द्वारा नहीं हो सकता है। जबतक भारतीय जनता को पूरे तरीके पर उसकी जिम्मेदारी नहीं दी जायगी तबतक इसी प्रकार एक नहीं ३० चायना इस देश पर कब्जा करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब कोई समय आवेगा और चीन का हमला होगा या किसी का हमला या कब्जा होगा उस समय भारतीय जनता किसी सरकार या पुलिस के पीछे नहीं रहेगी।

एक बात मैं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। स्वास्थ्य का जहांतक सम्बन्ध है, स्वास्थ्य के बजट में कमी की गयी है। स्वास्थ्य सर्वोपरि है। आज अस्पतालों में देखिये कि दवा और डाक्टर तक का प्रबन्ध नहीं है। टी० बी० के पेशेंट लाखों की संख्या में मारे-मारे घूम रहे हैं। अगर यही दशा रही और उनका प्रबन्ध नहीं हुआ तो यह ६ करोड़ जनता टी० बी० से ग्रस्त हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाय। हमारे नगर इलाहाबाद में भी एक टी० बी० का अस्पताल है, उसमें केवल ४५ बेड्स रखी गयी हैं। वहां पर अधिक बेड्स का प्रबन्ध शीघ्र होना चाहिये। वहां मेडिकल कालिज का प्रश्न भी बहुत दिनों से उठ रहा है, लेकिन जब-जब भी यहां कहा गया तब उस बात को टाला गया और श्रीमन्, वह इलाहाबाद के बजाय कानपुर में खोला गया। श्रीमन्, वहां पर कई वर्षों से एक अस्पताल बन रहा है जो कि अब तक नहीं बन पाया है और अधूरा पड़ा है। शिक्षा के बारे में सब जानते हैं कि मामूली स्कूलों का स्तर गिरता जा रहा है। वहां के अध्यापकों को पेट भर खाने के लिये वेतन नहीं मिलता है, लड़कों के बैठने का स्थान नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—(श्रीमती राजेन्द्रकुमारी से) क्योंकि माननीय [कल्याणचन्द मोहिले जी केवल १० मिनट बोले हैं, इसलिये आप उनका शेष समय भी ले सकती हैं।

***श्रीमती राजेन्द्रकुमारी** (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया है, उसके लिये बहुत ही आभारी हूं। मैं सरकार की आलोचना करने के लिये खड़ी नहीं हुई हूं और न आलोचना करना ही चाहती हूं। मुझे आलोचना करने में कोई खुशी नहीं होती, किन्तु जब सरकार उन पिछड़े हुए हरिजन वर्ग की ओर ध्यान नहीं देती, देहाती क्षेत्र की जनता की कोई परवाह नहीं करती, तो दुख होता है। मैं आलोचना नहीं करती, लेकिन अपने क्षेत्र के दुखित लोगों की अपील सरकार से करना अपना कर्त्तव्य समझती हूं। आज यह सरकार और इस आदरणीय सदन के सदस्य जो मौदहा क्षेत्र में गये हैं उनको पता है कि वहां पर पानी की त्राहि त्राहि मची हुई है। मुझे बोलने का भी शौक नहीं है, मुझे सरकार की आलोचना करने में भी खुशी नहीं होती है, लेकिन वहां की जनता की जो मुख्य-मुख्य आवश्यकतायें हैं उनको सरकार तक पहुंचाना मैं अपना कर्त्तव्य समझती हूं। मुझे दुख है कि देहातों में आज कोई भी उन्नति नहीं हुई है। जब मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं और अपने हरिजन मोहल्ले में जाती हूं तो उनकी दशा देख कर मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कहती हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहे आप अपनी बड़ी-बड़ी योजनाओं को स्थगित कर दें लेकिन देहाती क्षेत्र में आप सुधार करें। मैं कई बार अपने उन हरिजन भाइयों को लेकर यहां आई जिनके पास जरा सी भी जमीन नहीं है। लेकिन फिर भी उनके लिये सरकार ने कोई इन्तजाम नहीं किया। जिलाधीशों को इतना भारी सम्मान दे दिया है कि जब कोई गरीब अपनी दरख्वास्त लेकर उनके पास जाता है तो वे कुछ सुनते ही नहीं। जब वह हमारे भाई यहां आते हैं तो कहा जाता है कि जिलाधीश के पास जाओ। जब हम कहते हैं कि जिलाधीश नहीं सुनता है, तो कहा जाता है कि कमिश्नर के पास जाओ। तो इस तरह से उसकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती है। जनता द्वारा ही यह सरकार बनती है, और यही सरकार जब उनकी बात को नहीं सुनेगी तो फिर कौन सुनेगा? कैसे वहां सुधार हो सकता है? मैंने कई बार सरकार से प्रार्थना की कि आप देहाती क्षेत्र में कुछ सुधार करें और उन लोगों के लिये जो बड़ी मुसीबत में हैं, जिनके पास रहने तक के लिये जमीन नहीं है, जो एक ही कोठे में मालिक, मालिकिन, लड़के-लड़की, पोता-पोती, और तमाम उनके परिवार के लोग रहते हैं, उनके लिये कुछ जमीन का प्रबन्ध हो। जब मैं भूमिधरी के लिये उन लोगों के बीच जाती थी तो वहां की जनता मुझ से पूछती थी कि क्या अब सीलिंग होने वाली है? क्या अब हम लोगों को जमीन मिलेगी? मैं उनसे कहती थी हां, अब सीलिंग होगी और भूमिहीन लोगों को जमीन मिलेगी। लेकिन मैं देखती हूं आज उन लोगों के लिये जमीन नहीं है। वह हमार गरीब हरिजन और किसान भूमि के लिये तरस रहे हैं। मैं मानती हूं कि भूमि रबड़ नहीं है कि बढ़ जाय, किन्तु जहां वह नहीं है वहां कुछ उद्योग धंधे खोलने चाहिये जिससे वे अपनी परवरिश कर सकें। मैं देखती हूं कि आज उनके तन पर कपड़ा नहीं है, आज उनके खाने के लिये भोजन नहीं है, अपने बाल-बच्चों की बीमारी में उनका कोई इंतजाम नहीं कर सकते इसलिये मैं सरकार से विनम्र प्रार्थना करती हूं कि उसको देहाती क्षेत्रों में किसानों को देखना चाहिये। मैं मौदहा के लिये कह रही थी कि वहां पर पानी की बहुत तंगी है उसका इंतजाम करना बहुत जरूरी है।

कृषि के सम्बन्ध में सभी लोग और यह सरकार भी कहती है कि हम बढ़ोत्तरी चाहते हैं, लेकिन बढ़ोत्तरी हो नहीं रही है क्योंकि खेती का काम तो जानते हैं किसान, न कि सरकार और सरकारी अधिकारी उसका अनुभव रखते हैं। हमारे जिले में गत वर्ष काफी बीज बांटा गया लेकिन वहां पर एक पानी के बाद दूसरा पानी तो मिलता नहीं है इसलिये शुरू में तो खेतों में काफी हरियाली रही, लेकिन दूसरा तीसरा पानी न मिलने के कारण सारी पैदावार गल्ले की वहां खत्म हो गयी, भूसा तो उसमें निकलता था लेकिन अनाज नहीं निकलता था। लेकिन सरकार को जनता पर विश्वास नहीं है। सरकारी अधिकारी जरूर रहेंगे चाहे उनको अनुभव न भी हो। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जब तक सरकार जनता को नहीं अपनायेगी और जनता की सलाह नहीं लेगी तब तक सफलता बहुत दूर है।

कुछ काम तो सरकार अच्छा करती है जैसे चकबन्दी। उस के लिये भी मैं सोचती हूं कि अगर खेत इकट्ठा हो जायं तो आसानी पड़ती है लेकिन किसान से कहो, तो वह उलट पड़ते हैं क्योंकि मैं देखती हूं कि अभी फतेहपुर में गत साल चकबन्दी चल रही थी। वहां गाजीपुर एक मौजा है, वहां पर एक ८०, ९० साल का बुड्ढा है वह अन्धा भी है। उसने आफिसरों से प्रार्थना की कि मैं बुड्ढा हूं, मेरा नवजवान लड़का था वह भी खत्म हो गया है, मुझे दिखाई नहीं देता है इसलिये गांव भर की चकबन्दी आप कीजिये, लेकिन हम पर मेहरबानी कीजिये। लेकिन चकबन्दी वाले कब माननेवाले। फिर उसे खेत भी अच्छा नहीं मिला क्योंकि एक तो अन्धा और दूसरे बुड्ढा आदमी, दौड़धूप नहीं कर सका। वह चिल्लाता रहा, लेकिन उसका चक बना ही दिया गया और वह भी एक नहीं सात चक बनाये गये और भूमि भी अच्छी नहीं मिली।

इसके बाद, जब मैं अभी ३० जनवरी को घाटमपुर गयी तो वहां भी चकबन्दी का सिलसिला चल रहा था लेकिन वहां के जितने काश्तकार थे सब रो रहे थे कि हमारे यहां चकबन्दी न हो। मैंने कहा भाई घबड़ाते क्यों हो, सरकार से प्रार्थना करो कि हम चकबन्दी नहीं चाहते। तो

[श्रीमती राजेन्द्र कुमारी]

जहां जनता नहीं चाहती कि चकबन्दी हो वहां नहीं होनी चाहिये। काश्तकार घबड़ाते हैं कि हमारे अच्छे खेत भी निकल जायेंगे क्योंकि जब रिश्वत का बाजार गर्म है तो जो रिश्वत दे सकता है वह अच्छा चक बनवा लेता है और जो बेचारा गरीब है वह नहीं बनवा पाता। इसलिये मैं सरकार से कहती हूं कि इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिये। स्त्री समाज के लिये मैं पहले भी कह चुकी हूं कि जबतक महिला समाज का सुधार नहीं होगा तबतक देश में कोई सफलता नहीं हो सकती क्योंकि महिलाओं से बच्चे और बच्चियां पैदा होती हैं इसलिये जबतक वह योग्य नहीं होंगी तबतक बच्चे कैसे सुधर सकते हैं। मुझे दुख है कि सरकार का ध्यान मेरी इस प्रार्थना की ओर नहीं गया। मुझे यह देखकर दुख होता है कि हमारी बहनों को आज कोई अधिकार ही नहीं है। वह बेचारी क्या शहर और क्या देहात, हर जगह गुड़िया बनी बैठी रहती हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार का ध्यान बहनों की तरफ अवश्य जाना चाहिये। अन्त में श्रीमन्, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री कालीचरण अग्रवाल से) अगर आपके मन्त्री न बोलें तो आप आधा घंटे तक बोल सकते हैं, नहीं तो आपको १५ मिनट ही मिलेंगे।

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)—मैं आधा घंटा समय लूंगा, गौतम जी नहीं बोलेंगे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक वैधानिक प्रश्न है। उपमंत्री जी कैसे कह सकते हैं कि गौतम जी नहीं बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—अगर इनके बाद गौतम जी भी बोलें तो आप यह प्रश्न उठाइयेगा।

श्री राजनारायण—आप यह कहें कि अगर बाद में गौतम जी भी बोलना चाहेंगे तो एक सदस्य की हैसियत से १५ मिनट ही बोल सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, उस समय वह एक माननीय सदस्य ही माने जायेंगे और उनको १५ मिनट ही मिलेंगे।

श्री कालीचरण अग्रवाल—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे हर्ष है कि आपने मुझे अवसर दिया है कि इस बजट के ऊपर थोड़ा सा निवेदन करूं जो कि आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आदरणीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। मैं इस बजट का अभिनन्दन करता हूं, स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। अभिनन्दन केवल इसलिये नहीं करता कि मैं सरकार का एक पुर्जा हूं, मैं स्वागत इसलिये नहीं करता कि इससे अधिक सर्वांगीण और सुन्दर बजट नहीं हो सकता था, मैं समर्थन केवल इसलिये करता हूं कि जो हमारे सामने वस्तुस्थिति है, सरकार ने पिछले वर्षों में जो अनुभव किये हैं और जितना पैसा हमारे सामने है उस ढांचे के अन्दर जो बजट प्रस्तुत किया है, मेरी तुच्छ बुद्धि में उससे कोई दूसरा सुन्दर बजट हो ही नहीं सकता था। इस बजट में बहुत सी मनमोहिनी बातें हैं, इसमें बहुत सी जगमगाती हुई बातें दिखाई नहीं देतीं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं रह जाता कि बजट में सार नहीं है, यह पिटा-पिटाया बजट है, यह असंतुलित बजट है या इसमें सारी खराबियां ही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आदरणीय सदन से, जो बजट पेश किया गया है उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है उस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा।

पहली बात तो यह है कि जितने भी कार्य हो रहे हैं हमारे देश में और हमारे प्रदेश में वह एक नियोजन के मातहत हो रहे हैं। हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया और अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बीच से गुजर रहे हैं और सन् १९६२ से तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने आने वाली है। इसलिये जो भी हमारे सामने बजट आयेगा अगले साल या

उससे और आगे के वर्षों में वह भी लगातार नियोजन के अन्तर्गत होगा और उसमें भी आपको वह बहुत सी बातें जिनको कि दुनिया की जगमगाती हुई बातें कहते हैं, नहीं दिखाई देंगी। इसमें आपको ठोस कार्यों की भावना, जोकि हमें देश और प्रदेश में करने हैं, मिलेगी।

दूसरी बात यह है कि एक हमारा जो ध्येय है उसकी पूर्ति के लिये हमने इस बजट को बनाया है। वह ध्येय यह है कि हम अपने देश के अन्दर और अपने प्रदेश के अन्दर कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना चाहते हैं और उसे कर रहे हैं। साथ ही साथ समाजवादी व्यवस्था को हम अपने देश में अपनाना चाहते हैं जैसा कि कांग्रेस ने अपने अवाड़ी और नागपुर के अधिवेशनों में प्रस्ताव पास करके घोषणा की थी। अब हमें देखना है कि माननीय वित्त मन्त्री ने जो बजट पेश किया है वह उस ढांचे पर ठीक उतरता है या नहीं और क्या उन सिद्धांतों का समावेश इस बजट में किया गया है या नहीं ? इसी दृष्टिकोण से मैं इस बजट की थोड़ी सी विवेचना करना चाहता हूं कि किस प्रकार से वह सारे सिद्धान्त इस बजट में ठीक उतरते हैं।मैं निवेदन कर रहा था कि हम अपने देश में समाजवादी व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं। यह सही है कि समाजवाद वास्तव में हमारे यहां तभी सम्भव हो सकता है जबकि हम यहां पर कृषि की उन्नति करें और विशेष कर जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है जहां ७० फीसदी से अधिक आदमी कृषि पर निर्भर करते हैं। तो उन गांवों का नक्शा हमारे सामने बदल जाय और हमारे समाजवादी ढांचे का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचना तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक कि कुछ लोग तो गगनचुम्बी अट्टालिकाओं में मौज करते रहें और दूसरी तरफ मानवता तड़पती रहे फुटपाथों पर और खेतों पर। इसे हम बरदाश्त नहीं कर सकते। इसीलिये इस बजट में हमने सबसे पहला स्थान कृषि को दिया है। कृषि की उन्नति ही वास्तविक उन्नति है जिस पर हमें सारे साधनों को लगा देना चाहिये।

सन् ४७ में हमारे देश का बटवारा हुआ। उस समय हमारी आबादी कुल ४० करोड़ थी। उसमें लगभग ३२ करोड़ हमें मिली और ८ करोड़ पाकिस्तान को। उस बटवारे के अन्तर्गत हमको खाद्यान्न के साधन मिले, ६५ फीसदी के लिये गेहूं और ६८ फीसदी के लिये चावल और दूसरे खाद्यान्न पदार्थ थे। फिर सुरसा की भांति हमारी आबादी बढ़ती जाती है। सन् ६०–६१ में हमारी आबादी फिर बढ़कर ४० करोड़ के लगभग होने वाली है। उसी हिसाब से हमारे प्रदेश की भी आबादी बढ़ी है। आपको सौ में ६५ व्यक्ति का खाना मिला, तो ३५ आदमियों का खाना कहां से आया ? क्या सबको खाना मिलने का अर्थ यह नहीं है कि कृषि की भारी उन्नति हो रही है ? मैं यह एक मोटी सी बात कह रहा हूं जिसे साधारण आदमी गांव का रहने वाला भी समझ सकता है। मैं यह बात मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारा आर्थिक-स्तर ऊंचा नहीं हुआ है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पहले खाने के लिये गेहूं नहीं मिलता था और अब वहां गेहूं ज्यादा मिलने लगा है। हमने सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की थी। उस समय हमारे प्रदेश में फर्टिलाइजर ३२ हजार टन बंटा था और अब वह संख्या १,२१,००० टन हो गयी है। सिंचाई के साधन १२७.९७ लाख एकड़ भूमि को सींचते थे जो बढ़कर १३२.३४ लाख एकड़ हो गया है। २६,२१,००० मन गेहूं का बीज बांटा गया था, वह बढ़कर करीब ४०,००,००० मन हो गया है। आखिर यह खाद्यान्न की उन्नति नहीं है तो और क्या है ? क्या किसी के सर में दर्द होता है या कोई पागल हो गया है कि बेकार यह सब साधन लेता है। आखिर इन सारी चीजों का होता क्या है ? ये आंकड़े मैंने यू० पी० के दिये हैं।

श्री ऊदल—बिहार की भी पैदावार देखिये।

श्री कालीचरण अग्रवाल—उस पर भी मैं आउंगा। हमने ५९–६० में करीब २१.१८ लाख टन उत्पादन बढ़ाया है। माननीय तिवारी जी ने भी कहा था कि हमारी पैदावार, पर एकड़ पैदावार घटी है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। जैसे एक बाजीगर कला खेला करता है, उसी तरह से उन्होंने ५४–५५ के आंकड़े पेश किये जबकि उस वर्ष सबसे अच्छी फसल हुई थी और उनसे मुकाबिला किया ५७–५८ का जबकि बाढ़, और वाटर-लांगिंग था और

[श्री कालीचरण अग्रवाल]

जबकि कुदरत ने हमें दन्ड दिया था। रहा बिहार के बारे में। वहां के अगर आप ५६–५७ और ५७–५८ के आंकड़े देखें तो वहां इन वर्षों में इससे भी कम पैदा हुआ था। वहां ५३–५४ में ३.९२ लाख टन गेहूं पैदा हुआ था? ५४–५५ में ४.२० लाख टन हुआ, ५५–५६ में ३.६१ लाख टन, ५६–५७ में १.८१ लाख टन और ५७–५८ में २.७० लाख टन हुआ था। अगर बिहार के सभी आंकड़ों को आप देखेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारे यहां खाद्यान्न बढ़े हैं। सन् ५६–५७ से पहले हमारे यहां खाद्यान्न अमरीका और रूस से आया। लेकिन पिछले दो वर्षों में हमारे यहां एक मन भी नहीं आया, किसी भी देश से नहीं आया है। अगर साम्यवादी दल के लोग रूस और चीन के गीत ही गाते रहें और इस प्रकार की अनर्गल बातें करते रहें तो काम चलने वाला नहीं है। २६लाख मन गल्ला जो विदेश से हमारे यहां प्रतिवर्ष आया करता था वह दो वर्षों में बिलकुल नहीं आया।२६ के दुगुने ५२, ५२ लाख मन गल्ला दो वर्षों में नहीं आया, इसकी पूर्ति हमने की है।

हमारी संस्कृति रही है, हमारी भावना रही है, हमारी धारणा रही है और हमारी शैली रही है कि जब हमारे किसी पड़ोसी देश या प्रदेश पर मुसीबत पड़ती है तो हम वहां अनाज भेजते हैं। अब यह कहना कि हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब ने, जैसा कि माननीय झारखंडे राय जी ने फरमाया, कहा था कि खाद्यान्न में हमारा प्रदेश बिलकुल आत्मनिर्भर हो गया है—तो वह बिलकुल सही था। ३९ लाख मन अनाज हमने बिहार इत्यादि में भेजा। इन आंकड़ों के सामने कौन सी बात है जो इस बात को साबित करती है कि हमारे प्रदेश में प्रति एकड़ पैदावार घटी है? एक साधारण सी बात यह है कि हम सब लोगों को खाना मिल रहा है और हम सभी खुश व खुर्रम घूमते हैं। सभी को खाना तभी तो मिलता है जबकि देश और प्रदेश की आबादी बढ़ते रहने के बावजूद और तेजी से बढ़ते रहने के बावजूद उत्पादन भी बढ़ता रहा है। इस बात को हर इन्सान समझ सकता है। आखिर फिर किस मंत्र से यह हो गया?

एक बात मैं और निवेदन करूं कि पर एकड़ की बात जो कही गयी, आचार्य दीपंकर जी ने जो अपने भाषण में कहा कि खाद्यान्न की जो बढ़ोत्तरी हुई है वह पर एकड़ के हिसाब से नहीं बढ़ा है बल्कि हमारे यहां जो उसका क्षेत्र बढ़ा है उसकी वजह से उसकी बढ़ोत्तरी हुई है, मैं समझता हूं कि उनका यह कहना गलत है। जहां हमारे यहां एकरेज ८.९७ बढ़ा है। वहां ईल्ड १०.५१ बढ़ा है। जितना क्षेत्र हमारे यहां बढ़ा है वह किस प्रकार से बढ़ा है उसको अगर हमारे माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो मैं उनको पूरी तौर पर बतलाने के लिये दावत देता हूं कि किस प्रकार से ये क्षेत्र बढ़े हैं। सन् १९५०–५१ में हमारा क्षेत्र जहां ४०१.२३ लाख एकड़ था वहां सन् ५८–५९ में बढ़ कर ४३७.२३ लाख एकड़ हो गया और खाद्यान्न का उत्पादन जहां ५०–५१ में ११२.३ लाख टन था वह ५८–५९ में बढ़ कर १२४.१ लाख हो गया। इस तरह से एकरेज जहां ८.९७ बढ़ा, वहां उत्पादन १०.५१ बढ़ा।

मैं आपसे निवेदन करूं कि किसी भी देश या प्रदेश की उन्नति दो प्रकार से हुआ करती है। या तो वहां तानाशाही हो और एकतंत्र राज्य हो, जहां शहर और गांव के लोगों और नागरिकों से जबरदस्ती निर्माण का कार्य कराया जाता है और मैं समझता हूं कि वहां सारा कार्य राक्षसी महत्वाकांक्षा से किया जाता है। दूसरे जहां जनतंत्र होता है वहां इस तरह का राक्षसी महत्वाकांक्षाओं से दूर रह कर जनता जनार्दन के जन-जीवन को ध्यान में रखते हुये कार्य किया जाता है ताकि सब की उन्नति हो। मैं पिछली लड़ाई की बात भूला नहीं हूं जबकि यहूदी लोग बन्दर का मुंह बना कर, अपना मुंहकाला कर जर्मनी में कहा करते थे कि जर्मनी हार रहा है और दूसरे देश आगे बढ़ते हुये चले आ रहे हैं और उसी के विपरीत मित्र राष्ट्रों की बात कहूं कि उन्होंने अपना निशान "वी" (V) का बना लिया था जिसका यह मतलब था कि हमारी विजय होगी और हम जीतकर रहेंगे। उनके सारे साधन भले ही सीमित थे, लेकिन उनके अन्दर एक उच्च भावना थी और उस भावना से वहां की जनता भी ओतप्रोत थी जिससे अन्त में जाकर वे जीत गये। अगर कोई अपने देश को यही कहता रहे कि हम बहुत कमजोर हैं, हमारे देश के अन्दर यह खराबी है, वह खराबी है, तो इस तरह से देश के अन्दर रहने वालों के मन में एक हीन भावना पैदा हो

जाती है जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाते। माननीय रामेश्वर लाल जी ने जो कहा वह सत्य है उसके लिये मैं चैलेंज नहीं करता हूं लेकिन उनसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं और करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जो जनता के अन्तरतम में जाकर बैठ जाय जिसका भविष्य में चलकर परिणाम बुरा हो। हो सकता है कि किसी समय उधर के बैठने वाले इधर आ जायं और इधर के बैठने वाले उधर बैठ जायं तो उस वक्त आपको बड़ी मुश्किल पड़ जायगी और जो काम आप करना चाहेंगे उसे कर नहीं पायेंगे हमारा तो टार्गेट है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात् सन् ६७ में अपने प्रदेश के अन्दर खाद्यान्न की पैदावार दुगुना करके ११० लाख टन कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इधर के बैठने वाले तथा उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब तक अपने देश और प्रदेश के अन्दर खाद्यान्न का उत्पादन हम मेहनत करके दुगुना नहीं कर लेंगे तब तक हमारे सामने भविष्य अन्धकारमय प्रतीत होता है। इस अन्धकारमय भविष्य को किस प्रकार से दूर किया जाय इसको भी आप सोचें। यह टीका टिप्पणी और आलोचना करने से नहीं, कार्य करने से दूर होगा।

मैं उन तमाम आंकड़ों पर नहीं जाता कि किस तरह से कृषि आदि में उन्नति हुई है वह सब बजट साहित्य में आप को मिल जायगा। १२ लाख एकड़ में बागवानी शुरू की गई, कई हजार एकड़ में नये बागात लगाये गये और कितने ही पुराने बागात का नवीनीकरण किया गया है और नये पेड़ लगाये गये हैं। आप बख्शी के तालाब पर चले जाइये वहां जो नये काम हुये हैं और जो नये नये तरीके खेती के हैं वह सब वहां किस तरह से इन्ट्रोड्यूस किये गये हैं, किस तरह से फिशरीज का काम हो रहा है, एनीमल हस्बेंडरी का काम हो रहा है, पोल्ट्री सेक्शन में काम हो रहा है और इसी तरह के तमाम मुख्तलिफ क्षेत्र हैं जिनमें काम हुआ है वह सब देखा जा सकता है। पिछले दिनों में मुझे भी मौका हुआ और मैं भी देखने गया कि किस तरह के काम कहां-कहां हो रहे हैं, मैं नैनी गया, ताल कटोरा गया, कानपुर गया और कुछ दूसरे स्थानों पर भी गया। जहां मैंने अनेक प्रकार के मैकेनाइज्ड फार्म्स वगैरह देखे और तमाम तरक्की के साधन देखे, वहां मैं बहुत सी बातों को देखकर क्षुब्ध भी हुआ। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता और मैं कह सकता हूं कि जैसा काम होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। परन्तु मुझे साथ ही बहुत प्रसन्नता और संतोष भी हुआ जब मैंने वहां के रिसर्च स्कालर्स के काम को देखा। मैं कह सकता हूं कि तालकटोरा में महान कार्य हुआ है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें दिखा भी सकता हूं और मैं स्वयं उनको बुलाऊंगा कि किस तरह से नये नये तरीके और नये नये किस्म के गेहूं निकाले गये हैं और किस तरह से उन्नतिशील यंत्र और दूसरी उन्नति की चीजें वहां तैयार की गई हैं। यह बात मैंने वहां पर उन लोगों से भी कही कि जब तक हमारी जितनी रिसर्च हुई है उसको हम खेतिहर के पास तक नहीं पहुंचा देते तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती, जब तक हमारी एक्सटेंशन सर्विसेज आगे नहीं बढ़ती तब तक हमारे दीन गरीब किसान का कोई लाभ न होगा। न इन टीका टिप्पणियों से, न इन विवेचनाओं से और न इन आलोचनाओं से हमारा काम चलेगा हमको तो काम करना होगा और जब तक हम वह नहीं करेंगे, चाहे हम इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों हम उस समय तक जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते जब तक हम अपने महान् कर्तव्य की पूर्ति नहीं करते।

इतना बड़ा काम कोई भी सरकार अकेले नहीं कर सकती, सरकार का कोई एक मंत्री, दूसरे मंत्री या तीसरे मंत्री कोई भी अकेले इस बड़े काम को नहीं कर सकते, जब तक हमारी सारी मेशीनरी इस बड़े काम में नहीं जुट जाती, यह काम सम्पादित नहीं हो सकता। लालफीते की बहुत सी खराबियां हैं, बहुत सी चीजें फाइलों में ही पड़ी रह जाती हैं। हम उनके प्रति जागरूक हैं और जानते हैं क्योंकि हम भी उपमंत्री हैं और दूसरे मंत्री लोग भी हैं वह सब इसको जानते हैं और उनके हृदय में भी एक टीस है, एक लगन है, उन्हें भी जनता ने ही चुनकर भेजा है, उन्होंने कोई अपने आप ही कुर्सियां हथिया लीहैं, ऐसी बात नहीं है। कितने ही बड़े बड़े लोग धराशायी हो गये, उन का पता नहीं चला। जनता ने उन को हरा कर भगा दिया और फेंक दिया, हम भी कभी यहां से हार कर हट सकते हैं और उस समय इस बड़े उत्तरदायित्व को विरोधी

[श्री कालीचरण अग्रवाल]

लोगों को लेना होगा। इसलिये मानवता के नाम पर, इस देश के नाम पर और इस प्रदेश के नाम पर आप को सोचना चाहिये कि किस तरह से हमें देश को आगे बढ़ाना है। जब तक यह भावना न आयेगी उस वक्त तक केवल आलोचना और टीका करना दुख का ही विषय होगा। यह तो मैंने कृषि के विषय में थोड़ा सा निवेदन किया।

आज बजट का जनरल डिसकशन चल रहा है। हमारे माननीय मित्र कुंवर श्रीपालसिंह जी ने बड़ा मजेदार भाषण दे डाला। आपने मखौल भी की कि जो रुपया समाज कल्याण विभाग में खर्च होता है केवल वही समाज कल्याणकारी राज्य का बजट है और बाकी रुपया जो सिंचाई, नियोजन, शिक्षा, कृषि आदि पर व्यय होता है वह समाज कल्याणकारी राज्य के बजट में नहीं आता। उन्हें समझना चाहिये मखौल उड़ाने से पहले कि यह सब रुपया आखिर खर्च तो जनता के कल्याण के लिये होता है। सारा रुपया जो समाज के हित के लिये किसी भी विभाग के द्वारा व्यय होता है वह सब समाज कल्याणकारी राज्य का बजट कहा जाता है।

फिर हम पुलिस से क्यों डरते हैं? अगर सुरक्षा न हो तो कौन-सा कार्य चल सकता है? इसलिये शांति की स्थापना के लिये पुलिस को रखना भी आवश्यक है।

एक और विचित्र बात कही जाती है कि ५२ प्रतिशत आपने खर्च नौकरों पर कर दिया, बाकी डेवलपमेन्ट प्लान्स में रह गया। मैं निवेदन करूं कि एक ओर तो आप कहते हैं कि बेकारी की समस्या बढ़ती जाती है और जब हम नव युवकों को नौकरी में लेते हैं तो कहते हैं कि खर्चा बढ़ रहा है। तो जो बड़े बड़े इंजीनियर, डाक्टर और तमाम नवयुवक देशभक्ति से प्रेरित होकर और साथ ही अपनी उदर पूर्ति के लिये काम करने आते हैं तो उन्हें कैसे आप रोक सकते हैं? उन्हीं में हम लोगों के लड़के हैं, भतीजे हैं जो शिक्षा प्राप्त करके आते हैं। तो यह क्यों सोचा जाता है कि दूसरे आसमान पर चढ़ते जाते हैं और हम नीचे रह जाते हैं? हमारे बहुत से सदस्य भी पहुंचते हैं गलत बातों को कराने के लिये और नहीं करते तो नाराज भी होते हैं।

अब एक बात मैं आपसे और निवेदन करूं। हमने कौन कौन से काम किये हैं पिछले वर्ष में, इसका सिंहावलोकन करना होता है और यह भी सदन के सामने रखना होता है कि कौन कौन से काम हम करने जा रहे हैं। पांच-सात बातें तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज जबकि हमारे देश के ऊपर चीन की तरफ से काले बादल छा रहे हैं तब उन पर्वतीय इलाकों में, जहां हमारे भोटिया लोगों का व्यापार बंद हो गया है, यातायात के साधन खराब हैं, जीवन-मरण का प्रश्न पैदा हो गया है, उनकी ओर भी सरकार ने ध्यान दिया है। सरकार ने इस बजट के द्वारा यह तय किया है कि उत्तरी सीमा पर २८.३६ लाख रुपया सामान्य विकास पर और ६१.६४ लाख रुपया यातायात के विकास पर खर्च किया जायगा। इससे पर्वतीय क्षेत्र का नक्शा बदल जायगा।

मैं देखता हूं कि पूर्वी जिले के बारे में बड़ी बड़ी बातें हुआ करती हैं। आखिर यह प्रदेश तो एक ही है। हमें सबके विकास की बात को सोचना है। लखनऊ में साढ़े चार लाख रुपये के खर्चे से एक सैनिक स्कूल खोलना चाहते हैं। एन० सी० सी० ट्रेनिंग जो बाद में अनिवार्य भी हो सकती है, देश के प्रत्येक युवक को देना चाहते हैं। ये महान् कार्य इस बजट के द्वारा सम्पादित होने जा रहे हैं।

जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात कही जाती है। वह भी धीरे-धीरे हम कर रहे हैं। इस वर्ष १४ जिलों में करने के लिये संकल्प किया है। राजनारायण जी कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट कलेक्टर के नीचे रहते हैं। अगर हम जज के अन्तर्गत कह दें, तो कहेंगे कि उसमें भी कानाफूसी होती है। कहा तो सभी कुछ जा सकता है।

एक बात और कहूं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता में सुविधायें दे रहे हैं। फोर्थ क्लास कर्मचारियों में हमारे बहुत से सदस्यों ने भाषण दिये और कहा कि हमें धरना देना

पड़ेगा। अगर तुम्हारी मांग न मानी गई और यहां कहते हैं कि खर्चा बढ़ रहा है इसको रोको। यह सुरसा की तरह क्यों खर्चा बढ़ रहा ? यह लांछन सरकार पर लगाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में साढ़े ४ लाख किलोवाट की क्षमता का एक विशाल बिजलीघर की योजना है जिससे मिर्जापुर में स्थित सिधरौली के कोयले की खान को फायदा होगा। यह कहा जाता है कि समाजवादी व्यवस्था नहीं और सामाजिक कार्य नहीं हो रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद में एक नया इंजीनियरिंग कालेज खोलने जा रहे हैं। विज्ञान मंदिरों की स्थापना करने जा रहे हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर एवं आगरा विश्वविद्यालय और वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के निम्नश्रेणी के कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ सरकार प्रदान करने जा रही है। दातव्य निधि की व्यवस्था की जा रही है। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज में क्षयरोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने जा रही है। कानपुर में पटना की तरह रेडियम (कैंसर) की व्यवस्था होने जा रही है। कस्तूरबा क्षय रोग क्लिनिक, लखनऊ में रोगी शैयाओं में वृद्धि करने जा रहे हैं। लखनऊ मेडिकल कालेज में अनेस्थीसिया का पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने जा रहा है। लखनऊ में भूतपूर्व क्षय रोगियों की चिकित्सा के उपरान्त देखभाल तथा पुनर्वास के हेतु केन्द्र खुलने जा रहा है। सीतापुर नेत्र चिकित्सालय को अनुदान देने जा रहे हैं। प्रदेश भर में हस्त केन्द्रों पर हस्त शिल्पकारों की तैनाती करने जा रहे हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---मैं पूछना चाहता हूं कि ९० लाख एकड़ जो जमीन परती पड़ी हुई है उसका क्या प्रबंध करेंगे ? यह भी तो बतायें, आप तो कृषि उप-मंत्री हैं।

श्री कालीचरण अग्रवाल---अगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप समय दें तो मैं वह भी निवेदन करूं, यह जरूर है कि हमने राजा महाराजाओं से जमीन को छीनकर गरीब भूमिहीनों को दी है इसलिये आपको बुरा लग रहा है।

वर्तमान अन्डी सिल्क योजना की एक पायलट स्कीम चालू करने जा रहे हैं। लखनऊ में एक डिजाइन तथा शोध केन्द्र की स्थापना होने जा रही है। कुमायूं में जड़ी-बूटियों के विकास तथा शोध की योजना भी खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज खुल रही हैं। मैं योजनायें कहां तक गिनाऊं, सारी बातें बजट में हैं लेकिन जिनके आंख और कान न हों वह क्या देखेंगे और सुनेंगे।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---श्रीमन्, बजट का उद्देश्य है रोजगार के साधन जुटाना और उत्पादन बढ़ाना, जिसके कारण रहन-सहन का स्तर ऊंचा होगा। देहात में हम रहते हैं और सन् १९४७ से अब तक यह देख रहे हैं कि हर साल सरकार का बजट बढ़ता जा रहा है। लेकिन देहात की जनता पर, जो ५ करोड़ ४६ लाख है, बजट का क्या असर हुआ है, इसी से आपके कामों की अच्छाई और बुराई हम नापते हैं। आपने यह कहा है कि हम रोजगार को बढ़ा रहे हैं, तो रोजगार बढ़ा रहे हैं किसका ? आपने कहा कि हम बिजली का उत्पादन बढ़ा रहे हैं ताकि किसानों को दी जाय जिससे खेती की पैदावार बढ़े। बिजली का उत्पादन बढ़ा, लेकिन आधे से अधिक आपने बिजली अल्मुनियम के कारखाने को दी....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य "आप" शब्द का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। वह मेरे लिये समझा जायगा।

श्री टीकाराम---बिजली का उत्पादन बढ़ा, लेकिन सरकार को जितने कनेक्शन देने थे वह मई, १९५९ के बाद देने बन्द कर दिये और पिछले कनेक्शन भी नहीं दिये। तो इस तरह से कैसे खेती की पैदावार बढ़ सकती है। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि हमने राज्य का अनाज बाहर से नहीं मंगाया लेकिन आज भी सरकारी दुकानों पर आस्ट्रेलिया और अमेरिका का गेहूं मिलता है। आपने अनाज बाहर कौन सा भेज दिया और यह आप बाट क्या रहे हो ? इसके लिये आप कहते हैं कि बाहर हमने अनाज भेज दिया। इतना उत्पादन बढ़ गया है कि

[श्री टीकाराम]

हमें जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो करोड़ों अरबों रुपया कर्ज क्यों लिया जाता है? जिस घर का मालिक बाहर से अनाज ले कर घर चलाये और कर्जा लेकर लगाये, फिर कहे कि हम बड़ी उन्नति कर रहे हैं ऐसे घर का मालिक तो हमने यू० पी० की सरकार देखी है।

आपके उत्पादन के आंकड़े कहते हैं कि हम भूमिहीनों को भूमि देंगे। आप अपनी भूमि देख लीजिये कि आपके पास कितनी भूमि है। सरकार ने दावा किया कि ४,८३,६०,००० एकड़ कुल जमीन है और उसमें से ४,०५,७०,००० एकड़ पर खेती हो रही है और ७५,३२,००० एकड़ पर आप सिंचाई कर रहे हैं। इस खेती और इस सिंचाई से आप उन्नति के पथ पर जा रहे हैं।

फिर आप उपज देख लीजिये। ५६-५७ में गेहूं की पैदावार ३१ लाख १५ हजार टन थी। ५७-५८ में २७ लाख ६ हजार टन थी और ५८-५९ में ३० लाख ३६ हजार टन थी। अब यह सरकार की उपज घटी या बढ़ी। दूसरा अनाज आता है मक्का, क्योंकि यह ज्यादा खायी जाती है। मक्का की उपज ५६-५७ में ९ लाख ८६ हजार टन थी। ५७-५८ में ७ लाख ८५ हजार और ५८-५९ में ६ लाख ११ हजार थी। यह भी घटी। दाल अरहर की उपज ५६-५७ में १० लाख ५५ हजार टन थी। ५७-५८ में ५ लाख ९८ हजार थी और ५८-५९ में ६ लाख ५० हजार टन थी। मक्का भी घटी, अरहर की दाल भी घटी। सबसे ज्यादा मूंगफली का तेल इस्तेमाल होता है। ५६-५७ में १ लाख ७६ हजार टन, ५७-५८ में १ लाख ४२ हजार टन और ५८-५९ में १ लाख ४३ हजार टन इसका उत्पादन था। यह भी घटा।

अब सरकार का यह कहना कि हमारी उपज बढ़ती जा रही है हमारे तरक्की के साधन बढ़ते जा रहे हैं यह सच नहीं है। सिंचाई के साधन सुनिये। सरकार दावा करती है कि सिंचाई के साधन बढ़ गये हैं लेकिन ऐसा नहीं है। सिंचाई की कुल जमीन ७५ लाख ३२ हजार एकड़ है। नहरों की कुल लम्बाई २५,३२९ मील है और बहुत सी नहरों में पानी नहीं जाता, बहुत से रजबहों में पानी नहीं है। ६,१८० कुवें हैं जिनका डिसचार्ज गिरता जा रहा है, सिंचाई कम होती जा रही है। गूलें साफ नहीं होतीं। ३९ रु० फी बीघा सिंचाई पड़ती है। गुलरिया में जो कुआं है उस पर १२ हार्स पावर का इंजन लगा है मगर उसमें से पानी की जगह रेत वगैरह निकलती है। गुलरिया का किसान तो खेती करने और पानी लेने से हिम्मत छोड़ बैठा है। गूलों की मरम्मत नहीं हो रही है, कुओं का डिस्चार्ज गिर गया है और काश्तकार बराबर पानी के लिये परेशान रहता है। यह हालत तो आपकी सिंचाई की है।

अब जरा सरकार के प्रबंध को देखिये। जनता के जान माल की हिफाजत करना सरकार का फर्ज है। मैं जिले बदायूं की हालत बता रहा हूं। अखबार भी मेरे पास रखे हैं, उनमें भी देखा जा सकता है। वहां सैकड़ों गांव दिन दहाड़े लूटे जाते हैं। मेरे गांव के पास कंडेल का कुंआ है। उस पर गुलरिया के खेत हैं। वहां दिन में खेत काट लिये जाते हैं और ४० बीघा ईख को आग लगा दी गयी जिसकी रिपोर्ट मैंने कलेक्टर को की लेकिन कोई प्रबंध नहीं हो रहा है। दिन में किसान डाकुओं के डर के मारे नहीं जाते हैं। अगर जाते हैं तो डाकू लोग पकड़ कर बिठा लेते हैं और कहते हैं कि लाओ रोटी और नहीं देते हैं तो मारे पीटे जाते हैं। अखबार में भी लिखा है कि उसहत से वजीरगंज तक डाकुओं का इतना आतंक है कि सरे शाम से लोग रास्ता निकलना बन्द कर रहे हैं। तो यह हालत है सरकार के प्रबंध की।

फिर सवाल आता है और सरकार की ओर से कहा जाता है कि न्याय बहुत अच्छा है, सस्ता और जल्द हो रहा है। उसकी हालत भी सुन लीजिये। दीवानी और फौजदारी दो तरीके हैं न्याय के हमारे यहां। सन् ५६ में दीवानी में ३५५ अफसर काम करने वाले थे उस समय १ लाख ४५ हजार मुकदमे दायर हुये जिनमें से ३३ हजार तय हुये और ३०० दिन का साल माना जाय तो एक दिन में १/४ मुकदमा दीवानी का तय हुआ। फौजदारी में सन् ५६--५७ में १३८७ अफसर काम कर रहे थे, १ लाख ६३ हजार १ सौ मुकदमे दायर हुये जिनमें से ६६ हजार

७ सौ फैसल हुये, ३०० दिन का साल मानने पर। एक दिन में १/६ मुकदमा तय हुआ। यह हालत है न्याय की। साल साल भर किसान परेशान हो जाता है भागते भागते और वकीलों आदि को पैसा देते देते। रिआया इन अदालतों से इतनी परेशान है कि घर और रास्ते में डाकू लूटें और अदालतों में वकील लूटें।

फिर सरकार कहती है कि जनता के स्वास्थ्य में तरक्की हुई है। इसका भी हाल सुन लीजिये। जिस्मानी हालत यह है कि पुराने बुड्ढे में जितनी हड्डियां हैं उतनी आज के जवान के शरीर में नहीं हैं। घी का तो कहीं पता नहीं रह गया, डालडा सब जगह बढ़ रहा है। यह तो हालत है।

अब आचरण की हालत देख लीजिये। सरकार का भ्रष्टाचार दुनिया में फैला है। इतना भ्रष्टाचार है कि इससे ज्यादा किसी मुल्क में किसी अमलदारी में नहीं था। अगर लोहे का रुपया बना कर डाल दें तो मालूम हो जायगा कि जेबों में डाल कर कितनी रिश्वत ली जा रही है। भ्रष्टाचार की यह स्थिति है। कोई मुहकमा ऐसा नहीं है कि बिना रिश्वत दिये हुए काम चलता हो।

कहा जाता है कि हमने बेरोजगारी को घटाया है। बेरोजगारी तो घटा दी लेकिन बेरोजगारी के दफ्तरों में दरख्वास्तें देने वालों की हालत क्या है? १९५६ में ३,३६,४४० आदमियों ने दरख्वास्तें दीं और ३,३३,३३६ लोगों को काम मिला। १९५८ में ४,१४,३७२ ने दरख्वास्तें दीं ४५ हजार, को काम मिला। इस तरह से लाखों की तादाद बेरोजगारों की है। बजट में सबसे पहले रखा गया है कि हम जनता को रोजगार दिलाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे और रहन-सहन ऊंचा हो जायगा। रहन-सहन की हालत यह हो गयी है कि खाने के लिए आटा भी खालिस नहीं मिल रहा है। यह सरकार रहन-सहन ऊंचा कर रही है, बेरोजगारों को रोजगार दे रही है और उत्पादन बढ़ा रही है।

*श्री अतीकुल रहमान (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बजट के दो हीरो हैं। एक वित्त मंत्री जिन्होंने ऐसे गैर मुतवाजुन जमाने में ऐसा मुतवाजुन बजट पेश किया। दूसरे श्री नारायण दत्त तिवारी, जिन्होंने एक मुतवाजुन बजट को, बड़े मुतवाजुन अंदाज में गैर-मुतवाजुन साबित करने की कोशिश की। मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूं।

जहां तक बजट पर मुबाहसा का ताल्लुक है चार रोज से इस पर बहस हो रही है, लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि जहां तक बहस से रुख का ताल्लुक है वह गवर्नमेंट की इकोनामिक पालिसीज से या बजट से बराहरास्त ताल्लुक नहीं रखता। बल्कि चूंकि बजट के जनरल डिस्कशन में इस बात की आम इजाजत है कि जो कोई शिकायत हो या जो बात भी कहनी हो वह आम तौर से कही जा सकती है, इसलिए उस रवायत से फायदा उठा कर ज्यादातर जो तकारीर हुई हैं, वह उन्हीं बातों पर मबनी थीं। लेकिन कुछ बातें जरूर बजट के मुताल्लिक कही गयी हैं, मसलन डेफिसिट और सरप्लस बजट का होना, दूसरे प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर और तीसरे लोन। इन तीन बातों को जिस सूरत से हिज्बे मुखालिफ ने पेश किया है वह मेरे नजदीक, महज नारे की शक्ल रखता है। ऐक्सट्रैक्ट आइडियाज या मुजरिद ख्यालात दे देना तो आसान है और डेफिनिटली यह बताना कि किस जगह कमी है, कहां कम खर्च हुआ है। कहां ज्यादा खर्च हुआ, कहां खर्च होना चाहिए था और खर्च नहीं हुआ और जो निशाने थे वह पूरे नहीं हुए। यह बात मुश्किल है और मैं यह समझता हूं कि कुछ आम बहस के रुझान की वजह से लोग आम तौर से इस बात से घबड़ाते हैं कि कत्तई तौर से इस किस्म की चीज पेश करें। अगर कत्तई तौर से इस किस्म की चीज पेश की जाय तो उसके नतीजे में बजट की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया :

[श्री अतीकुल रहमान]

एक दूसरी तस्वीर सामने आयेगी। मैं देखता हूं कि तमाम मुबाहिसे के बाद बजट की कोई दूसरी तस्वीर हमारे सामने नहीं आती है। इसमें तो कोई शुबहा नहीं। नैशनल हेरल्ड ने तो यहां तक लिख दिया कि फाइनेंस मिनिस्टर के यह प्लेटोनिक जेस्चर्स हैं। उनके ये अफलातूनी ख्यालात अगर अगले वर्ष तक पूरे हो गए और वह इन्तजामात और तामीरात हो गए जिनका फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट भाषण में जिक्र किया है तो क्या इससे भी ज्यादा मुबारकबाद के मुश्तहक फाइनेंस मिनिस्टर अगले साल न होंगे। जरूर होंगे और यह अब देखना है। इससे जाहिर होता है कि आम तौर से इस बात पर सदन के अन्दर और सदन के बाहर सब मुत्तफिक हैं कि जहां तक बजट का ताल्लुक है चाहे हुकूमत के कामों में पहले कितनी ही खामियां रही हों और आगे को भी कोई खामियां रहें लेकिन इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबहा नहीं कि जहां तक इस बजट का ताल्लुक है इसमें कोई खामी और कोई कमजोरी नहीं है।

मैंने तीन बातों का अभी जिक्र किया जिनके मुताल्लिक एतराज उठाये गए हैं। डेफिसिट बजट बनाया जाता है और नतीजे में सरप्लस बजट निकलता है। मैं पूछता हूं कि आप इस बजट को गैर आदमी की चीज क्यों समझते हैं? आप इस बजट को या उत्तर प्रदेश को अपने से अलाहिदा चीज क्यों समझते हैं? अगर आपके घर का बजट होता और बजट डेफिसिट होता और अन्त में सरप्लस जाहिर होता या कोई सेविंग होती जिस सेविंग को आप ऐसे जाहिर करते हैं कि जैसे चोरी की हो, फर्ज कीजिए कि आपका कई वर्ष से एक अरब रुपये का बजट है, उस एक अरब रुपये में अगर १ करोड़ रुपया सरप्लस निकल आये, १०० पैसे में १ पैसा आपने बचा लिया तो मैं कहता हूं कि कौन सा बड़ा भारी ऐसा सरप्लस है और कौन सी ऐसी सेविंग है जो काबिले एतराज है और अगर घर में कोई ऐसी सेविंग होती है तो आम तौर से मेरे ख्याल में लोग खुश होंगे और कोई एतराज की बात नहीं समझी जायगी। तो जहां तक कि बजट के डेफिसिट होने और सरप्लस होने का ताल्लुक है कोई काबिले एतराज बात नहीं है और इतना सरप्लस तो हर्गिज काबिले एतराज नहीं। खास तौर से उस वक्त जब कि न सिर्फ बजट में यह जाहिर किया जा चुका है, तीन वर्षों के तो इस बजट स्पीच में आंकड़े दिये हुए हैं जिससे यह जाहिर होता है कि न सिर्फ यह कि सरप्लस निकला, बल्कि आमदनी भी ज्यादा हुई, एरियर्स भी कुछ हासिल हुए या फारेस्ट की या किसी किस्म की भी आमदनी ज्यादा हुई और फिर यह कि जितना खर्च के लिए मांगा गया था उससे ज्यादा खर्च भी हुआ और उसके बाद भी सरप्लस हुआ तो मैं समझता हूं कि यह तो एक साउंड एकोनामिक पोजीशन है। इसको किसी सूरत में भी काबिले एतराज पोजीशन नहीं कहा जा सकता। हां, इस सूरत में अगर आप यह साबित कर सकते कि फलां खर्चे गलत हुए, फलां खर्च होने चाहिए थे, फलां चीज, फलां प्रोजेक्ट बन जाने चाहिए थे, वह नहीं बने तो यकीनन इस सिलसिले में यह बात काबिले गौर हो सकती थी। मैं गालिबन इस वजह से कि शायद बजट का पंडित नहीं हूं यह गौर नहीं कर सका हूं? मैं यकीनन यह नहीं समझ सका और मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी जरूर अपने जवाब में इस बात का ख्याल फरमायेंगे, इस बात का जवाब देंगे कि फाइनेंशियल नुक्तेनजर से जो निशाना हमने कायम किया है, उन निशानों में ३४ करोड़ रुपया बजट का साल आखिर तक निकलता है। उससे यह शुबहा होता है कि जहां तक फिजिकल निशाने का ताल्लुक है मुमकिन है कुछ और कमी हो। इसके मुताल्लिक जरूर मुझे यह अर्ज करना है कि मैं समझता हूं कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब इसके बारे में अपनी तकरीर में जवाब देंगे।

जहां तक लोन का ताल्लुक है, प्रोडेक्टिव या अनप्रोडेक्टिव एक्सपैन्डीचर का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक यह अर्ज करूं कि किसी ने भी अपनी तकरीर में यह नहीं बतलाया कि फलां जगह कमी हो सकती है या फलां जगह पर काटा जा सकता है या फलां जगह बढ़ाया जा सकता है। किसी ने भी इस चीज को नहीं दिखाया।

अब मैं कुछ सेल्स टैक्स के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं । सेल्स टैक्स में कुछ छूट हुई हैं और वह छूट काबिले मुबारक बाद है, लेकिन जहां तक शीशे का काम करने वालों का ताल्लुक है वह काटेज इंडस्ट्री है और मेरे जिले में खासतौर पर दो जगह नगीना और कीरतपुर में यह काम होता है । कीरतपुर के लोगों की तरफ से मिनिस्टर साहब के पास रिप्रिजेन्टेशन भी हुआ था लेकिन मैं देखता हूं कि वह छूट इन लोगों को नहीं मिली है । इसलिये मैं इस ओर वित्त मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

एक एतराज पर कैपिटा इन्कम के मुताल्लिक किया गया । यह एतराज बिल्कुल सही नहीं है । बरनार्ड शा ने इसके मुताल्लिक बड़ी तन्ज की है । यह एक तन्ज का मसला है । हालांकि सरकारी किताब है उससे जाहिर होता है कि क्या इन्कम है । यहां तिवारी जी ने और आचार्य दीपंकर ने भी अपनी तकरीर में यह चीज फरमाई कि शहर और गांव दोनों जगह पर कैपिटा इन्कम घटी है । इन फिगर्स की बिना पर तिवारी जी ने भी इन फिगर्स को तसलीम किया है और यह कहा है कि गांव में भी घटी है और शहर में भी घटी है । उन घटी हुई फिगर्स को अगर देखा जाय जो इसमें गांव की दी हुई हैं तो उनमें पर कैपिटा इन्कम १९५६-५७ में १९५.५ है १९५७-५८ में १८२.३ है और १९५८-५९ में १९३.५ है । अगर आप एक लमहे के लिये भी इन फिगर्स को देखें तो असलियत मालूम हो जायगी । नजूमियों से मैंने जरूर सुना था कि सन् १९५७ में एक इन्क्लाब आयेगा मगर वह इन्क्लाब नहीं आया । मुझे नहीं मालूम कि १९५७-५८ के बाद कौन सा इन्क्लाब यहां पर वाकय हुआ कि १९५.५ से घटकर गांव के लोगों की आमदनी १८२.३ हो गई । मुझे उस इन्क्लाब की कोई इत्तला नहीं है । उसकी इत्तिला आचार्य दीपंकर को हो सकती है । मैं सिर्फ इतना जाहिर कर रहा हूं कि जहां तक आम मुशाहदे की बात का ताल्लुक है उसके बिलकुल खिलाफ बात है । आप अगर गांवों में देखें तो जहां तक तबकों के हमवार होने का ताल्लुक है मुख्तलिफ क्लासेज में वह हमवारी गांवों में ज्यादा है । हमवारी के साथ साथ अब इन १० वर्षों में जितनी लालटैन, जितनी साइकिलें, जितनी पक्की इमारतें, जितने किस्म की लिपिस्टिक और जितने टायलेट आज आपको गांवों में मिल जायेंगे वह पहले नहीं थे । इससे स्टैंडर्ड आफ लिविंग्स का अन्दाजा होता है । आपको १०, १२ वर्ष पहले ये चीजें इतनी कहीं नजर नहीं आती थीं । आज इस तरह की गांव में आम हालत है ।

जहां तक शहरों का ताल्लुक है शहरों में मुख्तलिफ क्लासेज में नाहमवारी ज्यादा है हालांकि पर कैपिटा इन्कम शहरों में ज्यादा है । अगर इसको सोशलिस्टिक प्वाइन्ट आफ व्यू से देखा जाय तो इस पर एतराज किया जा सकता है कि शहरों में जो ज्यादा नाहमवारी है वह सोशलिस्ट प्वाइंट आफ व्यू से गलत है । आप कट्टर नुक्तेनजर से इस पर एतराज कर सकते हैं । मैं डिक्टेटरशिप की बात नहीं कहता, उसमें तो आप तमाम रिसोर्सेज पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं । जो सरकारी रिसोर्सेज के बाहर के रिसोर्सेज हैं उनका अगर इस्तेमाल न किया जायगा और प्राइवेट कैपिटल को यूज नहीं किया जायगा तो स्टेट का इंडिस्ट्रियलाईजेशन नहीं हो सकता । हां, उसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर है । डेमोक्रेसी में दूसरे तरीकों से काम लिया जाता है । हम और आप प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा रहे हैं और दूसरे जराये अख्तियार कर रहे हैं और उसका दायरा बढ़ा रहे हैं जैसे देहात में कोआपरेटिव फार्मिंग करके और सीलिंग करके तो डेमोक्रेसी में जो सूरतें हो सकती हैं वह की जा रही हैं और इस के बाद भी अगर आप को शहर की पर कैपिटा इंकम बढ़ने पर एतराज हो तो इस वजह से कम से कम इस ट्रांजिशनल पीरियड में मैं उस एतराज की ज्यादा वकत नहीं समझता ।

एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी कहा गया और उसमें काफी जान है और शायद अपोजीशन के मोअज्जिज मेम्बर यह समझते हैं कि सरकार को उसकी खबर नहीं है और सरकार में ऐसे लोग हैं कि जो उसको जानते नहीं हैं । ऐसा नहीं है । यह बिल्कुल

[श्री अतीकुल रहमान]

मोटी सी बात है कि एब्नार्मल हालत में, गैर मामूली हालात में हमारे यहां जो मामूली तरीके होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वह बरते जा रहे हैं। तो मामूली तरीकों से काम चलने वाला नहीं है। उन रवायात पर, जिन पर हमारी सर्विसेज को नाज है, उनसे हमारा काम नहीं चलने वाला है। जब मामला दफ्तरों में आकर पेचीदा हो जाता है, स्कीमें गुम हो जाती हैं तो वह जोशोखरोश, जो उन स्कीमों और कामों के लिये अवाम में रहना चाहिए, जो निशाना लगाने के वक्त होता है, वह गायब हो जाता है और इस सिलसिले में मैं यह कह दूं कि एडमिनिट्रेशन में ऐसे लोग हैं कि जो इन चीजों को महसूस करते हैं और न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के बल्कि पब्लिक के बाहरी आदमियों ने भी इस पर अपनी राय दी है। मसलन, वाल्टर पिटमैन ने न्यूयार्क हेरल्ड ट्रिब्यून में एक लेख लिखा था और उसमें अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि "जिस किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और इंतजाम हम हिन्दुस्तान में देखते हैं वह इंतजाम और वह पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का तरीका, जो इंक्लाब मुल्क में लाने की जरूरत है, लाना चाहिये, उस के लिये नाकाफी है।" हमें सोचना पड़ेगा कि उसमें हम क्या तरमीम करें, क्या तब्दीली करें? कैसे उसको ठीक किया जाय?

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय खत्म हो गया।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग जिस बजट के उपर वाद विवाद करने बैठे हुए हैं यह बजट हमारे अर्थ मंत्री जी ने हमारे सामने पेश किया है और यह दूसरा बजट है जिसे उन्होंने अपने अर्थ-मंत्रित्वकाल में पेश किया है। पहला बजट जब उन्होंने सन् १९५९-६० का पेश किया था तो उसमें उन्होंने जो जिक्र किया था, मैं उसकी उनको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था "१९५५ के अवाडी के कांग्रेस सेशन के फैसले से इस नीति की विशेषता और बढ़ गयी है और केन्द्र तथा राज्यों की कांग्रेस सरकारों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिये कार्य करेंगी।"

मैं समझता था कि यह जो प्रथम बजट भाषण में १९५९-६० में उन्होंने कहा था समाजवादी समाज का शब्द, वह उन्हें १९६०-६१ के बजट भाषण में भी याद रहेगा। लेकिन मैंने बड़े गौर से २५ पेज का जो उनका भाषण है उसको देखा, एक एक शब्द पर गौर किया तो कहीं भी मुझे समाजवाद शब्द तक नहीं दिखाई पड़ा। हमारे कांग्रेस बेंचेज के एक गण्यमान्य वक्ता श्री गोविन्द सहाय जी ने फिर भी इस बजट भाषण में समाजवाद की रूपरेखा का दर्शन किया है। मैं चाहता हूं कि इस बजट के ऊपर इस विवाद में उस पहलू की तरफ इस सदन और माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाऊं जिस तरफ अभी समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। क्योंकि टेक्निकल और रचना सम्बन्धी त्रुटियों की तरफ नारायणदत्त जी और अन्य साथियों ने अच्छी तरह से ध्यान दिला दिया है, लेकिन व्यावहारिक पहलू की ओर अवश्य हमें ध्यान देने की जरूरत है, यदि इस प्रदेश को समाजवादी समाज की ओर ले जाना है। उसके लिये हमको समाज और प्रदेश के दुर्बल अंगों को मजबूत बनाना पड़ेगा। मैं आंकड़ों की जगलरी में न जाकर केवल दो एक आंकड़े आधे मिनट में रखना चाहता हूं। जो तीन पुस्तकायें १९५२-५४, १९५४-५६ और १९५६-५८ को दी गई हैं इन में जो पर कैपिटा इनकम के आंकड़े हैं उनकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहिता हूं। १९५४-५५ में एक पुस्तिका में २७७ रुपया पर कैपिटा इनकम दिखाई गई है, फिर उसी सन् की एक दूसरी पुस्तिका में २६९·२ पर कैपिटा इनकम दिखायी गई है। १९५६-५७ के सम्बन्ध में भी इसी तरह से भ्रामक आंकड़े इन पुस्तकों में दिये गये हैं। एक पुस्तक में २६४·३ और दूसरी में उसी सन् के लिये २५६·८ पर कैपिटा इनकम दिखायी गयी है। यह आंकड़ों की जगलरी, मैं अर्थ मंत्री जी से कहता हूं कि समाप्त की जाय, वरना ऐसा बजट मुल्क को, समाजवादी समाज की रचना की ओर नहीं ले जायगा।

अब मैं एक विशेष चीज की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। बजट में नर्म शब्दों में चेतावनी दी गयी है उत्तर की ओर से जो तिब्बत की सीमाएं हैं, उनकी तरफ जो हमारे सर पर खतरा है उसकी ओर। कहा गया है कि हमने इस १३२ करोड़ के बजट में ६१ लाख रुपये की रकम उन पहाड़ी जिलों के विकास, और यातायात के सुधार के लिये रक्खी है। मैं माननीय मंत्री जी को यदि इतनी दूर से वह देख सकें, तो उस नक्शे को दिखाना चाहता हूं जो चीन की सरकार ने अपने यहां की मुख्य मुख्य सड़कों के सम्बन्ध में प्रकाशित कराया है और लाखों प्रतियां हिन्दुस्तान में उसकी बंटी हैं। गरटोक वेस्ट तिब्बत का ऐसा स्थान है जो हमारे यहां की उत्तर की सीमाओं से ५०-६० मील की दूरी पर पड़ता है, उसे चीन की सरकार ने प्रशासनिक हेडक्वाटर ही नहीं, मिलिटरी हेडक्वार्टर बनाया है और जीपेबिल और मोटरेबिल रोड्स हमारे निलंग, नेती, मांड़ा, लिपुलेक आदि दर्रों के नजदीक तक बनायी हैं और अपना यातायात का सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। ६१ लाख पये की रकम से उस क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि इस छोटी सी रकम की बदौलत चीन का हमला हम रोक देंगे। मैं चीन और इस सरकार के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता हूं, लेकिन १३२ करोड़ का जो बजट है इसमें से एक अच्छी खासी रकम उस हिस्से के यातायात और सुधार के लिये विकास के लिये खर्च होनी चाहिये थी जहां से हमें खतरे का इशारा किया गया है।

दूसरी कमी जो मुझे इस बजट भाषण में दिखाई देती है वह यह है कि मजदूर और किसानों के लिये जो कि हमारी आबादी का ९० प्रतिशत हैं, उनकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। जिस समाजवादी समाज की रचना का उद्देश्य कभी भी सफल नहीं हो सकता जब तक कि समाज के इन अंगों को सबल बनाने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जायगा। मैंने पूरे बजट भाषण में देखा, इसमें तमाम अंगों का जहां जिक्र है, वहां पर एक शब्द भी 'श्रम' के सम्बन्ध में, श्रमिकों के सम्बन्ध में, नहीं कहा गया है। कहीं पर भी मजदूर शब्द का जिक्र नहीं है। कल जब माननीय बहुगुणा जी बोल रहे थे, मैंने उनका भाषण बड़े ध्यान से सुना था, उन्होंने भी कहीं अपने भाषण में 'श्रम' शब्द का उपयोग नहीं किया। मैं यह उम्मीद करता था कि कम से कम उनकी स्पीच में श्रमिकों के लिये कुछ अवश्य सुनने को मिलेगा। मुझे दुख है कि यहां के अर्थ मंत्री ने, यहां के श्रम मंत्री ने, दुर्भाग्य से, एक मिनट के लिये भी श्रमिकों को याद नहीं किया। मैं श्रमिकों के बारे में हमारे संविधान में राज्यों की नीतियों को निर्देशित करने के लिये, जो लिखा गया है आर्टिकिल ४३ में, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

"The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas."

यानी हमको एक लिविंग वेज अर्थात एक ऐसी आमदनी उन लोगों के लिये जो एग्रीकल्चरल क्लास के हों या इंडस्ट्रीयल क्लास के हों, नियत करनी चाहिये जो उनके जीवन यापन के बाद डीसेन्ट लाईफ बिताने के लिये काफी हो। इसी सम्बन्ध में एक यह रिपोर्ट लेबर इंक्वारी कमेटी की जो सन् १९४६-४८ की है, यू० पी० सरकार की पहली रिपोर्ट में भी लिखा है, जिसका एक उद्धरण मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं—

"The minimum, it came to be increasingly realised, should be sufficient not only to provide merely a subsistance allowance in the sense of keeping in soul and the body of the worker together but also to provide him with those comforts and decencies which are promotive of better habits, which give a chance for the development of a greater sense of self-respect and which be taken a higher regard for the place occupied by these workers in the scheme of citizenship."

[श्री मदन पांडेय]

तो इसमें भी इस बात को कहा गया है उन को कम से कम इतना वेतन दिया जाय जो न केवल उनके प्राणों को ही शरीर के अन्दर रखने के लिये काफी हो बल्कि वह इतना होना चाहिये जिससे वे अपने कुटुम्बियों का जीवन भी निर्वाह कर सकें। हमारे कान्सटीट्यूशन में भी इस बात की व्यवस्था की गयी है। हमारी यू० पी० सरकार की ही बनाई हुई यह लेबर कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें सर्वमान्य श्रमिक नेता श्री निम्बकर की यह राय है कि श्रमिकों को उनकी न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुविधायें उपलब्ध हों। उन श्रमिक भाइयों की पोजीशन क्या है, इसको आप को देखना चाहिये और विचार करना चाहिए। अभी ७० हजार चीनी मिल के मजदूरों की तरफ से हड़तालें हुईं, अनशन भी हुये, और भी कई तरह से उन्होंने अपनी मांगें रखीं, लेकिन सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया। हजारों रुपया हमारे टैक्सपेअर्स का इस कमेटी की रिपोर्ट को तैयार करने में लगा मगर वह कूड़े में फेंक दी गई। मैंने अपने प्रश्नों द्वारा बीड़ी मजदूरों की ओर बार बार इस सरकार का ध्यान आकर्षित किया किन्तु उसका भी कोई असर नहीं हुआ। विभिन्न वेज ऐक्ट के मुताबिक २६ रुपये तनख्वाह रखी गयी है। मैं पूछता हूं कि क्या वह मिनिमम वेज का स्तर इस सरकार ने नियत किया है जो हमारे संविधान में निहित है। अगर वह नहीं है तो यह सरकार वर्तमान नीतियों के बल पर समाजवादी समाज की रचना करने में कभी सफल नहीं हो सकती। उसको अपनी इस नीति को बदलना होगा।

अब मैं कृषकों की तरफ आता हूं। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कल ही यह बताया गया कि एक नेशनल कौंसिल आफ ऐम्प्लाइड एकोनामिक रिसर्च नाम की संस्था है दिल्ली में, जिसके डाइरेक्टर हैं श्री पी० एस० लोकनाथन जी, जो एक बड़े मशहूर अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बटलोई का एक चावल ही देखकर मालूम हो सकता है कि सारा चावल कैसा पका हुआ है। उन्होंने लिखा है—विवरण मेरे पास नहीं है क्योंकि पुस्तक लाइब्रेरी में नहीं है—कि किसी गांव में बस्ती जिले के आप घुसें तो आप को दो एक कुयें दिखाई पड़ेंगे जिनमें पानी ऐसा होता है कि अगर मंत्रिगण को कहा जाय कि आप उसमें हाथ धो लीजिये तो हाथ धोकर भी, उनकी तबियत प्रसन्न नहीं होगी, वह पानी वहां के लोग पीते हैं। हर गांव में घुसने के साथ आप को दो चार लड़के मिलेंगे जिनके चेहरे मुरझाये हुये हैं जिनके इमेशियेटेड फेसेज हैं जो गरीबी के कारण उपवास करते हैं और जिनको खाना नहीं मिलता है। वह बड़ी विस्तृत रिपोर्ट है उन्होंने १०-१० घरों की ६० गांवों की रडम सैम्पलिंग की है और उस सर्वे के आधार पर उन्होंने वह रिपोर्ट दी है। अगर इस प्रदेश में हर जिले में इस तरह की रडम सम्पलिंग सर्वे की जाय तो आप को पूरी दुर्दशा इस प्रदेश की मिलेगी।

पर्वतीय जिलों की हालत क्या है? अभी बुन्देलखंड के बारे में रानी राजेन्द्रकुमारी जी ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया है, उसको सुनने के बाद भी आप कैसे यह दावा करते हैं कि यह कल्याणकारी राज्य का बजट है। यह जो सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये दावा कर रही है, उसके राज्य में मजदूर और किसान, जो बल्क आफ दि पापुलेशन है, उनके लिये जब यह हो रहा है तो कैसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना सम्भव प्रतीत होती है। मैं माननीय मंत्री जी की सेवा के लिये कुछ आंकड़े उसी रिहैबिलिटेशन ऐंड डेवलपमेंट आफ बस्ती डिस्ट्रिक्ट, जो लोकनाथन साहब की किताब है, उसमें से पेश करता हूं। बस्ती जिले की पर कैपिटा इन्कम १९५५-५६ में १६५ है, यू० पी० २६५ है और सारे भारत की २७२ है। अब इन दोनों के मुकाबले में बस्ती की हालत देखिये। यह नहीं कि मैं केवल बस्ती, गोरखपुर या देवरिया की बात कह रहा हूं, यह सारे प्रदेश की हालत है। हर जिले में जो ग्रामीण जनता है जो बल्क आफ दि पापुलेशन है और जहां पर ८० प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं वहां के लोगों की स्थिति यह है।

किसानों के बारे में मैं कह चुका। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे इस बजट में एक अच्छी खासी रकम अन्य विभागों में भी खर्च की जा रही है, लेकिन उसमें कहां पर इन्साफ हो रहा

है और कहां पर नहीं हो रहा है, इसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस गोरखपुर, बस्ती, बुन्देलखंड और पर्वतीय जिलों का मैंने जिक्र किया है, आप लिस्ट उठा कर देखिये, जो कारखाने बन रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वह सब जहां पर, लोगों के विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, वहां नहीं बनाये जा रहे हैं और वहां पर एक भी ऐसी चीज आपको नहीं दिखायी पड़ेगी। आज सभी लोग कहते हैं कि काश हम वाराणसी में पैदा हुये होते जहां एक के बाद दूसरी और तीसरी इस प्रकार की योजनायें चलायी जाती हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यदि वास्तव में समाजवादी समाज की रचना करना है तो बजट में भी इस तरह की व्यवस्था करनी होगी। पूर्वी जिले, बन्देलखंड और पर्वती जिले जो इस प्रदेश के दुर्बल अंग हैं उनमें डेवलपमेंट करना होगा तभी लोग समझेंगे कि वाकई ये सरकार समाजवादी समाज की रचना के लिये प्रयत्नशील है। इस तरह के बजट की रचना हमें करनी चाहिये और मैं आशा करता हूं कि हमारा सदन और हमारी सरकार भी उस तरफ अवश्य ध्यान देगी।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करने के लिये खड़ी हुई हूं। आज चार दिन से बजट पर आदरणीय सदन में विवाद चल रहा है। मैं भी थोड़ा समय लेना चाहती हूं यद्यपि यह शायद उतना अच्छा भाषण न हो लेकिन मैं समय लेना चाहती रही हूं। बहुत सी आलोचनायें और प्रत्यालोचनायें बजट के ऊपर की गयीं और इधर उधर की बहुत सी उपाधियां बजट को दी गई हैं, उनका अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें बहुत समय लग जायगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि विरोधी दलों के सदस्यों को बजट के ऊपर आलोचनायें करने का तो हक है ही लेकिन आलोचनायें स्वस्थ होनी चाहियें। इस प्रदेश की जिम्मेदारी इधर के ही बैठे हुये भाइयों पर या माननीय मंत्रियों पर ही नहीं है बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी विरोधी दल के ऊपर ही होती है। मैं समझती हूं कि हर बात में आलोचना करने और आवाज उठाने से कोई मतलब हल नहीं होता बल्कि कुछ खास खास चीजें जो हमने की हैं और उनमें जिनकी कमी है उनको प्वाइंट आउट करना उनका काम होता है। मैं मानती हूं कि हममें कमी है, कोई भी मनुष्य सर्वांगीण सम्पन्न और पूरा कार्य नहीं कर सकता। इसलिये माननीय सदस्य कुछ चुनी हुई चीजों को लेकर क्रिटिसाइज करें तो कदाचित् हमारी सरकार भी उससे फायदा उठा सकती है और इस प्रदेश का भी लाभ हो सकता है।

आज इस संकट के समय में जैसा कि आज कल चारों तरफ से सुनाई पड़ रहा है कि हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आया हुआ है यदि हम आपस के आक्षेपों को भुला कर थोड़ी सी गम्भीरता के साथ इस विषय पर सोचें कि किस तरह से हमारे देश और प्रदेश की उन्नति हो, किस तरह से उन स्वतन्त्र उन्नतिशील देशों से जो सदियों से उन्नति कर रहे हैं उनसे हम मुकाबला कर सकें, तो हम वास्तव में उन्नति कर सकेंगे। आज हमारे सामने एक बड़ी भारी गम्भीर समस्या है और इसके ऊपर गम्भीरता से सोचना होगा नहीं तो मैं समझती हूं कि जो आजादी का छोटा सा पौदा, जिसे हमने १०-१२ साल पहले लगाया था, जिसपर हमने बहुत कुछ बलिदान किया, देश की बड़ी बड़ी विभूतियों को खोया है, फिर कहीं आपस के झगड़े के कारण उस को न खो दें। इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह बेकार की आलोचनाओं को न करके सिर्फ उतनी आलोचनायें करें, जो कि आवश्यक हों। भारत एक विशाल देश है और इसकी बहुत बड़ी आबादी है। सदियों से हम गुलामी में बंधे रहे हैं, हमारा देश खंडहर हो गया, उसको बनाने के लिये कुछ समय अवश्य चाहिये। अभी थोड़ा सा समय हुआ है जब से हम पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा कुछ उन्नति कर पाये हैं। यह तो कहना ठीक नहीं है कि हमने कुछ किया ही नहीं। अगर आप गौर करके और ईमानदारी से सोचें तो हमने बहुत कुछ किया है और इतने बड़े देश में इस थोड़े से समय में जितना भी किया है, वह बहुत किया है। इसलिये इस तरह से कह देना कि हमने कुछ नहीं किया, यह ठीक नहीं है। हमारा देश गरीब है, गांव वाले परेशान हैं और कोई उन्नति के चिन्ह नहीं नजर आते हैं, देश में अराजकता है, यह स्वस्थ परम्परा से कहने का तरीका नहीं है। हमने कुछ किया है और कुछ कर रहे हैं और हमें दृढ़ विश्वास है कि अगर हम इसी उन्नति के पथ पर चलते रहे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे।

[श्रीमती विद्यावती वाजपेयी]

कृषि के विषय में कहा गया कि उत्पादन नहीं बढ़ा है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पाकिस्तान के अलग होने से जितनी उपजाऊ जमीन थी, वह हमारे यहां से अलग हो गई और आबादी भी हमारी बढ़ गयी है। उसके बाद दैव भी ४, ६ साल से हमारे अनुकूल नहीं रहा। यह भी हमारे लिये एक कठिन परीक्षा थी। तो भी ४, ६ महीने पहले जिस मुसीबत का हमारी सरकार ने बड़ी बहादुरी के साथ सामना किया और एक भी आदमी अन्न की कमी के कारण मरा नहीं, उसके लिये मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देती हूं और मैं समझती हूं कि हर आदमी इस बात को सोचेगा कि सरकार बधाई की पात्र है क्योंकि इसने बहुत कुछ किया है, इस पर बहस भी हो चुकी है। समय कम है इसलिये मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती।

सिंचाई के लिये हम यह मानते हैं कि हममें कमियां हैं। इस सम्बन्ध में बहुत कुछ प्रयत्न किया गया है और सरकार ने सिंचाई की छोटी छोटी योजनाओं की तरफ ध्यान दिया है। मैं यह भी मानती हूं कि अभी जहां नहरें हैं, जिस जिले में, जिस भूमि में, वहां भी सिंचाई की कई परेशानियां हैं परन्तु यदि वक्त पर बीज, खाद और पानी---ये सब चीजें मिल जायं, तो कदाचित् हम इससे ज्यादा अन्न पैदा कर सकेंगे जितना कि आजकल करते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी त्रुटियां हैं जो हुआ ही करती हैं, मैं समझती हूं कि इस तरह की कुछ चीजें हैं जिन पर हम ध्यान दें और हमारे सभी भाई जो अपने अपने क्षेत्र से चुन कर आये हैं वे हर एक कमेटी के मेम्बर हैं, वे वहां बैठ कर उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करें। मैं अभी पिहानी गयी थी, वहां भी मुझे १०, २० दरख्वास्तें इस प्रकार की दी गयीं कि यहां सिंचाई की बड़ी कमी है, पानी वगैरह का इन्तजाम नहीं है। मैंने उनसे कहा कि हमारी सरकार की ओर से कुओं के लिये तकावी मिलती है। आप लोग उसके लिये अप्लाई करें और ५, ६ एकड़ भूमि के अन्दर एक-एक कुवां बनवा लें तथा इसके लिये मैं प्रयत्न करूंगी। इस तरह से आप की कठिनाई दूर हो सकेगी।

इस बजट के लिये मैं वित्त मंत्री जी को पहले थोड़ा सा धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमारे लिये कुछ चीजें इस बजट में रखी हैं और हमारा विश्वास है कि अगर आप बजट को अच्छी तरह से पढ़ें तो आप की समझ में आयेगा कि समाजवाद की ओर बढ़े हैं। पुराने बजट को तो देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उसकी तो हर चीज हमारे सामने है। इस बजट में ग्राम पंचायतों को ७,५०० रु० का अधिकार दिया गया है निर्माण कार्य के लिये। मैं समझती हूं कि ग्रामीण लोगों की इससे काफी कठिनाई दूर होगी और गांव समाज की उन्नति होगी।

(इस समय ३ बज कर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसके अलावा आप देखें कि चौथे वर्ग के कर्मचारियों के लिये भत्ते का इन्तजाम किया गया है। यह भी एक प्रगति का चिन्ह है। हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पैसे की कमी तो हर साल रहती है। इसलिये यह एक बहुत अच्छी चीज है जो की गयी है।

सैनिक शिक्षा के लिये भी सरकार ने इन्तजाम किया है जिससे हम आगे चल कर अपने यहां सुरक्षा का प्रयत्न करें। हमारे यहां के हर नौजवान को सैनिक शिक्षा मिलनी चाहिये, जैसा कि हर स्वतंत्र देश में होता है कि वहां पर हर नौजवान सैनिक शिक्षा पाता है, जिससे कि देश की सुरक्षा होती है।

इसके अलावा चिकित्सा के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहती हूं। चिकित्सा के लिये भी कुछ प्रयत्न किया गया है। हमारे यहां ५ महिला अस्पताल खोलने की योजना है। मैं आशा करती हूं कि इनमें कदाचित् एक अस्पताल हमारे शाहाबाद का भी शामिल है। मैं निवेदन करूं कि उसके लिये हम लोग काफी साल से प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अलावा और भी अस्पताल खोले गये हैं लेकिन डाक्टरों की कमी की समस्या हमारे सामने ऐसी है जिसको दूर करना बहुत आवश्यक है। मेरे जिला हरदोई के ८ अस्पतालों में इस समय कोई भी डाक्टर नहीं है। उसके लिये हमारे यहां की जो स्वास्थ्य कमेटी है, उसने यह तय किया है और उसके लिये हम लोग प्रयत्न

कर रहे हैं कि आयन्दा पी० एम० एस० (I) ग्रेड के डाक्टर की पे उनको दी जायगी जो गांव के अस्पतालों में जा कर रहेंगे। जहां तक मुझे याद है, यह तय हो गया है और सरकार इस पर विचार कर रही है। यही शायद तय हुआ है, जहां तक मुझे मालूम है ऐसा विचार हो रहा है। इसी तरह से डाक्टरों की जो समस्या है वह कदाचित् उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलने से दूर होगी। महिला चिकित्सा अस्पताल खोले गये हैं, बाल चिकित्सालयों का भी आयोजन चल रहा है। हमारे प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों पर आजकल ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि वह कृपया बाल अस्पतालों को मेडिकल कालेज से अलग रखें। उसी में शामिल कर देने से बच्चों के अस्पताल की उन्नति न हो सकेगी ऐसा मेरा विचार है। वह एक दूसरे का ही मुंह देखा करते हैं और जितनी बच्चों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिये उनसे वह वंचित रह जाते हैं। हमारे प्रदेश में बच्चों की २० प्रतिशत आबादी है। दूसरे देशों में भी बच्चों के लिये तरह तरह के आराम और फैसिलिटीज दी जा रही हैं, इस सब को देखते हुये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि बच्चों के अस्पताल जनरल अस्पतालों से अलग रखे जायं।

शिक्षा के लिये भी बहुत कुछ किया गया है और इस क्षेत्र में बड़ी अच्छी प्रगति हुई है। हमारे जिले में भी ३५ और नये स्कूल खोले गये हैं। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी की बहुत आभारी हूं। इसी तरह से तमाम जिलों में काफी उन्नति हो रही है, प्रारम्भिक पाठशालायें, जूनियर हाई स्कूल आदि बहुत कुछ खोले जा रहे हैं। एक तरफ मैं ध्यान दिलाऊंगी कि शिक्षा के लिये जो हमारे जिला बोर्ड के स्कूलों की पुरानी इमारतें हैं उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है। मैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगी। उनके लिये अलग से फण्ड होना चाहिए, मैंने वहां अन्तरिम जिला परिषद् में जब उनका प्रश्न उठाया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई फंड नहीं है, यह तो नये स्कूल खोलने के लिये रुपया है मरम्मत के लिये नहीं। इसलिये उन पुराने स्कूलों की मरम्मत के लिये रुपया या फंड यहां से अलग जाना चाहिये।

शहर और गांवों में पैसे की कमी बताई गई। गांवों में पैसे की कमी इतनी नहीं है। मैंने वहां देखा है कि इस वक्त किसानों के पास पैसा अच्छा है और हमारे जिले में तो इस साल गन्ने और मूंगफली से किसानों को अच्छी आय हुई है, एक एक आदमी ने ५-५ और ६-६ हजार रुपए का गन्ना और मूंगफली बेची है। लेकिन बात यह है कि वह लोग उस पैसे का ठीक उपयोग नहीं जानते और न उनके पास उसके लिये साधन हैं। अगर सरकार बड़े-बड़े शहरों में तमाम चीजें और स्कीमें खोलती है तो छोटे छोटे कस्बों और तहसीलों में लघु उद्योग और हाथ का सामान बनाने के स्कूल खोले, उससे कदाचित् गांव में जो पैसा आता है और बढ़ रहा है और रोज वहां डकैतियां और चोरियां हो रही हैं, वह समस्या भी ठीक हो जाय। साबुन बनाना, दियासलाई बनाना, जूते आदि बनाने के छोटे उद्योग खोले जायं जो अब तक केवल लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती आदि बड़ी बड़ी जगहों में ही खोले जाते हैं, तो हमारे हरदोई जिले के गांव के लोगों की भी तरक्की हो सकती है और वहां के लोगों की शिकायत भी दूर हो सकती है। उनके पास न अक्ल है और न वह लोग इतना जानते हैं कि हम क्या उद्योग करें। इसलिये अगर हाथ का काम सीखने के स्कूल वहां की तहसीलों में और कस्बों में खोल दिये जायं तो लोगों को काम मिल जायगा। इस तरह से गांव का पैसा भी उद्योग में लग सकता है और उनका प्रबन्ध इन साधन सहकारी समितियों द्वारा हो सकता है, जो बन रही हैं। इससे आये दिन की चोरियां भी खत्म हो जायंगी और काश्तकार, जो जेवर की शक्ल में या बक्सों में पैसा रखते हैं और जिसकी चोरी दस बीस गुन्डे रात-दिन किया करते हैं, वह भी खत्म हो जायगी और अमन चैन रहेगा। तो इससे बहुत कुछ बचत हो जायगी।

स्त्रियों की बेकारी की बात भी मुझे कहनी है। आज कल हर घर में चार छः लड़कियां पढ़ी लिखी निकलती हैं। मैं गांवों में जाती हूं तो लड़कियां झुंड की झुंड आती हैं और कहती हैं कि हमारे यहां जूनियर हाई स्कूल खुलवा दीजिये। औरतों की बेकारी सबसे बड़ी बेकारी है। हमारी संख्या आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। हमारी लड़कियां एम० ए०, बी० ए० पास

[श्रीमती विद्यावती वाजपेयी]

करके घरों में बेकार अपना समय खोती रहती हैं। मैं चाहती हूं कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे। यह नहीं कि हम चिल्लाती नहीं हैं तो हमारी सुनवाई न हो। हमलोग धीरे से और सावधानी से हर एक बात को कहती हैं। कुछ जगहें रिजर्व कर दी जायें और अगर न रिजर्व की जायं तो अधिक से अधिक उनमें महिलाओं को लिया जाय। जैसे प्रारंभिक शिक्षा है। इसमें हम लोग सब से अच्छा काम कर सकती हैं क्योंकि औरतों में मातृत्व और प्रेम होता है। टेलीफोन एक्सचेन्ज वगैरह में भी महिलाएं काम कर सकती हैं। बस कंडक्टर और पोस्ट आफिस में चिट्ठी छांटने का काम विलायत में औरतें करती हैं। वहां बहुत से काम सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, पुरुष नहीं करते। अब मैं बहुत समय न ले कर माननीय वित्त मंत्री को फिर बधाई देती हूं।

*श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे कल्याणकारी बजट पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, मैंने बजट पर जो बहस हुई है, उसको सुना। कहा गया कि कल्याणकारी राज्य का कल्याणकारी बजट है, लेकिन देखा जाय तो सर्वसाधारण के लिये इसमें कोई गुंजायश नहीं है। सड़कों का निर्माण हो, एन० सी० सी० केडट बढ़ें, नये कार्यालय खुलें और नये आफिसर नियुक्त हों, इसी को अगर कल्याणकारी राज्य का कल्याणकारी बजट समझा जाय तो ठीक है।

मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं। उन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की क्या दुर्दशा है? क्या कोई गुंजाइश उनके लिये इस बजट में की गई है? आज वह दाने दाने को मोहताज हैं। उनके बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं। उनके लिये कोई गुन्जाइश नहीं है। इसके साथ ही पुलिस पर खर्चा अधिक है। यह भी घोषणा मंत्री जी ने की है कि पुलिस कमीशन नियुक्त किया गया। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है कि पुलिस वालों की मनोवृत्ति किस प्रकार बदली जाय। हमारे और आप के सामने आये दिन मसले आते हैं। पिछले सेशन में जिक्र आया कि एक सरदार को दाढ़ी जलाकर थानेदार ने उसे मार डाला। मैनपुरी जिले में कुरावली के एक थानेदार ने अपने कुत्ते से कटवाकर एक व्यक्ति को जान से मार डाला। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। इस सम्बन्ध में सरकार क्या क़दम उठा रही है? बहुगुणा जी ने कहा कि सुरक्षा का इंतजाम तो होना ही चाहिए। तो सुरक्षा का जैसा इंतजाम है वह हम और आप देखते ही हैं कि आये दिन हर आदमी खतरा महसूस कर रहा है। आज सर्वसाधारण की रपट थाने में नहीं लिखी जाती ठीक प्रकार से। कत्ल और डकैती बढ़ रही हैं। यह कहना कि पुलिस बढ़ायी जायगी, सुरक्षा का प्रबन्ध होगा तो इसके साथ ही यह भी होना चाहिये कि क्राइम्स भी न बढ़ें।

शिक्षा की बात कही जाती है, मैं प्राइमरी शिक्षा के बारे में कहता हूं। जो प्राइमरी स्कूल खुलते जा रहे हैं कभी यह भी देखा जाता है कि वहां बच्चों की शिक्षा किस प्रकार होती है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों को पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ कर पढ़ना चाहिये। लेकिन वह कैसी जगह पढ़ते हैं इसका शायद उनको पता नहीं है, धूप में और धूल में बैठ कर पढ़ते हैं। अध्यापकों को इतना कम वेतन मिलता है कि वह अपनी ही गृहस्थी के पालन पोषण में व्यस्त रहता है, वह बच्चों को क्या पढ़ायेगा। कोई अध्यापक १२-१ बजे से पहले नहीं आता। इसलिये उनका वेतन बढ़ाना चाहिये और इस सम्बन्ध में कोई कमेटी सरकार बैठाये, जो वेतन तय करे तथा यह भी तय करे कि प्राइमरी शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए। अगर इसमें सुधार न हुआ तो भावी संतान का क्या हाल होगा? यूनिवर्सिटी और कालेजेज का हाल आप आये दिन देखते ही हैं।

कृषि के बारे में उपमन्त्री ने बड़ा जोरदार भाषण दे दिया कि इतनी पैदावार बढ़ गई, इतनी सिंदरी की खाद, तथा उन्नतिशील बीज बांटा गया। लेकिन क्या उन्होंने कभी गांवों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुर्दशा जाकर देखो ? फर्रुखाबाद में उन्नतिशील बीज बांटा गया, लेकिन कैसे ? अगर एक आदमी एक बोरा गेहूं का बीज चाहता है तो उसके लिये लाजिमी कर दिया गया कि वह २ बोरा मटर ले। इसी तरह से सिंदरी की खाद लेते समय जबरदस्ती ढेंचा, मूंग और सनई का बीज दिया गया जिसकी किसान को कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा खाद बांटने का काम डी० सी० डी० एफ० के सुपुर्द किया गया, लेकिन एक एक बोरा लेने के लिये हर किसान को ३, ४ रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

कोआपरेटिव के जो बीज गोदाम हैं वहां पर पंचायत टैक्स ले कर बीज दिया गया, तो किसानों को बड़ी दिक्कतें हैं। समय पर उनको कोई चीज नहीं मिलती। सिंचाई का यह हाल है कि जहां ट्यूबवेल हैं वहां नाली नहीं है, अगर नाली है भी तो टूटी हुई हैं। जब किसान कहता है तो उसको कोई सुनता नहीं। जिस गांव में कुएं बने हुए हैं वहां के किसान जबरदस्त हैं तो वह इस बात को कहते हैं कि हम सब से पहले अपने गांव के खेत भर लेंगे तब दूसरे गांव में पानी जाने देंगे। मैंने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात चीत की। सरकार के कानून में दम नहीं है कि वह गरीब किसानों को पानी दे सके। जो लोग जबरदस्त हैं, मजबूत हैं, बड़े हैं वे सिंचाई कर लेते हैं। गरीब आदमी को वह सिंचाई नहीं मिल पाती है।

इसके अलावा आपरेटरों का हाल यह है कि रिश्वत उनकी बंधी हुई है। गरीब काश्तकार को १ रुपये या २ रुपये बीघा पेशगी देना पड़ता है, तब उस को पानी मिल पाता है।

इसी तरह से बिजली के लिये कहा जाता है कि बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है और हर किसान को इसकी सुविधा मिलेगी। मैं देखता हूं कि प्राइवेट ट्यूबवेल्स तक लगे हुए हैं। गांव में लोग चाहते हैं कि हमको बिजली मिले लेकिन नहीं मिलती। बिजली कहां मिल रही है ? जो लोग घरों में पंखे लगाए हुए हैं, ऐसे लोग बिजली पाये हुये हैं। तो सरकार को इस ओर ठोस कदम उठाना चाहिये। प्राइवेट ट्यूबवेल के लिये भी बिजली मिलनी चाहिये।

सिंचाई के बाद मैं खाद की बात कहता हूं। हरी खाद का इस्तेमाल बढ़ रहा है लेकिन सरकार को इसमें काफी सबसिडी देना चाहिये। सनई की खाद और खादों से ज्यादा उपयोगी साबित हुई है लेकिन किसान के सामने यह परिस्थिति होती है कि उसको समय पर बीज नहीं मिलता है। जब जरूरत नहीं होती है उस वक्त सनई का बीज मिलता है और जिस वक्त जरूरत होती है उस वक्त उस को बीज नहीं मिल पाता है। इसलिये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये कि सनई, जो किसान चाहता है, वह उसे समय पर मिल जाय।

मजदूरों के लिये कहा गया है कि उनको तनख्वाहों में काफी सुविधा दी जाती है। आज उस मजदूर को, जो सड़कें बनाता है जिन पर हम चलते हैं, महंगाई समेत साढ़े ३३ रुपये मिलते हैं और वे भी समय पर नहीं मिलते हैं। इसी तरह से डैमों पर जो कारीगर काम कर रहे हैं उनकी क्या हालत है। उनको मस्टर रोल पर रखा जा रहा है। उनको रेगुलर सर्विसेज में नहीं रखा जा रहा है। इस बात के लिये सिंचाई मंत्री से उन्होंने एप्रोच किया और कहा कि इस तरह के मजदूर हमको न समझा जाय। हमको रेगुलर सर्विसेज में रखा जाय। लेकिन सरकार क्या करती है यह मैंने बतला दिया। ढिंढोरा तो पीटा जाता है लेकिन उस को कार्य रूप में बहुत कम परिणत किया जाता है।

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री को १९६०-६१ के बजट पर बधाई देते हुए कुछ बयान देना चाहता हूं। जब से हमारे देश में आजादी आई है, तब से हमारी कांग्रेस सरकार ने यह फैसला किया कि इस देश में समाजवादी व्यवस्था हो, समाज वादी ढांचा हो जिससे, जो बहुत ही नीचे गिरे हुए इंसान हैं, ऊंचे इंसानों के बराबर हो जायं और ऐसे हमवार हो जायं कि ऊंचे के बराबर आ जायं। सरकार की यह कोशिश है। सरकार अब थर्ड फाइव ईयर प्लान बनाने जा रही है। उसको उसने समाज-

[श्री एस० जी० दत्त]

बाबी तश्कील दी है। इसमें कोई शक नहीं कि जितना कांग्रेस सरकार ने हमारे देश और अपने लोगों की माली हालत का सुधार करने की कोशिश की है एशिया में किसी और मुल्क ने इतनी कोशिश नहीं की या कर नहीं पाये। और उस की वजह यह है कि आज हकूमत की बागडोर, यह हमारी खुशकिस्मती है कि जवाहर लाल जी जैसे नेता के हाथ में है जो हमारे मुल्क के प्रधान मंत्री हैं और दूसरे लोगों के हाथ में है जो दिल से आजादी की लड़ाई लड़े। वह कोशां हैं कि यह मुल्क माली हालत में और हर हालत में आगे बढ़े। फर्स्ट फ़ाइव इयर प्लान में हमने तरक्की की। यह ठीक है कि कुछ हालत ऐसी रही कि कभी बारिशें नहीं हुईं और कभी हुईं तो इतनी बाढ़ आ गयी कि तमाम फसल को बहा ले गयी। इस साल जाहिर है कि कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश में जैसा कि गेहूं जैसी फसल के लिये जरूरी था कि मौके पर बारिश हो ताकि अनाज की कमी दूर हो जाती, लेकिन कुदरत के साथ दुनियां की कोई हुकूमत लड़ नहीं सकती। यह ठीक है कि एजुकेशन में, जराअत में, सनत व हरफत में हमारी सरकार ने बहुत से प्लान बना कर इतनी तरक्की की है कि जो हमारे मुखालिफ लोगों को नजर नहीं आता। हमारा जिन्दगी का ढांचा भी ऊपर हुआ और जो लोग घरों में कभी कुर्सी और मेज नहीं रखते थे आज उनके घरों में कुर्सी और मेज भी हैं। उनकी जिन्दगी में एक माडर्न वे में तरक्की हो रही है जिससे उनके खर्चे बढ़ गये। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी है कि हिन्दुस्तान में जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपना एक ऐसा पार्ट प्ले किया क्योंकि मैं इसको मानता हूं कि पोलिटिकल पार्टीज का लोगों की सोशल और एकोनामिक लाइफ पर बहुत असर पड़ता है अगर वे सही में अपना पार्ट प्ले करें---लेकिन बाज पोलिटिकल पार्टीज ने सही तरीके से अपना पार्ट प्ले नहीं किया बल्कि उन्होंने यह रवैया अख्तियार किया कि चाहे सरकार अच्छा ही काम क्यों न करे, उसकी नुक्ताचीनी करना और लोगों में जा कर उसकी मुखालिफत करना उनका जरूरी काम हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, कौम को ऊंचा करने के लिये एखलाक भी बड़ी चीज होती है। मैं जानता हूं कि मुखालिफ पार्टियों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सदन में ही नहीं बल्कि बाहर भी लोगों में जाकर कांग्रेस की मुखालिफत करके और कुछ झूठी बातें कह के लोगों का ऐसा एखलाक बिगाड़ा है कि उसका असर बहुत काफी . . . .

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)---व्यवस्था का प्रश्न। माननीय सदस्य बजट पर भाषण दे रहे हैं या चुनाव प्रचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---वे कोई असंगत बात नहीं कह रहे हैं।

श्री एस० जी० दत्त---माननीय सदस्य को रंज तो जरूर हो रहा होगा, पर मैं कहने से मजबूर हूं। यह ठीक है कि पोलिटिकल पार्टीज के सोशल व्यवहार का बच्चों और नौजवानों पर बड़ा असर होता है। अगर हमारी लाइफ ठीक नहीं तो हमारे बच्चों पर खराब असर पड़ता है। जो माननीय सदस्य बजट सेशन में बड़ी-बड़ी लम्बी हांकते हैं, बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं मुझे ताज्जुब होता है कि जरा अगर हम भी अपने गरेबान में मुंह डाल कर देखें कि जब हम किसी पर ऐतराज करते हैं तो हम कहां तक सही हैं।

बजट हर रुख से अच्छा है, एजूकेशन, ऐग्रीकल्चर और दूसरी बातों में। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि बजट में शायद मजदूरों की तरक्की के लिये कुछ करने के लिये कुछ ऐसा जिक्र नहीं आया। मजदूर हर मुल्क का बैंक बोन होता है। मजदूर के ऊपर इंडस्ट्री होती है। मजदूर पैदावार करता है चाहे वह किसान हो, चाहे वह मिल का हो या किसी जगह का हो। मजदूर की तरक्की के ऊपर मुल्क का इनहसार होता है। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी खामी हो गयी है मजदूर के मामले में, कि मुल्क का बहुत कुछ फायदा हो रहा है लेकिन मजदूर नीचे गिरता जा रहा है। यह ठीक है कि बजट में एस्टेबिलशमेंट का खर्चा बहुत बढ़ गया है। मगर मजदूर की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है और जो इंडिस्ट्रियल पीस

होनी चाहिये वह नहीं रही। मैं कुछ फीगर्स देता हूं। १९५७ में मंथली ऐवरेज जो इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स का था वह ६ था। १९५८ में भी ६ रहा। १९५९ में, अक्टूबर तक गिर गया। इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स तो गिर गया, लेकिन लास आफ मैन डेज सन् १९५८ में ८,४५९ हुआ और १९५९ में ११,४९२ हो गया। इसकी वजह यह है कि फैक्टरी कुछ बन्द रहीं या लाक-अप हो गयीं। सरकार को इस बात को ध्यान देना जरूरी था। जहां मजदूर बेरोजगार हो जाता है, फैक्टरीज बन्द हो जाती हैं तो मजदूर का ही नुकसान नहीं होता बल्कि मुल्क का, बिजिनेस मैन का और सरकार का भी नुकसान होता है। ऐसा मालूम होता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन्स मशीनरी डिफेक्टिव हो गयी है। इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि जो सरकार ने पहले वर्क्स कमेटी कायम की थी, उनसे बहुत सारे मामलात हल हो जाते थे, वह हमारे सूबे में नहीं रहीं। गवर्नमेंन्ट को चाहिये कि उन वर्क्स कमेटियों को हर फैक्टरी में फिर जारी कर दे।

यह देखने में आता है कि आम तौर से बेकारी बढ़ी है। सरकार भी मानती है इस बात को। उस बेरोजगारी को कम करनें के लिये प्राइवेट सेक्टर जो है वह बढ़ नहीं रहा है। पब्लिक सेक्टर भी नहीं बढ़े। प्राइवेट सेक्टर वाले यह कहते हैं कि कर्ज लाओ तो करें। सरकार ने लोन दिया भी। लेकिन आजतक उन लोन्स का पता ही नहीं चला। तो जब तक प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं यह हमारे देश में नहीं बढ़ेंगे तक तक यह बेरोजगारी कम नहीं हो सकती। पब्लिक सेक्टर बेशक बहुत अच्छा है और एन्करेज होना चाहिये, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसलिये कि यह जो फैक्ट्री वाले हैं यह सोचते हैं कि पता नहीं कब कल को इन्क्लाब आ जाय और मजदूर हमारी फैक्ट्री की ईट से ईट बजा दें और कुछ ऐसी चीज है भी तो इसलिये मैं सरकार का रुझान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिन्होंने कर्ज लिये है उन्हें वह मजबूर करे कि वह फैक्ट्री कायम करें जिससे कुछ बेरोजगारी कम हो। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से यह मालूम होता है कि नौकरी की तलाश करने वालों की तादाद तो बढ़ती जा रही है लेकिन नौकरी मिलना कम होता जा रहा है। यह एक चीज है। १९५१ से अगर हम मुकाबिला करें तो देखेंगे कि जाब सीकर्स की तादाद तो ज्यादा बढ़ गई है लेकिन जिनको काम मिला है उनकी तादाद कम होती जा रही है। इसलिये प्राइवेट सेक्टर्स को एन्करेज किया जावे कि वह अपनी फैक्ट्रीज कायम करें। जो डर है उनके अन्दर उसे सरकार दूर करे और तब कन्ट्री की एकोनामी दुरुस्त हो सकती है जिससे बेरोजगारी भी जाती रहेगी।

थर्ड फाइव ईयर प्लान में सरकार ऐग्रीकल्चर के ऊपर जोर दे रही है। इससे ऐग्रीकल्चर वर्कर की अहमियत ज्यादा बढ़ जायगी और गवर्नमेंन्ट चाहे तो वह जो इंडस्ट्रियल मजदूरों को जितनी रियायतें और मुरव्वतें हैं वही रियायतें और मुरव्वतें ऐग्रीकल्चर मजदूरों को भी दी जानी चाहिये। खेतिहर मजदूर की हालत आज खराब है। सरकार ने कुछ रेट फिक्स किया था, १ रुपया या कुछ, लेकिन वह उन्हें नहीं मिलता है। उन्हें ६ आने तक मिलता है। तो यह चीज देखने की है कि जब तक मजदूरों को ज्यादा मजदूरी नहीं मिलेगी तब तक हालत खराब रहेगी।

हमारे कानपुर में अध्यक्ष महोदय, दो मिलें बन्द हुई जिससे कई हजार मजदूर जो थे वह बेरोजगार हो गए। सरकार ने कोशिश की और सरकार की कोशिश के लिये मैं उसको बधाई देता हूं कि एथर्टन वेस्ट को तो उन्होंने चालू कर दिया। कानपुर काटन मिल का मसला अभी जेरेगौर है जिसमें कई हजार मजदूर काम करते हैं जो बेकार हो गए हैं। मेरे एरिया में मजदूर ज्यादा रहते हैं गो मेरे यहां कारखाने नहीं है। मैं उनकी रोजाना जिन्दगी को देखते हुए यह कहता हूं कि मजदूरों की हालत नागुफ्ताबेह है इस वास्ते कि उनके पास खाने-पीने का कोई सामान नहीं रहा। सरकार को इस तरफ तवज्जह करनी चाहिये और कानपुर काटन मिल को जल्द से जल्द चालू कराने की कोशिश करनी चाहिये।

दूसरे मैं कुछ एजूकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार ने बहुत ज्यादा स्कूल खोले हैं हायर सेकेंड्री स्कूल, कालेजेज वगैरह और जितने प्राइवेट कालेजेज हैं और स्कूल हैं,

[श्री एस० जी० दत्त]

प्राइमरी स्कूल वगैरह उन सबको एन्करेज किया है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने स्कूल तो कायम किया और जिनको ग्रान्ट मिलती है लेकिन स्कूल नदारद है। ऐसी मिसालें भी हैं। मालूम होता है कि डिपार्टमेंट को पता ही नहीं कि इनके स्कूल चालू हो रहे हैं या नहीं। वह जो इंस्पेक्टर्स हैं वह देखते-भालते ही नहीं और ऐसे स्कूलों को ग्रांट दी गई है जिनके पास ५०, ५० बच्चे हैं लेकिन उनको बजट में ग्रान्ट मिल जाती है। बच्चों की तालीम ऐसी होनी चाहिये जिससे उनका फायदा हो सके। यह तालीम बच्चों के लिये मुजिर साबित हो रही है। उस तालीम के अन्दर उनको दस्तकारी साथ-साथ सिखायें ताकि जब हमारे बच्चे पास करने के बाद वहां से बाहर निकलें और दुनियां में कदम रखें तो उनको रोजी मिल सके। आज यह भी बेरोजगारी की एक वजह है। हमारे बच्चे पास करते हैं लेकिन जानते कुछ नहीं हैं। मैं समझता हूं हरएक स्कूल में इंडस्ट्री होनी चाहिये और उनको काम सिखाया जाना चाहिये जिससे जब वे बाहर निकलें तो वह काम कर सकें। सरकार का इस तरफ ध्यान होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—(श्री गोविन्दसिंह बिष्ट से) आपको १५ मिनट का समय ही मिलेगा। श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे का फोन आया है कि वह कल सवेरे बोलेंगे। इसलिये आपको १५ मिनट ही मिलेंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं बहुत से सदस्यों के भाषण सुन रहा था। शासकीय पार्टी की तरफ से जो लोग बोले उन्होंने अपने जिन विचारों को यहां पर प्रकट किया है उसमें अपने फर्ज को अदा किया है। अभी आखिर में कानपुर के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। उन्होंने जो अन्त में बात कही वह बिलकुल सत्य है। उन्होंने कहा कि आजकल मजदूरों की हालत बहुत खराब है और सरकार इसके लिये कुछ नहीं करती है। इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। यह भी कहा कि कानपुर में मिल बन्द पड़ी है। प्रदेश भर में बेरोजगारी बढ़ रही है और इतना ही नहीं एक बात ऐसी कही चाहे उन्होंने धीरे से ही डर कर कही कि कई ऐसे स्कूलों को ग्रान्ट दी जाती है लेकिन स्कूल नदारद हैं। यानी रुपया दिया जाता है और वह इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स इसका वाउचर बना देते हैं लेकिन स्कूल नदारद रहते हैं। यह कांग्रेस के ही माननीय सदस्य ने कहा है। एक कांग्रेसी सदस्या पहले बोली थीं उन्होंने कहा था कि बजट बहुत अच्छा है लेकिन महिलाओं के लिये कुछ नहीं किया गया है। महिलायें बेकार हो गई हैं। उनका पढ़ना भी बेकार हो गया है। चिकित्सालयों के बारे में उनको शिकायत है कि प्रदेश में चिकित्सालयों का प्रबन्ध समुचित नहीं है। इसके अलावा कल नवलकिशोर जी बोले थे। उन्होंने कहा था कि सरकार के अखराजात बहुत बढ़ गये हैं और फिजूलखर्ची बहुत बढ़ गई है। उसके बाद एक भूतपूर्व डिप्टी मिनिस्टर बोले, जो पहले शिक्षा के डिप्टी मिनिस्टर रह चुके हैं, श्री कैलाश प्रकाश। उन्होंने कहा कि दिन ब दिन यहां पर नैतिक स्तर गिरता जा रहा है और सरकार जातिवाद के आधार पर शासन कार्य कर रही है। यही नहीं कुछ महीने पहले बल्कि उधर बैठने वाले ९८ सदस्यों ने बतलाया था कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और इस सरकार में उनको अविश्वास है। अगर इस सारी कहानी पर विचार किया जाय तो एक मुकम्मल तस्वीर बनती है। यह किसी विरोधी दल के सदस्य के कहने से नहीं जो कि विरोध के ही नुक्तेनजर से बात करते हैं बल्कि यह बात उन लोगों के मुखारविन्द से निकली है जो कांग्रेस बेंचेज पर बैठते हैं। इस कारण से यह तस्वीर बिलकुल मुकम्मिल है जिसके सब अंग-प्रत्यंग पूर्ण हैं। इस तस्वीर को कांग्रेस के सदस्य ही तसदीक करते हैं कि इसमें केवल काली रेखायें हैं। जितने कांग्रेस के सदस्य यहां पर बोले हैं उन्होंने किसी बात को छिपाया नहीं। इसलिये यह तस्वीर का नक्शा गलत नहीं है।

हम बजट के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मौजूदा बजट साहित्य इतना संक्षिप्त है कि इससे कुछ पता नहीं चलता है

हमारा यह बजट १३३ करोड़ का है लेकिन कुल ४९६ पेज में छापा गया है। जो फिगर छपे हैं उनमें इंडस्ट्री के लिये ६९ करोड़ १२ लाख कंटिजेन्सी में और ६८ करोड़ ३२ लाख अन्य मदों की धनराशि दी हुई है। उन मदों के लिये एक-एक लाइन लिख दी गई है। उसकी कोई डिटेल नहीं दी गई है ताकि हम लोग जान न पायें। मैंने मद्रास, बम्बई, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बजट देखे हैं। मध्य प्रदेश का केवल २३ करोड़ का है लेकिन वह एक हजार से अधिक सफों में छपा है, उसमें एक-एक डिटेल दी हुई है कि कितने उनके कर्मचारी हैं, कितनी पुलिस की संख्या है और कितने असिस्टेंट हैं। सरकार हमसे कहती है कि हम सुझाव दें तो हम सुझाव क्या दें, इस अंधकार में हम क्या सुझाव दें? बजट देखने से तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का एक छोटा सा सदस्य होने के नाते मुझे जानने का मौका मिला कि एक बड़ी मद रखी जाती है निर्माण कार्यों के लिये और उसका रिएप्रोप्रियेशन दूसरी मदों में कर दिया जाता है और यह दिखाया जाता है कि एडीशनल रुपया नहीं मांगा जा रहा है। लेकिन उससे ऐशो इशरत के सामान मुहैय्या किये जाते हैं और कारों के खरीदने पर वह रुपया खर्च किया जाता है।

श्रीमन्, उधर के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि अब तो देहातों में लिपिस्टिक भी औरतें लगाने लगी हैं। हमारा स्टेंडर्ड आफ लिविंग इतना बढ़ गया है। मैं नहीं जानता, शायद उनके देहात में औरतें लिपिस्टक लगाने लगीं हों। बाकी और सारे प्रदेश में तो किसी देहात में भी लिपिस्टक नजर नहीं आती। उनको मैं क्या कहूं? सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है।

सरकार की ओर से सुरक्षा के नाम पर बहुत-सी बातें कहीं गयीं। यह किया गया, वह किया गया। मगर क्या किया गया वह मैं बताना चाहता हूं। कल ताराचन्द माहेश्वरी जी के प्रश्न के उत्तर में नियोजन मंत्री जी ने बताया था कि पर्वतीय इलाके के लिये ५६ लाख रुपये की व्यवस्था जो की गयी थी उसमें से कुल ९२ रुपया खर्च किया गया। यह तरक्की है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की पिछली रिपोर्ट में है कि ३० लाख रुपया रखा गया और कुल ५ लाख खर्च हुआ। तो महज रुपया रख देने से ही काम नहीं होता। बड़ी बातें हम से कहीं गयीं। मैं बजट स्पीच को ही थोड़ा-सा पढ़ देना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों, पूर्वी जिलों और बुन्देलखंड के कुछ जिलों के विकास के लिये २८.६४ लाख की धनराशि रखी गयी है। १४ पूर्वी जिले हैं, ४ पहाड़ी जिले और ३,४ बुन्देलखंड के जिले हैं। इनमें ढाई करोड़ की आबादी के लिये आपने कुल २८ लाख रुपया रखा है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया।

इसके अलावा श्रीमन्, कहा गया कि ६१ लाख रुपया सड़कों के लिये रखा गया है और एक उपमंत्री जी ने कहा कि इससे उस इलाके का नक्शा ही बदल जायगा। तीन बार उन्होंने कहा कि मैं उपमंत्री हूं। जैसे हम लोग भूल ही गये थे। वह इस समय तशरीफ नहीं रखते हैं। मैं आपके द्वारा उन से कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा खतरा हुआ है सीमान्त पर और उसको देखते हुए इस ६१ लाख रुपये से कितने मील की सड़कें वहां बन सकेंगीं। एक मील सड़क बनाने में वहां पर ५०,००० रुपया लगता है और वह इलाका ऐसा है कि वहां तो शायद यह खर्च १ लाख रुपया फी मील ही बैठेगा। इस से आप चीनियों का मुकाबला करेंगे? इससे हमारी क्या सुरक्षा हो सकेगी? इसलिये इस प्रकार २८, ३० लाख रुपया रख देने से, जो चार आना प्रति व्यक्ति भी नहीं पड़ता, वहां की तरक्की नहीं हो सकती। मैं सरकार को चार्ज करता हूं कि इस १२ साल के दौरान में उन्होंने इस इलाके के लिये कोई बड़ी इंडस्ट्री तो क्या कोई छोटी इंडस्ट्री भी खोली? आज इस तरफ हमारा यह पिछड़ा इलाका है और दूसरी तरफ चीनी बराबर प्रलोभन पर प्रलोभन दे रहे हैं। भगवान न जाने किस दिन क्या हो जाय। ईश्वर न करे कि वह दिन आये, लेकिन सरकार उसके लिये सचेत नहीं है। वह सो रही है। इस मूल बजट में विकास के नाम पर वहां के लिये १०० रुपये की टोकेन ग्रान्ट रखी गई है। मैं जानना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी से कि यह कौन से अर्थ शास्त्र का सिद्धान्त है? एप्रोप्रियेशन बजट में इस तरह की मांग रखी जाती थी,

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

लेकिन इसमें आने का क्या तुक या justificaiton है। उसका एक्सप्लेनेशन जब मैंने नये आइटम्स में देखने की कोशिश की तो वहां कुछ भी नहीं मिला इसमें स्पष्टीकरण होना चाहिये था। सब नदारद। इससे लाभ क्या होगा ?

शिक्षा के विषय में हमारे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने तसलीम किया था इसी आदरणीय सदन में कि उत्तर प्रदेश में हम ३.८ हर व्यक्ति पर खर्च करते हैं। मैंने बम्बई में देखा वहां ९.८ वेस्ट बंगाल में ७.८ और मध्य प्रदेश में जो हम से पिछड़ा हुआ कहा जाता है, उसमें ४.३ रुपया फी व्यक्ति खर्च किया जाता है। श्रीमन्, इस साल स्कूलों में लड़कों की संख्या बढ़ गई। कागज में भले ही बढ़ गई हो, जैसा दत्ता जी ने कहा, लेकिन वह वास्तव में बढ़ी है इसमें मुझे संदेह है। भले ही कुछ स्कूल या छात्र बढ़े हैं पर नतीजा क्या है ? १९४६ में जहां हाई स्कूल का रिजल्ट ५७.६ परसेंट था वह १९५८ में ५० प्रतिशत रह गया और शायद १९५९ में और कम रहा होगा। इंटर का जहां तक सम्बन्ध है, १९४६ में ५५.६ प्रतिशत था जो १९५८ में घट कर ४३.१ प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार से कहा गया था १० वर्ष में अनिवार्य शिक्षा पूरी लागू हो जायगी। अभी हम उससे भी कोसों दूर हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद क्या हालत हुई ? जहां प्राइमरी एजूकेशन में ३५ परसेंट छोटे बच्चे शिक्षित होते थे वहां योजना काल के बाद ३२ परसेंट रह गये। दे सरकार इसका जवाब ? हमारी आर्थिक स्थिति का यह हाल है कि शिक्षा और इंडस्ट्री के नाम पर, सारी चीजों के नाम पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। १९५९ के ३१ मार्च तक जो कर्ज २६८.४७ करोड़ था, १९६० में २७४.५८ करोड़ हो गया और १९६१ में २७९.२९ करोड़ हो जायगा, यानी हर साल बढ़ता ही जा रहा है। जो साढ़े बारह करोड़ का बजट था आज वह १३२ करोड़ का हो गया है, इतना टैक्सों में इजाफा हुआ है, लेकिन आपने हिन्दुस्तान को क्या दिया, उत्तर प्रदेश को क्या दिया ?

एक माननीय सदस्य ने कहा कि तुम कटौती की बात बताओ, यह जो खर्चा हो रहा है इसमें कौन फिजूल है सरकार द्वारा। लास्ट ईयर कहा गया था कि इस हाल में ८ हजार की पेंटिंग होगी। वर्तमान बजट में प्राविधान है कि मिनिस्टर साहब की २ कारें घुंधली हो गई हैं, कुछ पुरानी हो गई हैं, वे बदली जायेंगी। तो हर साल ८०–८० और ९०–९० हजार का फर्नीचर बदला जाता है। पुराना फर्नीचर सड़ रहा है। २९ संगमरमर की सीढ़ियां हम से नहीं चढ़ी जाती हैं, उसके ऐवज में लिफ्ट लगे हैं। बन्द कर दो लिफ्ट को। फिजूल खर्ची का नमूना यह भी है कि साढ़े चार लाख की स्कीम बनने जा रही है ताकि लखनऊ में कुछ रंगीनियां बढ़ें, लेकिन गरीब जनता के पेट में रोटी न पड़े। फिजूल खर्ची की इन्तिहा हो गई है। क्या यह बन्द नहीं की जा सकती ?

श्रीमन्, एक तरफ जहां सरकार योजना के नाम पर टैक्स बढ़ाती है, दूसरी तरफ साल के शुरू में एक कैमुफ्लेज बजट पेश कर दिया जाता है। मालूम नहीं अबकी यह क्या कारनामे दिखाये कि १९५८–५९ में ४.५४ करोड़ का घाटा था। उसे १ करोड़ ९ लाख की बचत में परिवर्तित किया गया है। इस तरह से ५.६३ करोड़ की पूर्ति की गई। योजना के नाम पर सरकार ने कर्ज दिया पर अनुमानित खर्च से १.३५ करोड़ कम खर्च उस पर किया गया। शिक्षा वगैरह के नाम पर भी लिया जा रहा है और सहकारिता के नाम पर जो नाटक इस प्रदेश में खेला जा रहा है उससे कभी इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता। यह कहा गया कि दो वर्ष के अन्दर कोआपरेटिव १०,००० बन जायेंगे ६,००० पहले से क्रेडिट सोसाइटीज को ट्रांसफर किया गया। पूज्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके औचित्य पर संदेह प्रकट किया था। इनका एक दिन में १८५ का हिसाब पड़ता है। आपको मालूम है कि कोआपरेशन के लिये इस प्रकार की पहले से कोई प्लान नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि कोआपरेशन तो जनता के हाथ है, उसकी तरफ से आना चाहिये, उसकी कोई तारीख नहीं होनी चाहिये। लेकिन यहां तो इन समितियों को सरकार पहले बनाती है और जन-सहयोग की बाद को सोचती है। इस तरीके से यहां क्या

कोआपरेशन होगा ? और कोआपरेशन विभाग की हालत यह है कि जिस जिले में शुरू किया गया वहां सब से ज्यादा मर्डर हो रहे हैं और स्वयं शासकीय पार्टी में कैसा कोआपरेशन है इसको मैं नहीं कहना चाहता । टाइम बहुत कम है, मुझे ५ मिनट और दे दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष--दो मिनट ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कालापानी से लीपूलेक तक जीप वाली सड़क बनाने की योजना बनाई है उसके लिये ५०,००० रुपया प्रोवाइड किया गया है मगर कालापानी तक जाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है । ऐसा लगता है जैसे यह सड़क बनाई गई है केवल कम्युनिस्टों को बुलाने के लिये ।

इसमें एक चीज और कही गई है कि आमदनी बढ़ाने के लिये हमें अन्य साधन ढूंढना पड़ेंगे, इसके क्या मानी हैं ? क्या फ्रेश टैक्सेशन होगा ? मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि इतनी फिजूल खर्ची करते हुये अगर वह और टैक्स लगाती है तो जनसंघ इस सदन के अन्दर और बाहर उसका घोर विरोध करेगा । (विघ्न) । श्रीमन्, अभी एक साथी कहते हैं कि क्या मैंने बजट साहित्य पढ़ा है ? मेरा उत्तर है, जी हां । यह साहित्य हमें रद्दी में बेचने के लिये नहीं मिलता है । मैं आपको बताऊं कि मेरे पड़ोस में कांग्रेस बेंचों के एक साहब हैं उन्होंने रद्दी बेची इस बजट साहित्य की और जिसमें रक्खे हुये उनके ६० रुपये के नोट चले गये । वे साहब सामने ही बैठे हुये हैं ।

श्रीमन्, एक तरफ करप्शन के बारे में कहा जाता है, माननीय झारखन्डेराय जी ने यह फरमाया था कि इसकी जांच के लिये एक हाई पावर कमीशन बिठाना चाहिये । इस बात की डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने ताईद की है । मैं भी पुनः उस बात की मांग करता हूं । आज चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है । जीवन के हर स्तर पर आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है । अपने किसी रिश्तेदार को ढाई करोड़ का, किसी को सवा करोड़ का ठेका दिया जाता है, लेकिन उसकी जांच नहीं होती है ।

आज पुलिस का क्या हाल है, उसकी बाबत मैं क्या कहूं ? अभी हाल ही का जिक्र है इस राजधानी में जब एक दम्पत्ति सिनेमा देख कर लौट रहे थे, गोमती के किनारे उनकी पत्नी का अपहरण हो गया । उसमें किसी एम० एल० सी० की कार पाई जाती है, कहते हैं उसे एक जिला हाकिम बाहर से यहां लाये थे । एक नहीं कई इस तरह की बातें हैं । तो यू० पी० की राजधानी में, जहां आई० जी०, डी० आई० जी० वगैरह सब हों वहां पर भी इस तरह के अत्याचार हों, तो यह बड़े शर्म की बात है कि इसका पता न लग सके ।

श्रीमन्, मुझे कुछ मिनट और दे दिये जायं । अब श्रीमन्, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में उनकी रिपोर्ट का एक हवाला पढ़ कर सुनाना चाहता हूं—

"We are constrained to state that the personnel of these Public Service Commissions in some of the States was not such as could inspire confidence from the points of views of either efficiency or of impartiality. There appears to be little doubt that in some of the States appointments to these Commisions are made not on consideration of merit but on grounds of party and political affiliations."

आगे लिखा है .....

श्री अध्यक्ष—यह आप किस चीज से पढ़ रहे हैं ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---यह मैं एक पर्चे पर लिख लाया हूं। समय कम है इसलिये इसमें से पढ़ रहा हूं। यह पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है.....

श्री अध्यक्ष---समय समाप्त हो गया।

*श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने इस सन् १९६०-६१ के आय-व्ययक पर मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। श्रीमन्, इस बजट पर जो वाद-विवाद चल रहा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, विवाद कई दिन से चल रहा है उसमें बहुत से माननीय सदस्य इस बात को लेकर बोले हैं कि यह सरकार पूर्ण है, और यह सरकार अपने अंतिम विकास की सीमा पर पहुंच रही है और हमारे यहां अब किसी बात की कमी नहीं है। मेरा खयाल है कि ऐसी बात नहीं है। मैं एक दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि चाहे बजट हो या और भी कोई चीज हो, उसमें कुछ न कुछ कमी हो सकती है। श्रीमन्, मैं यह बताऊं कि यह जो सभामंच है, इसकी जो रचना हुई है और जिसके कि आप मालिक हैं, यह सारा का सारा गलत है। अगर हमारे दृष्टिकोण से यह बना होता श्रीमन्, तो यहां जो भी यह आवाजें उठाई जाती हैं और जो भी यह विचार विनिमय होता है वह इस तरह से न होता। इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यह किस प्रकार होना चाहिये। ऐसी दशा में मैं यह कहूंगा, चाहे उधर के लोग हों और चाहे इधर के, सब इसी तरह से चिल्लाते रहेंगे और कोई लाभ नहीं उठा सकेंगे।

अब मैं बजट के सम्बन्ध में दो एक सुझाव देना चाहता हूं अपने वित्त मंत्री जी को। इसलिये कि मैं समझता हूं कि आज तक जब भी मैंने कुछ कहा है तो उसका जवाब इनकी तरफ से नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष---पूछ लीजिये कि वह सुन भी रहे हैं या नहीं।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---मैं समझता हूं कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं वह तो नवाब हैं। (हंसी) श्रीमन् मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अधिकतर मेरी जानकारी शिक्षा के बारे में है। थोड़ी सी मजदूरी मैं शिक्षा में करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी शिक्षा में उन्नति बहुत हुई और हमारे शिक्षा मंत्रालय की कुशलता है कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने बजट को १७ करोड़ तक बढ़ा लिया लेकिन मैं, श्रीमन, निवेदन करूं कि वित्त मंत्री का विभाग १७ करोड़ के बारे में क्या आज्ञा किस तरह पर देते हैं। कागज में तो छाप देते हैं १७ करोड़ लेकिन जिस वक्त शिक्षा विभाग खर्च करना चाहता है तो इनकी तरफ से एक न एक तमाशा लगता रहता है।

श्री सैयद अली जहीर---हिसाब देखना तो जरूरी है।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---सुनिये, बाद में जवाब दे दीजियेगा। जब १७ करोड़ आपने दे दिया तो चाहे हम रेकरिंग में दें या नान-रेकरिंग में दें क्योंकि शिक्षा के बारे में वित्त विभाग को क्या जानकारी हो सकती है, हम जनता में जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, वित्त विभाग लखनऊ में बैठा हुआ है न कहीं जाता है और न कहीं उसे देश दुनिया से बहुत मतलब है। ऐसी दशा में अगर १७ करोड़ से १८ करोड़ हम मांगें तो आप रोक लीजिये लेकिन जो आप दे देते हैं उसमें आप क्यों कहते हैं कि फलां स्कूल को दीजिये और फलां स्कूल को न दीजिये। नतीजा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह होता है कि काम अधूरा रह जाता है। मैं इसके लिये प्रमाण रखता हूं। उत्तर प्रदेश में ऐग्रीकल्चरल कालेजेज बहुत कम हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अरबों खरबों रुपया खर्च करने के बाद भी आपको पूरे तौर से कृषि के स्नातक नहीं मिलेंगे और सब काम रुक जायगा। कानपुर, वाराणसी के अतिरिक्त आजमगढ़ और देवरिया में केवल दो डिग्री कालेज खुले हैं कृषि के जो केवल दो-दो सौ और तीन-तीन सौ लड़के प्रतिवर्ष दे सकते हैं। गतवर्ष शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि खर्च का सारा प्रबन्ध आपको करना चाहिये। लेकिन जनता की स्थिति भी ऐसी नहीं रह गयी है कि वह अलग से कालेज खोल सके और ५० लाख से जो आप खोल सकते हैं वह जनता १० लाख में खोल सकती है लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप खोलें। जनता में शक्ति नहीं रह गयी है। तो कैसे देश का निर्माण होगा यह सोचने की बात है।

श्री अध्यक्ष--अब समय समाप्त हुआ इसलिये आप कल अपना भाषण जारी रखें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१९ फरवरी, १९६०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५० पर)

जिला हमीरपुर के महमूदाबाद थाने के अन्तर्गत १९५७–१९५८–१९५९ में (१ जनवरी से ३० सितम्बर) में हुए कत्ल, डकैती, चोरी व राहजनी की घटनाओं की संख्या

महीना	१९५७				१९५८				१९५९			
	कत्ल	डकैती	चोरी	राहजनी	कत्ल	डकैती	चोरी	राहजनी	कत्ल	डकैती	चोरी	राहजनी
जनवरी	..	..	१	..	..	..	८	..	..	..	१	..
फरवरी	..	..	१	..	..	१	२	..	..	..	५	..
मार्च	..	..	९	..	..	..	८	..	१	..	५	..
अप्रैल	१	..	४	..	..	..	५	..	..	..	२	..
मई	..	..	४	..	..	..	१	..	..	..	५	..
जून	..	१	२	..	२	..	४	..	..	१	१	..
जुलाई	..	..	४	..	..	..	४	..	१	..	३	..
अगस्त	१	..	४	..	..	..	६	..	..	..	२	..
सितम्बर	..	..	५	..	..	१	१	..	..	१	५	..
योग	२	१	३४	..	२	२	३९	..	२	२	२९	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५४ पर)

List of demands made by the residents of Gorakhpur in their application dated May 20, 1959

(*a*) The construction of the Eye Hospital at the present site be stopped and this be constructed inside the premises of the District and Divisional Hospital, Gorakhpur. An upper storey can very easily be constructed on the present newly built ward in the upgraded District Hospital and this would also be much less expensive.

(*b*) Government should take care of and should exercise effective control over the affairs of this Eye Hospital, which is getting substantial aid from Government and also through several Government agencies like the N. E. S. Blocks, Gaon Panchayats and Cane Development Unions, etc.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ पर ४५६ पर)

राज्य में प्रकाशित उर्दू दैनिक पत्रों की सूची

१--आजाद, वाराणसी	५--नाजिम, रामपुर।
२--हक, लखनऊ,	६--पैगाम, कानपुर।
३--हिन्दुस्तान, वाराणसी,	७--कौमी आवाज, लखनऊ।
४--जिद्दत, मुरादाबाद,	८--सियासत जदीद, कानपुर।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५७ पर)

हत्या के आरोपों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

क्रम संख्या	जिला	पुलिस कर्मचारी जिन पर हत्या का आरोप लगाया गया	की गई कार्यवाही का विवरण	
		१९५७		
१	फतेहगढ़ ..	१ कांस्टेबुल	न्यायालय द्वारा प्राण दंड दिया गया	उच्च न्यायालय
२	झांसी ..	१ ,,	,,	,, में अपील विचा-
३	बिजनौर	१ हेड ,,	उन्मुक्त किया गया	राधीन है
४	फैजाबाद	१ एस० आई० १ हे० कां० व २ कां०	,, ,,	
५	हरदोई ..	२ एस० आई० ३ कां०	,, ,,	
६	लखनऊ	१ कांस्टेबुल	,, ,,	
७	बस्ती ..	१ एस० आई०	,, ,,	
८	,,	१ कांस्टेबुल (जी० आर० पी०)	कांस्टेबुल के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो सका । अतएव विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप पदावनति का दंड दिया गया ।	
		१९५८		
१	फतेहपुर ..	१ कांस्टेबुल	न्यायालय द्वारा ३ वर्ष का कठोर कारा-वास व १०० रु० जुर्माना का दंड दिया गया ।	उच्च-न्याया-लय में अपील विचाराधीन है ।
२	झांसी ..	१ ,,	न्यायालय द्वारा प्राण दंड दिया गया	
३	उन्नाव ..	२ ,,	,, ,,	उनमुक्त किये गये
४	—	१ फर्राश (सी० आई० डी० कार्यालय)	,,	प्राण दंड दिया गया

क्रम संख्या	जिला	पुलिस कर्मचारी जिन पर हत्या का आरोप लगाया गया	की गई कार्यवाही का विवरण	
		१९५९ (३० नवम्बर तक)		
१	मैनपुरी ..	१ एस० आई० १ हेड कां० व ३ कां०	मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।	
२	इलाहाबाद	१ कां०	,,	,,
३	कानपुर ..	१ हैड कां०	न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास	उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन है।
४	फतेहपुर ..	१ हेड कां०	मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।	
५	जालौन ..	१ कां०	,,	,,
६	बरेली ..	१ हेड कां० टीचर }	दोनों मुकदमें ,,	,,
७	बरेली ..	१ कां० }	,,	,,
८	खीरी ..	१ टाइपिस्ट .. (पुलिस कार्यालय)	मुकदमा ,,	,,
९	टेहरी-गढ़वाल	१ कां०	,,	,,
१०	नैनीताल	१ एस० आई०, १ कां०	,,	,,
११	फैजाबाद	१ एस० आई०,	,,	,,
		२ कां०	,,	,,
१२	उन्नाव	२ एस० आई०, ५ कां०	,,	,,
१३	आजमगढ़	१ कां०	न्यायालय से छूट गया	
१४	बलिया	१ कां०	मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।	
१५	गाजीपुर	१ कां०	,,	,,
१६	देवरिया	१ कां०	,,	,,

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६० पर)

विधायक निवासों में चपरासी इत्यादि पदों पर कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की तथा उनमें से परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या

पदनाम		कुल संख्या	परिगणित जाति की संख्या	पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या
अ—चपरासी	..	४	..	..
ब—केयरटेकर	..	४	..	..
स—क्लार्क ..	..	६	..	..
द—इन्चार्ज, दारुलशफा	..	विधायक-निवास में ऐसा कोई पद नहीं है ।		
ह—फर्राश ..	..	६२	७	१०
क—भिश्ती	..	७	..	७
ख—मेहतर	..	२३	२३	..

विधान सभा सचिवालय पटना

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६३ पर)

नत्थी 'क'

वर्ष सन्	तहसील का नाम		चपरासी की नौकरी के लिये कुल प्रार्थना-पत्र जो प्राप्त हुए	हरिजनों के प्रार्थना-पत्रों की संख्या	पिछड़ी जातियों के प्रार्थना पत्रों की संख्या	चपरासियों की संख्या जो लिये गये	हरिजन जो लिये गये	पिछड़ी जाति के व्यक्ति जो लिये गये
१९५६	रामसनेहीघाट	..	सूचना अप्राप्य	सूचना अप्राप्य	सूचना अप्राप्त	९	१	२
	हैदरगढ़	..	है	है	है	५	१	३
	नवाबगंज	..	..	..	..	..	..	..
	फतेहपुर	..	..	..	..	..	..	..
						१४	२	५
१९५७	रामसनेहीघाट	..	४७	४	८	१०	२	१
	हैदरगढ़	..	३०	३	९	६	१	२
	नवाबगंज	..	२८	—	४	५	—	१
	फतेहपुर	..	५२	६	१२	१२	२	२
			१५७	१३	३३	३३	५	६
१९५८	रामसनेहीघाट	..	..	..	..	..	..	..
	हैदरगढ़	..	१०	१	४	२	१	१
	नवाबगंज	..	..	..	..	..	..	..
	फतेहपुर	..	..	..	..	..	..	..
			१०	१	४	२	१	१
१९५९	रामसनेहीघाट	..	२५	१	४	७	*..	२
	हैदरगढ़	..	..	..	..	..	..	..
	नवाबगंज	..	१५	..	२	२	..	१
	फतेहपुर	..	४१	९	३	१०	२	**१
			८१	१०	९	१९	२	४

*१ हरिजन की नियुक्ति की गई थी परन्तु उसने पद भार ग्रहण नहीं किया।

**१ और भी पिछड़ी जाति के व्यक्ति की नियुक्ति की गई परन्तु उसने पद भार ग्रहण नहीं किया।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६३ पर)

नत्थी 'ख'

सन्	तहसील का नाम		सीजनल चपरासी जो कार्य कर रहे थे	सीजनल हरिजन चपरासी जो कार्य कर रहे थे	सीजनल पिछड़ी जाति के चपरासी जो कार्य कर रहे थे	स्थायी रूप से कार्य करने वाले चपरासी (All the year round)	हरिजन चपरासी जो स्थायी रूप से कार्य कर रहे थे	पिछड़ी जाति के चपरासी जो स्थायी रूप से कार्य कर रहे थे
१९५६	रामसनेहीघाट	..	३४	६	४	३४	७	१०
	हैदरगढ़	..	२६	..	१	२६	२	१
	नबावगंज	..	३७	५	१४	३७	५	१२
	फतेहपुर	..	३३	५	७	३३	६	५
			१३०	१६	२६	१३०	२०	२८
१९५७	रामसनेहीघाट	..	३४	६	४	३४	७	१०
	हैदरगढ़	..	२६	..	१	२६	२	१
	नबावगंज		३७	५	१४	३७	५	१२
	फतेहपुर		३३	५	७	३३	६	५
			१३०	१६	२६	१३०	२०	२८
१९५८	रामसनेहीघाट	..	३४	६	४	३४	७	१०
	हैदरगढ़	..	२६	..	१	२६	२	१
	नबावगंज	..	३७	५	१४	३७	५	१२
	फतेहपुर	..	३३	५	७	३३	६	५
			१३०	१६	२६	१३०	२०	२८
१९५९	रामसनेहीघाट	..	३४	६	४	३४	८	१०
	हैदरगढ़	..	२६	..	१	२६	२	१
	नबावगंज	..	३७	५	१४	३७	५	११
	फतेहपुर	..	३३	५	७	३३	५	६
			१३०	१६	२६	१३०	२०	२८

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे ४६५ पृष्ठ पर)

जालौन जिले में १ जनवरी, १९५९ से १५ दिसम्बर १९५९ तक निम्न-लिखित पुलिस कांस्टेबुल रंगरूटों की सेवाएं समाप्त की गईं

क्रम-संख्या	कांस्टेबुल रंगरूट का नाम	नौकरी से पृथक किये जाने की तारीख	नौकरी से अलग किये जाने का कारण
१	श्री समर बहादुर ..	२-३-१९५९	शारीरिक अयोग्यता के कारण परिक्षेत्रीय पुलिस उप-प्रधान निरीक्षक द्वारा पद मुक्त कर दिया गया क्योंकि उनके घुटने में कुछ खराबी थी।
२	श्री गया प्रसाद ..	६-१-१९५९	अनधिकृत रूप से छुट्टी पर रहने तथा ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने के कारण।
३	श्री यशवन्त सिंह ..	२९-१०-१९५९	इनका चाल-चलन शासन के हेतु अच्छा नहीं पाया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६७ पर)

तहसील औरैया, जिला इटावा में १ अगस्त, १९५९ से २० दिसम्बर, १९५९ तक हुए कत्लों का विवरण

क्रम-संख्या	घटनास्थल	तारीख घटना	कत्ल हुये व्यक्तियों के नाम
१	पुलिया बम्बा भंडारीपुर ..	२३-१०-५९	छोटे पुत्र गोकुल धोबी मुजराम थाना, अकबरपुर, कानपुर हाल कुम्हापुर।
२	करीब नगला पुरुषोत्तमपुर नगला नदगांव ..	३-११-५९	राजाराम पुत्रगरीबे गड़रिया।
३	नगला इमलिहा मौजा पीपरपुर ..	२-११-५९	प्रभू दयाल पुत्र बल्देव प्रसाद।
४	मौजा बूंढ़ादाना ..	२-११-५९	(१) लाखन सिंह (२) भगवान सिंह।

नोट--४ कत्ल की घटनाएं हुईं जिसमें ५ व्यक्ति मारे गए।

संसद प्रदर्शन

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७० पर)

राज्य के उन अस्पतालों की जिलेवार सूची जिनमें दिसम्बर ३१, १९५९ को पिछले ६ महीनों से डाक्टर नहीं हैं

आगरा ..	१—सरेंधो
अलीगढ़ ..	२—पुलिस अस्पताल
	३—धानीपुर
	४—बेसवां
	५—टी० बी० अस्पताल, हाथरस
इलाहाबाद ..	६—होलागढ़
	७—बाराखर
	८—छैलाखाश
अल्मोड़ा ..	९—मसिया चना
	१०—सियादा
	११—मुन्सियारी
	१२—तेजम
	१३—धरचूला
	१४—सौसा
	१५—चम्पावत
	१६—दिधतढ़
आजमगढ़ ..	१७—कोपागंज
बहराइच ..	१८—तेजवापुर
	१९—मंगाहा
	२०—बींदी
	२१—शिवपुर
बलिया ..	२२—नौ बरार कोदरहा
	२३—बैलाहारी
बस्ती ..	२४—कटेला ।
	२५—जगदीशपुर
	२६—मानवापुर
	२७—टी० बी० क्लिनिक
वाराणसी ..	२८—नौगढ़
	२९—गंगापुर
	३०—रामपुरकलां
	३१—बड़ा गांव
बांदा ..	३२—शिवरामपुर
	३३—मरकुंडी
	३४—विसैन्दा
	३५—महुआ
बाराबंकी ..	३६—मिटौली
	३७—निन्दौरा
बरेली ..	३८—दलेलनगर
	३९—मजगवां
	४०—टी० बी० क्लिनिक
बदायूं ..	४१—रूदेन
	४२—मझेरा
	४३—दहगवांन
	४४—गुलरिया
बुलन्दशहर..	४५—ऊंचागांव
बिजनौर ..	४६—कालागढ़
	४७—ताजपुर
देहरादून ..	४८—साहसपुर
देवरिया ..	४९—बैतालपुर
एटा ..	५०—नदरौली
	५१—अमनपुर
इटावा ..	५२—राजपुर
	५३—बसरेहर
फर्रुखाबाद ..	५४—नबाबगंज
फतेहपुर ..	५५—गाजीपुर
	५६—चांदपुर
	५७—तैलानी
गाजीपुर ..	५८—टी० ई० पी०
	५९—केम्पियरगंज
गोंडा ..	६०—सादुल्लानगर
	६१—गंगोली
	६२—पिप्रा
	६३—हथियागढ़
	६४—हटियाठोक
गढ़वाल ..	६५—बढ़ियारगांव
	६६—पौखरीनागनाथ
	६७—गमसौली
	६८—बिरनखाल
	६९—क्लोलघाटी
हमीरपुर ..	७०—सुमेरपुर
	७१—छानी
	७२—बैरी
	७३—इमलिया
	७४—कुरारा
हरदोई	७५—हरपालपुर
	७६—गोपामऊ

७७—भारावान
७८—अनंगपुर
७९—माधोगंज
जालौन .. ८०—माधोगढ़
८१—मिंड
८२—कुदारी
८३—डकोरे
८४—रामपुर
८५—कुठौंड
जौनपुर .. ८६—तयीबाजार
८७—महाराजगंज
कानपुर .. ८८—गजनेर
८९—कठारा
९०—कक्दन
९१—हुदवा जमोली
९२—चौबेपुर
खीरी .. ९३—मूजगैन
९४—तिकोनिया
९५—पसगवान
९६—वैहजम
मैनपुरी .. ९७—कुसमरा
९८—सुल्तानगंज
९९—खैरागढ़
१००—इक्का
मिर्जापुर .. १०१—राजगढ़
१०२—सेलखान
१०३—हलिया
१०४—विन्धियमगंज
१०५—मियूरपुर
१०६—कोने
१०७—पंडोरी
मुरादाबाद .. १०८—सुल्तानपुर
१०९—धनौरा
मुजफ्फरनगर १११—साहपुर
मेरठ .. १११—किरथल
११२—सकरपुर
११३—दोली
११४—अलीपुर
११५—लतीफपुर
११६—एरीगेसन वर्कशाप
११७—सरखौड़ा
११८—सिम्मौली
मथुरा .. ११९—नंदगांव
नैनीताल .. १२०—पछाड़ पानी
प्रतापगढ़ .. १२१—संग्रामगढ़
१२२—गौरा
पीलीभीत .. १२३—माधो टोढा
१२४—नरसेड़ा
१२५—ट्रांस शारदा एरिया
१२६—ललौरी खेरा
रामपुर .. १२७—चमरवा
१२८—सैदनगर
सहारनपुर .. १२९—रनखंडी
१३०—ननौता
१३१—नरसैन
शाहजहांपुर १३२—मदनापुर
१३३—निमौंही
१३४—ददरौल
सीतापुर .. १३५—सेवता
१३६—बिसवां
सुल्तानपुर .. १३७—जामन
१३८—मादर
१३९—बखन्डपुर
१४०—गौरा
टेहरी-गढ़वाल १४१—जाखौली
१४२—कोडीपंयवारी
१४३—पुरौला
उन्नाव .. १४४—अउरास

महिला चिकित्सालय

बदायूं .. १४५—इस्लामनगर
झांसी .. १४६—समथर
खीरी .. १४७—निघासन
मथुरा .. १४८—रामा
बस्ती .. १४९—बांसी
नैनीताल .. १५०—रामनगर
देवरिया .. १५१—बरहज
पौड़ी-गढ़वाल १५२—श्रीनगर

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७१ पर)

सूची (क)

ग्राम पाटन के उन लोगों की सूची जिन लोगों को अहेतुक सहायता दी गई

क्रम-संख्या	नाम			धन	तिथि
				रु०	
१	श्री द्वारिका पुत्र लछिमन	..	..	४०	२८-४-५९
२	श्री सुखराम पुत्र बुद्धू	..	..	४०	"
३	श्री भरोसे पुत्र रामेश्वर	..	..	३०	"
४	श्री अंगनू पुत्र रामलाल	..	..	३०	"
५	श्री मन्नूलाल पुत्र रामलाल	..	..	३०	"
६	श्री वरखण्डी पुत्र राम दयाल	..	..	३०	"
७	श्री भूषन पुत्र सेवक	..	..	३०	"
८	श्री भीखा पुत्र देवीदीन	..	..	३०	"
९	मुसम्मात गंगादेई बेवा गनेश प्रसाद	..	..	४०	"
१०	श्री बल्देव पुत्र दुलारे	..	..	१५	३-५-५९
११	श्रीमती बकरीदन पत्नी चन्दू	..	..	१०	"
१२	श्रीमती बदाला पत्नी लल्लू	..	..	१५	"
१३	श्रीमती गुलावा पत्नी मेदिन	..	..	१०	"
				३५०	

सूची (ख)

ग्राम पाटन तहसील पुरवा के अग्नि-पीड़ित व्यक्तियों की सूची जिनको मकान बनाने हेतु तकावी के रूप में रुपया दिया गया

क्रम-संख्या	नाम		रुपया	तिथि	विवरण
१	अयोध्या प्रसाद पुत्र बिहारी लाल	..	२००	१-८-५९	
२	बराती लाल पुत्र बेनी माधो	..	२५०	१-८-५९	
३	रामाधार पुत्र बोधा	..	२५०	१-८-५९	
४	श्याम प्यारे पुत्र शोभाराम	..	२५०	१-८-५९	
५	बचानी पुत्र अबदुल्ला	..	१५०	१-८-५९	
६	शिवमूर्तिलाल पुत्र राजबहादुर	..	२५०	१-८-५९	
			१,३५०		

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७५ पर)

जिला	१ साल से बिना फैसले के पड़े हुए दाखिल खारिज के मामलों की संख्या
१—शाहजहांपुर ..	५८
२—सुल्तानपुर ..	१९
३—कानपुर ..	२३
४—फैजाबाद ..	९५
५—उन्नाव ..	७
६—बलिया ..	४
७—हरदोई ..	८
८—खीरी ..	१
९—मेरठ ..	१४

जिला	१ साल से बिना फैसले के पड़े हुए दाखिल खारिज के मामलों की संख्या
१०—मिर्जापुर ..	१
११—गोरखपुर ..	२३
१२—अल्मोड़ा ..	३८
१३—देवरिया ..	२
१४—जौनपुर ..	४०
१५—गोंडा ..	१७
१६—लखनऊ ..	१
योग ..	३५१

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २९१ एल० ए०—१९६०—८४५ ।